खण्ड २—अंक २९

४ अप्रैल, १९५५ (सोमवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

3LSD

विषय–सूची

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ स १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९––९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . २२००––०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शुद्धि . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८७१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . २२०५—२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—५०

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८६, १४६३, १४६५, १४६७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०६, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२६, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अंक २४—सोमवार, २८ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६६, १५७१से १५७७, १५७६, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २६ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६, १५६२, १५६४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१६ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०६, १६१४, १६१८, १६२३, १६२६, १६३६, १६३७ और १६३६ . . . . . १६१५—१६२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४८४ १६२३—१६३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५६, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८६ से १६६५ और १६६७ से १७०५ . . १६३५—१६८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६६, १६७५, १६७६, १६७६, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६६६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १६८१—२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४६० और ४६२ से ५१६ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९, १९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९, १९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३ १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२, २०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५, २०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३, २०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तेर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९—क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . २५७९—२५८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . २६५३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८९, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . .२८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . १—१८९

लोक-सभा

सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

देहाती क्षेत्रों में डाक का बांटा जाना

*१८३०. **श्री डाभी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गांवों में, जहां इस समय प्रति सप्ताह एक बार डाक बांटी जाती है पहली पंचवर्षीय योजना के काल में अधिक बार डाक बांटने के लिये क्या कार्यक्रम रखा गया है ;

(ख) इस समय तक इस कार्यक्रम की कहां तक पूर्ति हुई है ; और

(ग) इससे बम्बई मंडल के प्रत्येक राजस्व जिले के कितने गांवों को लाभ पहुंचेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जिन गांवों में जहां इस समय प्रति सप्ताह एक बार डाक बांटी जाती है, अधिक बार डाक बांटने के लिये पहली पंचवर्षीय योजना काल के कार्यक्रम में कोई स्पष्ट निदेश नहीं हैं। कार्यक्रम में जनसंख्या और दूरी के आधार पर डाकखाने खोलने की व्यवस्था है, जिस से कि देहता में बहुत अधिक संख्या में डाकखाने हो सकें। बहुत अधिक डाकखाने खोलने से कुछ गांवों में डाक और जल्दी बटने लगी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री डाभी : मैं जान सकता हूं कि बम्बई में ऐसे कितने गांव हैं, जहां सप्ताह में केवल एक बार डाक बंटती है, या जहां सप्ताह में एक बार भी नहीं बंटती है ?

श्री राज बहादुर : ऐसे गांवों की संख्या जहां सप्ताह में केवल एक बार डाक बंटती है, पूरे भारत में १,४२,३२३ और बम्बई मंडल में १३,६६३ है। उन गांवों की संख्या जहां डाक सप्ताह में एक बार से भी देर में बंटती है, पूरे भारत में २७,३१३ और बम्बई मंडल में २,१५२ है। उन गांवों की संख्या जहां सप्ताह में एक से अधिक बार डाक बंटती है पूरे भारत में ४,१२,०२७ और बम्बई मंडल में १९,८४४ है।

श्री डाभी : क्या डाक अधिक बार बांटने के लिय कोई भावी कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैं ने कहा, डाकखानों की संख्या जितनी अधिक होगी, गांव के डाकिये का क्षेत्र उतना ही कम होता जायगा अतः डाक बांटनें की संख्या में स्वतः वृद्धि हो जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि बरसात में अकसर गांवों में और विशेषकर पर्वतीय इलाकों में डाक पहुंचने में बहुत देर हो जाती है और क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष हिदायतें दी गई हैं या दी जा रही हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां बरसात के कारण मार्ग दुर्गम हो जाते हैं और पोस्टमेन आ जा नहीं सकते हैं, यह समस्या विभाग के सामने है और विभाग इस को हल करने की यथाशक्ति कोशिश कर रहा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में नित्य चिट्ठियां बांटी जाय और जो बाजारों में चिट्ठियां बांटी जाती हैं वह देर से मिलती हैं इस को रोका जाये ?

श्री राज बहादुर : मैं समझा नहीं सवाल क्या है ?

पंडित डी० एन० तिवारी : मेरा सवाल यह है कि कई बार पोस्टमेन चिट्ठियां बाजारों में दे जाते हैं । और वह गांव के लोगों को देर से पहुंचती है, क्या कोई ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जा कर चिट्ठियां बांटी जायें ?

श्री राज बहादुर : ऐसा देखने में आया है कि गांवों की डाक बजाय गांवों में जा कर बांटने के किसी जानकार आदमी को जो उस विशेष गांव का हो दे दी जाती है । इस तरह से उन को सुविधा भी हो जाती है और डाक भी जल्दी लोगों को मिल जाती है । अगर इस के बारे में कोई शिकायत हो तो में आभारी हूंगा अगर माननीय सदस्य मेरे नोटिस में लायगे और हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है ।

होमियोपैथिक पद्धति

*१८३१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है; और

(ख) किन किन राज्यों ने इस पद्धति को मान्यता दी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) केन्द्रीय सरकार की नीति यह है कि कि ऐसे होमियोपैथिक डाक्टरों का एक वर्ग बनाया जाये जिन्हें किसी संस्था से शिक्षा मिली हो । इस के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे होमियोपथिक के उप-स्नातकों के लिये पाठ्य-क्रम की सुविधाओं का प्रबन्ध करें । पाठ्य-क्रम साढ़े चार वर्षों का हो और उस में वे ही विद्यार्थी दाखिल किये जायें जिन्होंने विज्ञान के साथ इंटर-मिडिएट पास किये हैं । यह भी विचार में है कि अधि-स्नातक (पोस्ट ग्रेजुयेट) शिक्षा पर और अनुसन्धान करने वालों को आर्थिक सहायता दी जाये ।

(ख) बम्बई, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, त्रावनकोर-कोचीन, और भोपाल ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सरकार ने होमियोपैथिक को एक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है ?

राजकुमारी अमृतकौर : केन्द्रीय सरकार ने ?

अध्यक्ष महोदय : हां ।

राजकुमारी अमृतकौर : उस प्रकार की मान्यता देने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या होमियोपैथी में कुछ गवेषणा कार्य हो रहा है । और यदि हो रहा है, तो क्या सरकार ने कोई सुविधायें प्रदान की हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : यदि माननीय सदस्य भारत में होमियोपैथी के सम्बन्ध में इस समय हो रहे काम का उल्लेख कर रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : उन का अभिप्राय गवेषणा कार्य से है ।

राजकुमारी अमृत कौर : अब तक होमियोपैथी में कोई गवेषणा कार्य नहीं हुआ है, पर हम ने बम्बई या कलकत्ते में ऐसा गवेषणा कार्य होने के लिये सुविधायें देने का वचन दिया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि आदर्श होमियोपैथिक शिक्षा देने के लिये जिस इंस्टीट्यूशन को सेन्ट्रल गवर्नमेंट मदद देगी वह कब तक खोला जायगा ?

राजकुमारी अमृत कौर : बहुत देर के बाद हमारे पास एक कालेज का नाम आया है जो कि कलकत्ता में है और यह मामला हमारे विचाराधीन है । हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस को सहायता दी जा सकेगी ।

चावल कूटना

*१८३२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चावल कूटने के विभिन्न तरीकों की जांच के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अब तक क्या प्रगति की है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : समिति की पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है । समिति की रिपोर्ट मई, १९५५ तक तैयार हो जाने की आशा है ।

श्री झूलन सिंह : क्या मैं पूछ सकता हूं कि चावल के मशीन द्वारा कूटे जाने के कारण गांवों में गृह-उद्योगों पर पड़ रहे बुरे प्रभाव को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार ने इस समिति को कोई अन्तःकालीन रिपोर्ट भेजने को कहा है, और क्या वह उसे यथा संभव शीघ्र कार्यान्वित करना चाहती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कोई अन्तरिम रिपोर्ट आवश्यक नहीं थी, क्योंकि समिति नियुक्त करते समय हमें रिपोर्ट के तीन महीने में तैयार हो जाने की आशा थी । उन्हें सभी राज्यों में जाना पड़ा और इस में एक महीना और लग गया, और हमें आशा है कि रिपोर्ट एक महीने में तैयार हो जायेगी ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या समिति ने कोई प्रश्नावलि निकाली है, और यदि हां, तो क्या उसे संसद् सदस्यों में भी परिचालित किया जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्होंने सभी राज्य सरकारों को एक प्रश्नावलि भेजी है और यदि संसद् सदस्य उसे प्राप्त करना चाहें तो मैं इस बात पर विचार करूंगा ।

श्री पुषूस : क्या सरकार को पता है कि कुछ समय पहले त्रावनकोर-कोचीन राज्य द्वारा एक जांच की गई थी, और क्या सरकार को उस के प्रतिफल बताये गये थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : केवल त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने ही नहीं अपितु बहुत सी अन्य संस्थाओं और कुछ अन्य सरकारों और कुटीर उद्योग संगठनों ने अपने अपने क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया है । परन्तु यह सर्वेक्षण पूरे देश में किया जायेगा और एकरूप नीति बनायी जायेगी ।

नील की खती

*१८३६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नील की खेती को पुनरुज्जीवित करना चाहती है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों में यह काम प्रारम्भ किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि संश्लेषित रंग गुण प्रकार में नील से निम्नकोटि के हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री विभूति मिश्र : कब तक यह सारी इन्फारमेशन इकट्ठी हो जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : ज्यादा वक्त नहीं लगेगा । कुछ इंफारमेशन हमारे पास है मगर वह कमप्लीट नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र: क्या सरकार इस बात का ख्याल रखेगी कि अगर फिर सरकार ने इस को जारी करना चाहा तो उन स्थानों पर जहां पहले खेती होती थी उन को प्रेफ्रेंस देगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसा देखने में आया था कि इंडस्ट्री सिंथेटिक इंडिगो को पसन्द करती है । लड़ाई के दिनों में बाहर से यह रंग नहीं आते थे । तो उस वक्त इन की खपत भी ज्यादा होती थी और भाव भी अच्छे मिलते थे । मगर जब से यह मिलने लगे हैं तब से यह बात नहीं रही है । फिर भी गवर्नमेंट का इरादा है कि जितना भी हो सके इस को उतनी प्रेफ़रेंस दी जाये ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि जहां इंडिगो की खेती होती है वहां खेती की उपज भी बढ़ती है और साथ ही इंडिगो रंग भी निकाला जाता है और इस तरह से दोनों तरह से फायदा होता है, क्या सरकार इस ओर भी ध्यान देगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस के बारे में किसी के रास्ते में गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई रुकावट नहीं थी और न ही होगी ।

पान

*१८३८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में पानों का कुल वार्षिक उत्पादन और खपत कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पान देश से निर्यात होने वाली वस्तु नहीं है, और यदि है, तो उस का निर्यात किन किन देशों को होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं जानता हूं कि यह सच है कि पान कुछ समय पहले पाकिस्तान भेजे जाते थे । पर वे किन अन्य देशों को भेजे जाते हैं तथा उन के और ब्यौरे आदि के प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पूछे जा सकते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि लगभग कितने क्षेत्र में पान की खेती होती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान् मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को पता है कि लन्दन की एक कंपनी भारत से पानों का निर्यात करती थी, क्या वह अब भी होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे ऐसी किसी बात का पता नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, जब कोई स्पष्ट प्रश्न रखा जाता है और मंत्री को यह उत्तर होता है कि सूचना उपलब्ध नहीं है, क्या सूचना उपलब्ध न होने पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह औचित्य प्रश्न नहीं है । यदि मैं कहूं तो यह एक सुविधा का प्रश्न है । अध्यक्ष के लिये सभी प्रश्नों को रोक देना कठिन है, संभव है कि वह विशेष जानकारी उपलब्ध न हो, पर यह भी संभव है उस मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित कुछ प्रासंगिक बातों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हो । अतः यह अच्छा है कि मंत्री को यह कहने के लिये छोड़ दिया जाये कि उस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या अनुपूरक प्रश्न दी गयी सूचना से उत्पन्न होते हैं, या वे किसी भी सूचना के अनपेक्ष स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ये न केवल उत्तर से ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि मुख्यतः प्रश्न के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं । सदस्य कुछ सूचना चाहता है और प्रश्न रखता है । मंत्री की सूचना अपूर्ण हो सकती है । ऐसी बात नहीं कि अनुपूरक प्रश्न मंत्री के उत्तर तक ही सीमित हों । प्रश्न के विषय को ध्यान में रखना होता है ।

मनोरंजन उड़ानें

*१८४०. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महत्त्व-पूर्ण हवाई अड्डों पर जनता के लिये मनोरंजन उड़ानों की व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्रोत से दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में १९५४ में कितनी आय हुई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली--- रुपये २१० ।

कलकत्ता और मद्रास---कुछ नहीं ।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या यह सच है कि सरकार दरें घटाने जा रही है ?

श्री राज बहादुर : वस्तुतः १५ मिनट की एक उड़ान के लिये यह दर प्रति यात्री १५ रुपये थी---पर यात्रियों की न्यूनतम संख्या १६ होने की शर्त थी । फिर इसे कम कर के १० मिनट की उड़ान के लिये १० रुपये प्रति व्यक्ति किया गया, और यात्रियों की न्यूनतम संख्या १५ रही । निगम ने अब २१ सीटों वाले डकौटा के लिये २०० रुपये मिलने पर मनोरंजन उड़ाने देने का निश्चय किया है भले ही यात्रियों की संख्या कितनी भी हो ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि कितने हवाई अड्डों पर मनोरंजन-उड़ानों की यह सुविधा समाप्त कर दी गयी थी ?

श्री राज बहादुर : प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये सुविधायें बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में उपलब्ध थीं ।

श्री पुन्नूस : मैं जानना चाहता था कि किन हवाई अड्डों पर ये सुविधायें समाप्त कर दी गयी थीं ?

श्री राज बहादुर : भाग लेने वालों की संख्या बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है । हम इस प्रयोग के सफल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : लोगों को हवाई यात्रा के प्रति सजग बनाने और मनोरंजन उड़ानों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री राज बहादुर : यह उन्हें हवाई यात्रा के प्रति सजग बनाने के ही लिये एक कदम है ।

टिड्डी नियंत्रण योजना

*१८४१. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत टिड्डी नियंत्रण की समन्वित योजना की कार्यान्विति के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारियों ने क्या प्रगति की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): टिड्डी विरोधी समन्वित योजना किसी विदेश के प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन नहीं चलती है, यद्यपि व्यक्तियों के प्रशिक्षण, गाड़ियां, पावर स्प्रेयर और डस्टर, बेतार सैटों और कृमिनाशक आदि के रूप में कुछ सहायता प्रविधिक सहयोग सहायता कार्यक्रम के अधीन मिली है ।

योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति को दिखलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री इब्राहीम : विवरण से पता चलता है कि भारत आने वाले दलों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती गयी है । मैं जान सकता हूं कि टिड्डी दलों की संख्या बढ़ क्यों रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक चक्र के अनुसार टिड्डियां चलना शुरु करती हैं । दुर्भाग्य से हमारे ऊपर टिड्डियों के अधिक बड़े और अधिक देर तक हमले हो रहे थे । चूंकि वे बहुत दूर से आती हैं, यह कहना कठिन है कि वे बढ़ क्यों रहे हैं ।

खानों में दुर्घटनायें

*१८४२. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जनवरी, १९५४ से विभिन्न खानों में कुल कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) कितनी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सरकारी जांच की गई ; और

(ग) कितने मामलों में सम्बन्धित प्रबन्धकों द्वारा खान अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों का परिपालन न किये जाने की रिपोर्ट दी गई ।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १९५४ में २८६ घातक और ४,३६७ गंभीर दुर्घटनायें हुईं ।

(ख) सभी घातक दुर्घटनाओं की जांच खान विभाग के पदाधिकारियों द्वारा की गई और दो मामलों में--एक तो स्वांग रेलवे कोयला खान में, जनवरी, १९५४ में हुई और दूसरी न्यटन चिकली कोयला खान में, दिसम्बर, १९५४ में हुई दुर्घटना के लिये जांच अदालतें भी बनायी गयीं । गंभीर दुर्घटनाओं में से भी ६७२ मुख्य मामलों की पड़ताल की गयी थी ।

(ग) २७६ । इस में परिपालन के छोटे मोटे मामले शामिल नहीं हैं, जिन को सामान्य रूप में खान विभाग के निरीक्षणालय द्वारा मौखिक निदेश दे कर और कार्यकारी आदेश निकाल कर निपटाया गया था ।

श्री तुषार चटर्जी : खान अधिनियम का किस किस प्रकार उल्लंघन किया जाता है ?

श्री आबिद अली : चट्टे लगाने के प्रबन्धों तथा अनेक अन्य मामलों में खान अधिनियम

के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जाता है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : प्रवर्तन उपायों के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया और कितने दोषी ठहराये गये ?

श्री आबिद अली : जो व्यक्ति दोषी ठहराये गये, उन के बारे में अभी तक हम को सूचना नहीं मिली है । १९५४ के अधिकांश मामले अब भी विचाराधीन हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह सच है कि इन में से अधिकांश मामले सरकारी निरीक्षकों द्वारा, जैसा कि खान अधिनियम में उपबन्धित है, नियमित रूप से थोड़े थोड़े समय के पश्चात् निरीक्षण न किये जाने के हैं ?

श्री आबिद अली : इन में से अधिकांश मामले इसलिये दर्ज किये गये थे क्योंकि निरीक्षकों ने खानों का निरीक्षण किया और वहां की कार्य प्रणाली में अनेक दोष देखे ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि हाल ही में खान दुर्घटनायें बढ़ गई हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार निरीक्षण और कड़ा करने का विचार कर रही है ताकि दुर्घटनायें रोकी जा सकें ?

श्री आबिद अली : हम निरीक्षणालय विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे हैं । यह सत्य नहीं है कि दुर्घटनायें बढ़ती जा रही हैं । इन वर्षों में दुर्घटनायें कम होती रही हैं । १९५४ में न्यूटन चिकली की एक गंभीर दुर्घटना हो जाने के कारण ही संख्या कुछ बढ़ गई है ।

बनस्पति का निर्यात

***१८४३. सेठ गोविन्द दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४६–४७, १९५१–५२, १९५२–५३ और १९५३–५४ में विदेशों को कितना वनस्पति निर्यात किया गया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २]**

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री ने अभी जो अंक दिये, उन के अनुसार सन् १९५३ में इस का निर्यात इतना घट जाने का कारण क्या है और १९५४ में इस के एकदम इतना बढ़ जान का क्या कारण है ?

डा० पी० एस० देशमुख : १९५३ में निर्यात की मात्रा के अभ्यंश से बहुत कम हो जाने से इस को खुली सामान्य अनुज्ञप्ति में रखा गया । १९५३ में मूंगफली की फसल अच्छी होने तथा इंगलैंड में चर्बी पर से राशन हटने के कारण वनस्पति का अभूतपूर्व निर्यात हुआ ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो निर्यात वनस्पति का इस देश से बाहर हुआ, वह किन किन देशों में गया है और ज्यादातार यह किस देश को गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यूनाइटेड किंगडम और हालैंड । कुछ हिस्सा उस का ब्रह्मा, फेडरेटेड स्टेटस आफ मलाया, पर्शियन गल्फ और पाकिस्तान में भी जाता है ।

अतिवयस्क कर्मचारी

***१८४४. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इस मंत्रालय में ५५ वर्ष की आयु से अधिक के कितने पदाधिकारी हैं ; और

(ख) १९५४ में ५५ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व कितने पदाधिकारियों

को सेवा-निवृत्त होने के लिये बाध्य किया गया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) ५७ ।

(ख) इस मंत्रालय के दो अनुसचिवीय सरकारी पदाधिकारियों को नौकरी के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं इन दोनों पदाधिकारियों के नौकरी के लिये अयोग्य घोषित किये जाने के कारणों को जान सकता हूं ।

डा० पी० एस० देशमुख : ५७ व्यक्तियों में से ६ विस्थापित व्यक्ति हैं । शेष ५१ में से ३३ व्यक्ति मंत्रालय के अनुसचिवीय सरकारी कर्मचारी हैं और १८ घोषित पदाधिकारी हैं । अधिकांश घोषित पदाधिकारियों को प्रशासन सम्बन्धी विशेष आवश्यकता के कारण रहने दिया गया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मेरा प्रश्न बाद के दो के बारे में था । उन दोनों को नौकरी के लिये क्यों अयोग्य घोषित किया गया ?

डा० पी० एस० देशमुख : संभवतः, शारीरिक अक्षमता के कारण

मैसूर टेलिफोन व्यवस्था

*१८४७. **श्री तिम्मय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य टेलीफोन व्यवस्था का केन्द्रीय टेलीफोन व्यवस्था के साथ एकीकरण होने के बाद मैसूर राज्य के कितने पदाधिकारियों को श्रेणी २ के पदाधिकारियों के समान कर दिया गया ;

(ख) क्या उन पदाधिकारियों को खपाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) दो ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उन दो पदाधिकारियों में से एक को खपाने के लिये डाक तथा तार विभाग की समान पदाली में स्थायी पद बनाने में कुछ कठिनाई हुई है, क्योंकि एकीकरण से पूर्व वह राज्य टेलीफोन व्यवस्था में उस पद पर केवल स्थानापन्न के रूप में ही काम कर रहा था । डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक ने इस कठिनाई को दूर करने के लिये एक प्रस्थापना का सुझाव दिया है, और मामला सरकार के विचाराधीन है, उस प्रस्थापना को स्वीकार कर लिये जाने की अवस्था में, उन पदाधिकारियों को १ अप्रैल, १९५१ से इन स्थायी पदों में खपा लिया जायेगा ।

श्री तिम्मय्या : यह देखते हुए कि उन पदाधिकारियों के स्थायी पदों में न खपाये जाने से उन्हें वेतनवृद्धि और भविष्य निधि तथा वरिष्ठता की हानि उठानी पड़ी है, क्या सरकार उन को यथाशीघ्र स्थायी पदों पर नियुक्त कर देने की प्रस्थापना करती है ?

श्री राज बहादुर : हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । कठिनाई यह है कि इन पदाधिकारियों की भूतपूर्व राज्य सरकार में भी उन पदों पर जिन पर वे थे पुष्टि नहीं की गई थी । उन की सेवाओं के हमारे अधिकार में आने से पूर्व यदि उन की पुष्टि हो गई होती तो स्थायी पदों पर उन का खपना हमारे लिये कदाचित् सरल हो जाता और जब तक ऐसा नहीं होता है, उन को कुछ न कुछ हानि तो उठानी ही पड़ेगी ।

श्री तिम्मय्या : जब कि उन की पुष्टि भी नहीं हुई थी, तो सरकार ने उन को श्रेणी २ के पदाधिकारियों के समान कैसे कर दिया ?

श्री राज बहादुर : यह तदर्थ आधार पर है ।

अगरतला के लिए जल संभरण

*१८४८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३० नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंतों के रोगियों जिन के सम्बन्ध में अगरतला के नागरिकों ने शिकायत की थी, की संख्या तब से जनवरी, १९५५ तक बढ़ गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें निथारा हुआ पेय पानी संभरित करने के सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) हस्पताल के आंकड़ों से पता चलता है कि अगरतला में आंतों के रोगियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) इस समय लोगों के मकानों में लगे हुए कई नल कूपों के अतिरिक्त ७८ सार्वजनिक नल-कूपों के द्वारा पेय जल संभरित किया जा रहा है, जिन का संधारण अगरतला की नगरपालिका और लोक निर्माण विभाग करते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के परामर्श से अगरतला के लिये जल संभरण तथा नाली बनाने की एक योजना पर सोच विचार कर रहा है ।

श्री बीरेन दत्त : परीक्षण के परिणाम स्वरूप कितने नल-कूप ऐसे पाये गये हैं, जिन का पानी गन्दा है ।

राजकुमारी अमृत कौर : इस के सम्बन्ध में तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं उन्हें सूचित कर देना चाहती हूं कि आंत के रोगियों की संख्या १९५३ में १,८८२ थी, १९५४ में यही १,५४२ रह गई, जनवरी, १९५४ में केवल १३७ रोगियों की जानकारी मिली और जनवरी, १९५५ में केवल ७२ रोगी थे । इस प्रकार से सर्वतोमुखी सुधार हुआ है ।

धाब और धोराकोला में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

*१८४९. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** क्या **श्रम** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक धाब और धोराकोला में औषधालय भवन और कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कब ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) तथा (ख). धाब में यह कार्य २० अप्रैल, १९५४ को पूर्ण हो गया था । धोराकोला के सम्बन्ध में ऐसी आशा है कि यह कार्य इस मास के अन्त तक पूर्ण हो जाएगा ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या वहां पर भेषज चिकित्सक नियुक्त किए जा चुके हैं ?

श्री आबिद अली : इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : काम पर लगाए गए उन श्रमिकों की तुलना में जिनके लिए अभी मकानों का निर्माण-कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इन कर्मचारियों के क्वार्टरों की क्या स्थिति है ?

श्री आबिद अली : खान-प्रबन्धकर्ताओं ने उनके लिए स्वयं ही डाक्टरी सुविधाएं प्रदान की हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय, काम पर लगाए गए श्रमिकों की तुलना में, जिनके लिए जैसे कि माननीय मंत्री ने कहा है कि अभी मकानों का निर्माण-कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इन कर्मचारियों के क्वाटरों की क्या स्थिति है ?

श्री आबिद अली : हस्पताल के लिए ?

अध्यक्ष महोदय : हस्पताल के लिए अथवा श्रमिकों के लिए ?

श्री भागवत झा आज़ाद : हस्पताल तथा श्रमिकों-दोनों के लिए ।

श्री आबिद अली : इस प्रश्न का सम्बन्ध हस्पताल-भवन के निर्माण-कार्य से है ; जहां पर हस्पताल का निर्माण-कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, वहां पर कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

रेलवे के विधि सम्बन्धी कार्यों के लिये समिति

*१८५१. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व, भारतीय रेलवे की विधि सम्बन्धी कार्य की जांच करने के लिये एक विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या प्रतिवेदन में दी गयी किसी सिफारिश को अभी तक कार्यान्वित किया गया है ?

श्री अलगेशन : आदेश जारी किये जाने वाले हैं ।

श्री विश्व नाथ राय : प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था ?

श्री अलगेशन : यह बहुत समय पूर्व, १९५२ में, प्रस्तुत किया गया था ।

श्री विश्व नाथ राय : विधि सम्बन्धी कार्यों के लिये कितने रेलवे कर्मचारी लगाये गये थे ?

श्री अलगेशन : इस समय मेरे पास यह संख्या नहीं है । यदि माननीय सदस्य कोई विशेष प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

*१८५२. **श्री वोडयार :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने मैसूर सरकार से यह सिफारिश की है कि वहां पर सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों को भर्ती करने और नियुक्त करने के सम्बन्ध में सोच विचार किया जाये और उन क्षेत्रों में बी० सी० जी० और राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाये ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मैसूर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने जनवरी, १९५५ में आयोजित अपनी बैठक में पारित किये गये संकल्पों में से एक संकल्प में यह सिफारिश की थी, कि सभी राज्य सरकारें अपने सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में

बी० सी० जी० के टीके लगाने के कार्यक्रमों और राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण-कार्यक्रमों के लिये अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्थायी रूप से भर्ती करने और नियुक्त करने के सम्बन्ध में सोच विचार करें ।

(ख) इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों को, जिन में मैसूर राज्य सरकार भी सम्मिलित है, भेज दी गयी है और यह मामला अभी उन के विचाराधीन है ।

मछली पकड़ने के तट

*१८५३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १४ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक, भारतीय समुद्र-तट से परे मछली पड़कने के तटों का कोई सर्वांगीण सर्वेक्षण किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक मछली पड़कने के ऐसे तटों के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर जल-जीव विज्ञानीय आंकड़े एकत्र किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ; इन आंकड़ों का मुख्य रूप से, मद्रास, आन्ध्र और त्रावनकोर-कोचीन के तट के साथ साथ दो या तीन मील तक की स्थिति से सम्बन्ध है ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या ये आंकड़े प्राप्त होने के उपरान्त, सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि गहरे समुद्र में से मछलियां पकड़ने वाले जहाज उन क्षेत्रों के स्थानीय मछेरों को क्षति पहुंचाते हुए मछली नहीं पकड़ेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा ख्याल है कि इस बात का तो सदैव ध्यान रखा जाता है, और यदि एक अन्य दृष्टिकोण से विचार किया जाये तो यह अनावश्यक है, क्योंकि मछेरे इतने गहरे पानी में मछलियां नहीं पकड़ते हैं ?

वर्दियों के लिये खादी

*१८५५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये वर्दियों और पोशाकों के लिये खादी खरीदी गयी है ; तथा

(ख) यदि हां, तो १९५३ तथा १९५४ में खरीदी गयी खादी का परिमाण तथा मूल्य कितना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख)

		खरीदा गया माल	मल्य
(१)	१९५२-५३ (३१-३-५३ तक)	७,७४० गज	१२,३७५-८-०
(२)	१९५३-५४ (३१-३-५४ तक)	३३,७५० गज	५५,५७०-१४-०

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या जितनी खादी खरीदी गई वह सब पोस्टमैनों के लिये काफी होगी ?

श्री राज बहादुर : जो खादी १९५२–५३ और १९५३–५४ में खरीदी गई वह केवल उन चपरासियों के लिये थी जो कि विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में काम करते हैं। पोस्टमैनों और दूसरे स्टाफ के लिये खादी का इंडेन्ट १९५४–५५ के लिये दिया गया है।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात के भी कोई आदेश दिये गये हैं या परामर्श दिया गया है, कि डाक तार विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे डाइरेक्टर जेनरल और पोस्ट मास्टर जेनरल, वह स्वयं भी खादी का प्रयोग करें ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री डाभी : १९५४–५५ में कितने की खादी खरीदी जायेगी ?

श्री राज बहादुर : १९५४–५५ में जितनी खादी के लिये आर्डर दिया गया है वह ११,५४,४५५ गज है और उसकी कीमत ––यह खादी अब संभरित की जा रही है और यह संभरण आगामी दो मासों तक पूर्ण होगा––२६,४७,२०२ रुपये, ३ आने ६ पाई है।

पीलीभीत बस्ती बसाने की योजना

*१८५७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३० अप्रैल, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २१७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर, खीरी और पीलीभीत जिलों की बस्ती बसाने की योजना को स्वीकृति दी जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार को १९५४–५५ में इस के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ग) चालू वर्ष में अर्थात् १९५५–५६ में कितनी सहायता दी जायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) तथा (ग). सन् १९५४–५५ तथा १९५५–५६ के लिये वास्तविक सहायता के परिमाण का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री भक्त दर्शन : यह जो विवरण रखा गया है उस में बताया गया है कि १९५४–५५ में जो सहायता दी जानी थी, वह अब विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि जब आर्थिक वर्ष निकल गया है तो यह प्रश्न क्यों अब तक विचाराधीन है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह बहुत बड़ी स्कीम है, और इसलिये अब विचाराधीन है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई खर्च किया है और हमें कोई कंट्रिब्यूशन रखना है तो क्या हम उसे करें।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता सकता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत "शिक्षित बेकार" की परिभाषा क्या है, और क्या राजनितिज्ञ और संसद् सदस्य भी उस के अन्तर्गत आ सकते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि इसमें उनके लिये रुकावट

है । मगर कुछ कंडीशन्स हमने तै की हैं। उनके मुताबिक कारवाई होगी ।

हिमाचल प्रदेश में डाक व तार घर

*१८५९. **डा० सत्यवादी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५० से अब तक कितने डाकखाने और तार घर खोले गये ; और

(ख) उक्त कालावधि में किन-किन थानों पर टेलीफोनों की व्यवस्था की गई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाक घर १२९; तार घर (१) सम्मिलित कार्यालय ९, (२) विभागीय तार घर कोई नहीं ।

(ख) (१) टेलीफोन ऐक्सचेंज—ध्योग, मंडी और चम्बा में स्थापित किये गये थे ।

(२) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र सलोग्रा, कोटखाई और जोगेन्द्र नगर में खोले गये थे ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में तारघरों से कितने रकबों में तार मामूली कोर्स में तकसीम किये जाते हैं और कितने फासले तक कुली चार्ज लेकर तकसीम किये जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि, जैसा तिवारी जी ने खेतों के बारे में पूछा, क्या ऐसी शिकायत मिली है कि तार बांटने वाले खुद तार न ले जाकर इस क्षेत्र के देहातियों को तार दे देते हैं और इसलिये वह तार कई कई दिन में पहुंचते हैं ?

श्री राज बहादुर : तार के बारे में तो ऐसी शिकायत नहीं मिली है । और जहां तक क्षेत्र का सम्बन्ध है, तार जहां के लिये होता है वहां पहुंच जाता है, अगर उस पर ठीक पता लिखा हो । जो कम्बाइन्ड आफिसेज ३१–१२–५४ तक खोले गये हैं उनकी संख्या १९ है । जो आफिसेज ३१–१२–५० से ३१–१२–५४ तक खोले गये हैं उन की संख्या मेरे पास है । अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूं ।

डा० सत्यवादी : क्या आप को ऐसी शिकायत मिली है कि चम्बा और मंडी में जो टेलीफोन हैं वह ठीक काम नहीं करते, उन में आवाज ठीक से नहीं सुनाई देती ?

श्री राज बहादुर : मुझे आज पहली मरतबा मैम्बर साहब से मालूम हुआ है कि मंडी में कोई इस किस्म की शिकायत है । अगर वह मुझे कोई ऐसी शिकायत लिख कर भेजेंगे तो मैं उसके बारे में दरियाफ्त करूंगा और जांच करूंगा ।

डा० सत्यवादी : क्या हिमाचल प्रदेश के जुगराफियायी हालात को देखते हुए हर पुलिस स्टेशन को टेलीफोन या वायरलेस के द्वारा जिला हैडक्वार्टर्स के साथ मिलाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री राज बहादुर : हमारी जो मौजूदा प्लान है उसके मुताबिक तार घर तहसील हैडक्वार्टर्स पर खोले जा रहे हैं और पबलिक काल आफिसेज डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर खोलने का इन्तजाम किया जा रहा है । थानों पर तार घर खोलने का कोई प्लान नहीं है, सिवा बिहार, उड़ीसा और बंगाल के जहां कि तहसील हैडक्वार्टर्स नहीं हैं । और कहीं के लिए यह योजना लागू नहीं होगी ।

गांव की सफाई योजनायें

*१८६०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) शिल्पिक सहयोग मिशन से किये गये करार के अधीन गांव की सफाई योजनाओं के लिये किस प्रकार का सामान प्राप्त किया जा रहा है ;

(ख) इस योजना के मुख्य लक्षण क्या हैं ; और यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ; तथा

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिये किसी विशेष अभिकरण को नियुक्त करने के बारे में कोई प्रस्थापना है, और यदि हां, तो वह किस प्रकार का अभिकरण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३]

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये कोई विशेष अभिकरण नियुक्त नहीं किया जायेगा। यह कार्य राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों के द्वारा किया जा रहा है, और आवश्यकतानुसार इन विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।

श्री के० सी० सोधिया : यह जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके अनुसार जो सामान टेकनिकल कोआपरेशन मिशन से मिलने वाला है, उस में से कौन सा सामान वाटर सप्लाई के लिये काम में आवेगा और कौन सा रूरल सेनीटेशन के लियें काम में आवेगा यह बता दिया जाये ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह जो सामान मंगाया जा रहा है यह नेशनल वाटर सप्लाई बढ़ाने के लिये है, और साथ ही साथ रूरल सेनीटेशन भी होगा। दोनों चीजें एक साथ चलेंगी।

श्री के० सी० सोधिया : यह जीप्स और एअर कम्प्रेशर्स वाटर सप्लाई में किस काम आवेंगे ?

राजकुमारी अमृत कौर : पम्प्स चाहियें कुवें डालने के लिये। और यह तो टेकनिकल सवाल है। जिस चीज की उन्होंने जरूरत बतलायी उसे हम ने मंगाया है।

श्री के० सी० सोधिया : मध्य प्रदेश में यह स्कीम कहां कहां चलेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे तफसील नहीं मालूम। इतना मैं जानती हूं कि हम ने मध्य प्रदेश के लिये कितना रुपया सेंक्शन किया है।

खराब हो गई चीनी

*१८६२. **डा० रामा राव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, पहली मार्च, १९५५ से, खराब हुई कुछ चीनी, बेचने के लिये खुली छोड़ रखी है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी मात्रा खुली छोड़ी गई है ;

(ग) भंडार में कुल कितनी खराब हो गई चीनी है ;

(घ) चीनी में किस प्रकार की खराबी हुई है ;

(ङ) क्या इसका चीनी के बाजार पर कोई प्रभाव पड़ा है ; तथा

(च) क्या सरकार ने फफूंदी तथा अन्य छत की बीमारियों के कीटाणुओं के लिये इस चीनी का परीक्षण कराया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० दशमुख) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि उस चीनी के विषय में निर्देश किया जा रहा है, जो सरकार ने आयात की थी। यदि ऐसा ही

है, तो सरकार ने खराब हो गयी चीनी में से कुछ चीनी बन्दरगाहों पर सार्वजनिक नीलाम के द्वारा अधिक बोली देने वाले व्यक्तियों को बेच दी है ।

(ख) लगभग २,२६३ टन ।

(ग) लगभग ६०० टन ।

(घ) जहाज पर यहां आते हुए समुद्र के पानी से और गरम वायु की कमी से गीली हो कर खराब हो गयी थी ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) जी, नहीं । परन्तु उस गीली चीनी का सर्वेक्षण किया गया था और समुद्री पानी से मिली हुई इस चीनी के नमूने का, भारतीय खांड प्रौद्योगिक संस्था, कानपुर में परीक्षण किया गया था । सर्वेक्षण प्रतिवेदन और संस्था के प्रतिवेदन से ऐसा प्रकट नहीं होता कि इस में फफूंदी अथवा अन्य प्रकार की छूत की बीमारियों के कीटाणु पाये गये ।

मछली पालने की हिन्देशियाई प्रणाली

*१८६३. **श्री कासलीवाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस देश में "मछली पालने की हिन्देशियाई प्रणाली" को लागू करने के सम्बन्ध में कोई विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) जी, हां ।

तम्बाकू

*१८६४. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम में कुल कितने तम्बाकू--देसी और विरजीनिया--का उत्पादन किया गया है ; तथा

(ख) तम्बाकू के लिये आन्तरिक बाजार खोजने के सम्बन्ध में कौन कौन से प्रयत्न करने की प्रस्थापना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) प्रचलित मौसम में देसी और विरजीनिया तम्बाकू के उत्पादन के आंकडे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तम्बाकू के लिये आन्तरिक बाजार पहले ही पर्याप्त रूप में विद्यमान है । यदि भविष्य में इस दिशा में और अधिक आशा दृष्टिगत हुई तो उस की खोज की जायेगी ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : क्या कोई ऐसा अभिवेदन प्राप्त हुआ है कि देश में सिगरेट-निर्माण की स्थिति को सुधारने के लिय एक सिगरेट-निर्माण-फैक्टरी स्थापित की जाये ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस के सम्बन्ध में कई सुझाव आये हैं, परन्तु वे व्यक्ति भी, जिन्होंने एक नयी फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं, ऐसा जानते हैं कि पूर्व-स्थापित फैक्टरियों के कारण इस नवीन फैक्टरी को बड़ी ही क्षति उठानी पड़ेगी ।

खोज सम्बन्धी नल-कूप

*१८६६. **श्री सारंगधर दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों में वर्ष १९५५-५६ के दौरान खोज सम्बन्धी नल-कूप खोदे जायेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : नल-कूप मध्य प्रदेश, भोपाल, बम्बई, सौराष्ट्र और कच्छ में खोदे जायेंगे ?

श्री सारंगधर दास : क्या इसका प्रयोजन यह है कि जहां वर्तमान व्यवस्था में

नलकूप नहीं हैं वहां भूमिगत जल का पता लगाया जाये ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, खोज सम्बन्धी कार्यक्रम लिये जाने का आंशिक प्रयोजन यह भी है ।

श्री सारंगधर दास : यह खोज उड़ीसा, बंगाल तथा माननीय मंत्री द्वारा नहीं उल्लिखित राज्यों में क्यों नहीं की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : खोज करने का विचार किया जा रहा है । मैं ने प्रश्न के अनुसार ही उस का उत्तर दिया है । उड़ीसा भी शामिल है तथा हम वहां खोज सम्बन्धी २० नलकूप खोदेंगे किन्तु यह १९५६–५७ की योजना का अंग होगा ।

सामान बेचने के ठेके

*१८६७. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसे व्यक्तियों की कोई सूची है जिन के पास उन स्टेशनों पर सामान बेचने की अनुज्ञप्तियां थीं जो अब पाकिस्तान में हैं ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे अनुदेश जारी किये हैं कि सामान बेचने की अनुज्ञप्तियां उन्हीं विस्थापित व्यक्तियों के नाम जारी की जायें जिन के पास विभाजन के पूर्व ऐसी अनुज्ञप्तियां थीं ;

(ग) क्या विस्थापित व्यक्तियों को ऐसी अनुज्ञप्तियां उन के घर के निकट के स्टेशनों के लिये दी जाती हैं अथवा अन्य स्टेशनों के लिये भी दी जाती हैं ; तथा

(घ) क्या ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियां जारी करने की कोई निश्चित सीमा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों की कोई पूर्ण सूची नहीं रखी जाती है ।

(ख) जी नहीं ; किन्तु ऐसे अनुदेश जारी किये गये हैं कि बड़े स्टेशनों को छोड़ कर, ठेका देते समय, यदि अन्य चीजें समान हों तो, अनुभवी शरणार्थी भोजन की व्यवस्था करने वालों अथवा सामान बेचने वालों को अधिमान दिया जाये ।

(ग) किसी भी स्टेशन पर, जहां वे आवश्यक स्तर की सेवा प्रदान करने में समर्थ समझे जायें ।

(घ) बहुत बड़े स्थान में सामान बेचने के ठेके प्रायः नहीं दिये जाते ।

श्री भागवत झा आज़ाद : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसी सूची नहीं है तो सरकार किस प्रकार एक झूठे तथा सच्चे शरणार्थी के बीच विभेद करती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : प्रत्येक शरणार्थी जो पश्चिमी अथवा पूर्वी पाकिस्तान से आया है, यहां विधिपूर्वक पंजीयित है । उस के पास शरणार्थी पंजीयन पत्र रहता है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार को मालूम है कि इलाहाबाद, लखनऊ तथा मुरादाबाद विभागों में कई मामलों में, खोमचों में सामान बेचने की अनुज्ञप्तियां शरणार्थियों के नाम पर ऐसे व्यक्तियों को दी गई हैं, जो कि वास्तव में शरणार्थी नहीं हैं ? क्या सरकार इन बातों का सत्यापन करेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : यदि माननीय सदस्य अपने द्वारा निर्देशित व्यक्तियों की सूची देंगे तो हम अवश्य इस मामले की जांच करेंगे ।

श्री भागवत झा आज़ाद : यह मेरा काम नहीं । इस बात को ध्यान में रख कर कि जिन व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियां दी गई हैं उन की संख्या बहुत अधिक है क्या सरकार बहुत सी अनुज्ञप्तियों को एक ही शरणार्थी को दूसरों के मुकाबिले में देना उचित समझती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मुझे माननीय सदस्य से यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि यह उन का कार्य नहीं है तो उन्होंने यह प्रश्न ही क्यों उठाया ?

श्री भागवत झा आज़ाद : मेरा कार्य नीति निर्देशन का है, न कि सी० आई० डी० का ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य को जानकारी अभिप्रेत है तो वह सार्वजनिक हित के लिये, न कि सी० आई० डी० की भांति, जानकारी दें, तथा उसे सरकार के समक्ष रखें ।

श्री भागवत झा आज़ाद : हम वेतन क्यों देते हैं ?

श्री सारंगधर दास : प्रश्न के भाग (घ) के सम्बन्ध में यदि रेलवे बहुत बड़े स्थानों में खोमचों में सामान बेचने के ठेकों को प्रोत्साहित नहीं करती तो क्या वह वर्तमान कुछ बड़े सार्थों के इतने बड़े स्थानों को बन्द करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : कदाचित् माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि इस मामले पर विचार करने के हेतु अलगेशन समिति नाम की उच्चाधिकार युक्त भोजन व्यवस्था समिति नियुक्त की गई थी और उसे ने एक निश्चित नीति बनाई है, जिस के द्वारा रेलवे, भोजन व्यवस्था एवं सामान बेचने के लिये निश्चित बड़े स्थानों एवं एकाधिपत्यों को समाप्त करने जा रहे हैं ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रेलवे

*१८६८. **श्री राधा रमण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंच वर्षीय अवधि में सरकार रेलों के विस्तार की योजनाओं मं ८०० करोड़ रुपये व्यय करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; तथा

(ग) क्या उन को क्रियान्वित करने की पूर्ववर्तिता अपेक्षित है, और यदि हां, तो वह क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में रेलों को दी जाने वाली राशि अभी निश्चित नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). योजना निर्माण की स्थिति में है, इसलिये ली जाने वाली परियोजनाओं तथा उन को क्रियान्वित करने की पूर्ववर्तिता के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना समय से बहुत पहले की बात होगी ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के चारों ओर चलने वाली एक रेल की मांग उत्तरोत्तर बढ़ रही है ; क्या सरकार इसे भी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल करने का विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : ऐसी मांग है । जब हम योजना के अधीन परियोजनाओं पर विचार करेंगे तो इस पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री राधा रमण : क्या सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन प्रस्तावों में दिल्ली तथा उस के पड़ोसी राज्यों के लिये कुछ योजनायें बनाई हैं ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से उन्हें द्वितीय पंच वर्षीय योजना तक रुकने की आवश्यकता नहीं होगी । कुछ ऐसे प्रस्ताव भी हैं, यद्यपि मैं इस समय उन्हें विशिष्ट रूप से नहीं बता सकता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल कांग्रेस समिति के तत्त्वाधान में हुए एक सम्मेलन में माननीय मंत्री ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कुछ परियोजनाओं को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में अपने वक्तव्य दिये हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां, ऐसे वक्तव्य दिये गये हैं और उन से केवल अनुमानों का पता चलता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सिगनल संचालन को सर्वाधिक मान्यता दी जायेगी, और यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा ?

श्री अलगेशन : मैं यथार्थतः नहीं बता सकता कि सिगनल व्यवस्था में हम कितना व्यय करेंगे, किन्तु उन को अवश्य ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा ।

रेलवे दुर्घटना

*१८६९. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **रेलवे** मंत्री २३ फरवरी, १९५५ को पूछे गये प्रश्न संख्या १३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोगीपुरा जंक्शन के निकट, ७ फरवरी, १९५५ को ७–१५ म० पू० पर उत्तर पूर्व रेलवे की ४५० डाउन लखनऊ-कासगंज (यात्री) गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण हुई जन तथा धन की हानि के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर विस्तृत जांच की गयी है ; तथा

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). रेलों के सरकारी इंसपेक्टर के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है । रेलों के सरकारी इंसपेक्टर की जांच केवल संविहित जांच ही नहीं थी, बल्कि विस्तृत जांच भी थी । इसलिये अग्रेतर जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : दुर्घटना से रेलवे को क्या हानि हुई; और उस का विस्तृत विवरण क्या है ?

श्री शाहनवाज़ खां : रेलवे को ५०,९०० रुपये तक की हानि हुई । यदि माननीय सदस्य विस्तृत ब्यौरा चाहते हैं तो मैं वह भी दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, विस्तृत ब्यौरा दीजिये ।

श्री शाहनवाज़ खां : विस्तृत ब्यौरा यह है :—

इंजन—२,००० रुपये ; इंजन-डिब्बे आदि—४६,००० रुपये ; स्थायी मार्ग—२,९४१ रुपये ।

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक

*१८७०. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री चावल गवेषणा संस्था, कटक के सम्बन्ध में १६ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर

के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से समिति की रिपोर्ट की परीक्षा की गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). प्रतिवेदन पर गौर किया जा रहा है तथा यथोचित समय पर उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

श्री संगण्णा : क्या कृषकों के तथा सरकारी प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष कोई साक्ष्य दिये ? यदि हां, तो क्या साक्ष्य दिये ?

डा० पी० एस० देशमुख : समिति का मुख्य निर्देश-पद यह था कि वह इन संस्थाओं के कार्यों के सम्बन्ध में विशिष्ट सिफारिशें करें तथा यदि कहीं दो बार कोई चीज हुई हो तो उस का पता लगायें । ऐसी जांच में साधारण कृषक को कोई स्थान नहीं है ।

श्री संगण्णा मिले-जुले बीज की कितनी किस्मों का प्रस्ताव रखा गया है, तथा १९५४–५५ के दौरान कितनी किस्मों के सम्बन्ध में काम पूरा हो चुका है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं यह जानकारी नहीं दे सकता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

*१८७२. **श्री डाभी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई क्षेत्र के प्रत्येक राजस्व जिले में २,००० अथवा इस से अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे कितने सघन ग्राम समूह हैं जहां अभी डाकखाने नहीं खोले गये हैं ;

(ख) क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक इन सभी गांवों में डाकखाने खोले जायेंगे ; तथा

(ग) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि के लिये १,००० अथवा इस से अधिक की जन संख्या वाले गांवों अथवा ग्रामसमूहों में डाकघर खोलने की कोई योजना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४]** यह भी उल्लेखनीय है कि इन की संख्या बदल सकती है क्योंकि निकटस्थ गांवों के विभिन्न एकलों का समूह बना कर विभिन्न सघन समूह बनाये जा सकते हैं ।

(ख) यह इस बात पर निर्भर है कि इन समूहों के डाकखानों की वार्षिक हानि ७५० रुपये तक तथा उन की दूरी वर्तमान डाकघरों से तीन मील से अधिक है । प्रथम पंच वर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक बम्बई क्षेत्र में लगभग और ४०० कार्यालय खुलने की आशा है ।

(ग) सामान्य प्रश्न विचाराधीन है तथा योजनाओं का अन्तिम रूप से निश्चय नहीं हुआ है ।

श्री डाभी : क्या मैं यही समझूं कि यदि अनुमतियुक्त हानि से अधिक हानि न होने देने की प्रत्याभूति दी जाये तो इन क्षेत्रों में डाकखाने खुल जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : जी हां ; यदि वापस न लौटाये जाने वाले चन्दे की प्रत्याभूति दी जाये ।

श्री डाभी : किन परिस्थितियों में अनुमतियुक्त हानि से अधिक हानि के लिये

प्रत्याभूति ली जाती है, तथा वापस न लौटाये जाने वाला चन्दा कब मांगा जाता है ?

श्री राज बहादुर : वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि डाकखाना खोलने में ७५० रुपये प्रति डाकखाना से अधिक हानि नहीं होती हो तो हम २,००० की जनसंख्या वाले गांवों अथवा २००० की जनसंख्या वाले ग्राम समूहों में डाकखाने खोलते हैं तथा हानि अधिक होने पर यदि उस क्षेत्र के लोग आगे आ कर न लौटाया जाने वाला चन्दा देने की प्रत्याभूति देते हैं तो हम वहां डाक घर खोलते हैं ।

श्री डाभी : मैं न लौटाये जाने वाले चन्दे के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं यदि...

श्री राज बहादुर : मैं ने उस का उत्तर दिया है ।

श्री हेडा : उन क्षेत्रों में जहां कि आदिवासी रहते हैं और वे बहुत दूर दूर रहते हैं क्या वहां पर भी नुक्सान की सीमा ७५० रुपये ही है या ज्यादा है ?

श्री राज बहादुर : वह इलाके जो पिछड़े हुए हैं वहां पर लौस की सीमा १,००० रुपये है ।

श्री गोपी राम : क्या मैं जान सकता हूं कि पहाड़ी इलाकों में जहां जिन की आबादी दूर दूर होती है और कई मीलों तक भी १,००० और २,००० की शर्तें पूरी नहीं होती हैं, वहां गवर्नमेंट किस प्रकार लोगों को डाकखानों की सहूलियतें पहुंचा रही है ?

श्री राज बहादुर : अभी मैं ने बताया कि ऐसे इलाकों में इन डाकखानों पर १००० रुपये तक का नुकसान उठाया जाता है । जहां दो हजार की आबादी नहीं होती है वहां दो हजार की आबादी करने के लिये ग्रुप्स आफ विलेजिस ले लिये जाते हैं ।

कलकत्ते में विमानों के लिये यंत्र द्वारा उतरने की व्यवस्था

*१८७८. **चौ० रघुवीर सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार कलकत्ते में एक प्रामाणिक यंत्र द्वारा विमानों के लिये उतरने की व्यवस्था को स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति पर संभाव्य व्यय कितना होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ७.५ लाख रूपये ।

चौ० रघुवीर सिंह : उसे पूरा करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री राज बहादर : वह कार्य अपने समय से पूरा होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि कलकत्ते में इस पद्धति के स्थापित हो जाने पर क्या विमानों को बहुत गहरे कुहरे में भी उतरना संभव हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर : यह अवतरण के लिये एक सहायता है और बुरे मौसम के लिये ही यह यंत्र स्थापित किया जा रहा है ठीक इसी उद्देश्य के लिये यह स्थापित किया जा रहा है ।

वनस्पति

*१८७९. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसान के ग्राम जीवन तथा पशु न पर वनस्पति घी के प्रभाव को मालूम करने के लिये पहले १९४९ में सरकार ने श्री प्रफुल्ल चन्द्र घोष की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निश्चय किया था ;

(ख) क्या बाद में यह निश्चय किया गया कि समिति न बनाई जाये; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सन् १९४९ में पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा अन्य सदस्यों ने वनस्पति के निर्माण तथा विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक उपस्थित किया था जिस के फलस्वरूप वनस्पति उद्योग का भविष्य बिल्कुल अनिश्चित हो उठा ! अतएव यह निर्णय किया गया कि उक्त समिति का निर्माण न किया जाये किन्तु उस के स्थान पर एक विभागीय जांच की जाये । यह जांच मंत्रालय के एक कर्मचारी द्वारा परिगृहीत हुई ।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि पंडित ठाकुर दास भार्गव के विधेयक के कारण इस समिति का निर्माण नहीं किया गया था । उस के फल-स्वरूप अब उस विधेयक का क्या फल निकला यह भी मंत्री जी को ज्ञात है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई समिति इस सम्बन्ध में बनाने का विचार किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : अभी अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक अफसर इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया था, इस अफसर ने क्या रिपोर्ट दी ? क्या हम को उस का विवरण प्राप्त हो सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : फिलहाल मेरे पास रिपोर्ट नहीं है और यदि माननीय सदस्य वह रिपोर्ट चाहते हैं तो नोटिस दें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मिनिस्टर साहब मेहरबानी कर के फरमायेंगे कि किस तारीख को वह कमेटी मुकर्रर हुई और किस तारीख को दूसरी कमेटी मुकर्रर हुई, घी एडलट्रेशन कमेटी ।

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे ज्ञात नहीं है कि माननीय सदस्य किस समिति का निर्देश कर रहे हैं । जहां तक मुझे प्राप्त जानकारी का सम्बन्ध है, वह यह है कि खाद्य और कृषि मंत्री ने १९४९ में श्री पी० सी० घोष की अध्यक्षता में घी पर वनस्पति का प्रभाव जानने के लिये एक समिति बनाने का निर्णय किया था । विधेयक के फलस्वरूप मंत्रालय ने यह निर्णय किया कि वह विषय मंत्रालय के एक पदाधिकारी को सौंप दिया जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या यह दुरुस्त है कि इस बिल का नतीजा तो अब कहीं सन् ५२, ५३ में निकला और वह कमेटी सन् १९४९ में बनाने की तजवीज थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह नहीं बनाई गई और वह सब काम हमारे सिपुर्द है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सन् १९५२ के नतीजे से जो निकला, उस कमेटी के सन् ४९ में बनाये जाने से उस पर क्या मुमकिन असर पड़ सकता था ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस के बारे में मैं नोटिस चाहूंगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या यह दुरुस्त है कि एक अफसर मुकर्रर किया गया था और उस ने यह रिपोर्ट की थी कि कैटिल इन्डस्ट्री पर वनस्पति का बड़ा खराब असर पड़ा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस के लिये नोटिस चाहूंगा ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस समय की जो परिस्थिति है, उस में सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करने की बात सोच रही है, या यह मामला बिलकुल दफना दिया गया है और इस मामले में अब सोचने की बिलकुल जरूरत नहीं है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि मुनासिब कार्यवाही हो रही है और हो भी चुकी है ।

भारतीय वन अधिनियम

*१८८२. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** १९ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन अधिनियम, १९५२ के अधीन बनाये गये नियमों में अब कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री बीरेन दत्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को किसान सभाओं की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरी जानकारी में नहीं है ।†

'सर्पसिल' औषधि

*१८८३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** १२ अगस्त, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स सिबा फारमा, लिमिटेड द्वारा रक्तचाप की अधिकता के इलाज के लिये भारतीय जड़ी बूटी से तैयार की गयी 'सर्पसिल' औषधि के प्रयोगों का क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) क्या यह तथ्य है कि लकड़ी के गूदे और सोयाबीन से प्राप्त रासायनिक पदार्थों के भी रक्तचाप की अधिकता के लिये प्रभावपूर्ण पाये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) और (ख) . सरकार को जानकारी नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य है कि भारतीय चिकित्सकों द्वारा सर्पसिल और अप्रेसोलीन दोनों एक साथ रक्तचाप के इलाज के लिये दिये जाते हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : हां । ये औषधियां रक्तचाप को कम करने के लिये भारत में सदियों से काम में लायी गयी हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य नहीं है कि 'सर्पसिल' भारत में पाये जाने वाले एक पौधे की जड़ से तैयार की जाती है, और क्या भारत सरकार ने इस तथा अन्य पौधों को काम में लाने के लिये कोई कार्यवाहियां की हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : हां, श्रीमान् । वास्तव में "रौफिला सर्पेन्टिना" पौधे का निर्यात बन्द कर दिया गया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वह पौधा समाप्त हो जाये ; और वह औषधि भारत में भी तैयार की जा रही है ।

---

†यह बाद में शुद्ध किया गया था । देखिये स्तम्भ २२०४

चीनी मिलें

*१८८४. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) उन चीनी के मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने १९५३–५४ में चीनी के अपने निर्यातों के लिये प्रतिकर की मांग की है ;

(ख) प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गयी है ;

(ग) क्या अब भी कोई बकाया बाकी है;

(घ) १९५३–५४ में कुल कितनी चीनी निर्यात की गई और देय प्रतिकर की प्रतिमन दर क्या है; और

(ङ) किन कारणों से सरकार ने इस निर्यात को प्रोत्साहन दिया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ङ). ३१ जनवरी, १९५३ से भारत से चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी गयी थी, और इसलिये १९५३–५४ में कोई चीनी निर्यात नहीं की गयी थी। ३१ जनवरी, १९५३ के पूर्व किये गये निर्यातों के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ५**]

श्री के० सी० सोधिया : सरकार ने शूगर के ऊपर जो खास ड्यूटी लगाई थी, उस में जितना पैसा इकट्ठा हुआ था, उस में से यह रुपया दिया गया था या और कहीं से दिया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह उसी में से दिया गया था इसी सबब वह ड्यूटी लगाई गई थी ।

श्री के० सी० सोधिया : सारा का सारा रुपया खर्च हो गया या कुछ उस में से बच गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं सूचना चाहूंगा ।

डकोटा विमानों का आपस में टकरा जाना

*१८८७. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ मार्च, १९५५ को इंडियन एयर लाइंन्स कार्पोरेशन के दो डकोटा विमान दमदम हवाई अड्डे पर जमीन से उठते समय परस्पर टकरा गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस से उन जहाजों को क्या क्षति पहुंची और कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या यात्रियों को भी कोई चोट आदि लगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान् । दोनों विमानों के पंख जो उड़ान के पूर्व भू-धावन कर रहे थे, आपस में रगड़ खा गये थे ।

(ख) क्षति न्यून हुई ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह बात सत्य नहीं है कि दो विमानों के आपस में टकराव से दो यात्रियों को चोट पहुंची थी ?

श्री राज बहादुर : यह दो प्लेनों का लड़ना नहीं कहा जा सकता है और न उन प्लेनों के किसी यात्री को कोई हानि पहुंची है । हवाई अड्डे पर गहरा कुहरा छाया हुआ था और इस वजह से ही प्लेनों के उड़ने में देरी हुई और उस हालत में ही जब एक प्लेन

टैक्सी करने को जा रहा था तो दूसरे प्लेन की "एलीरोन" विंगटिप टच हो गई थी ।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, लिमिटेड

*१८८८. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५१ को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, लिमिटेड, बंगलौर में कितने गैर-भारतीय पदाधिकारी सेवायुक्त थे ;

(ख) २८ फरवरी, १९५५ को ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिन में उक्त अवधि में गैर-भारतीय पदाधिकारियों के स्थान पर प्रशिक्षित भारतीय पदाधिकारी रखे गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आठ ।

(ख) चार ।

(ग) आठ ।

पीलीभीत सिटी डाकघर

*१८८९. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि पीलीभीत के सिटी डाकघर में २२ मार्च, १९५५ से चिट्ठियां और अन्य चीजों को पंजीयन के लिये लेने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कारण जनता को हो रही तकलीफ को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां । २२ से २६ मार्च, १९५५ तक पंजीयन बन्द रहा था ।

(ख) उस कार्यालय में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के कारण ।

(ग) इस विषय की जांच की जा रही है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कार्यवाहियां की गयी हैं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या अब पंजीयन चालू हो गया है ?

श्री राज बहादुर : वह ठीक २६ मार्च, १९५५ को ही चालू हो गया था ।

उत्तर प्रदेश की सीमा पर वन रोपण

*१८९१. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की ओर उत्तर प्रदेश की सीमा पर पांच मील चौड़ी वन की पट्टी बनाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ; और

(ख) उस के पूरे होने में लगभग कितना समय लगेगा ;

(ग) केन्द्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड द्वारा मंजूर किये गये १२,३०,००० रुपयों के ऋण के अतिरिक्त क्या इस प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अर्थ सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) राजस्थान रेगिस्तान के सीमा वाले जिलों में वन रोपण कार्य को पूर्ण करने के लिये कितना समय लगेगा, यह बताना राज्य सरकार के लिये सम्भव नहीं है ।

(ख) १५ वर्ष, बशर्ते कि भूमि उपलब्ध की जाये तथा आवश्यक धन प्राप्त हो ।

(ग) तथा (घ). अर्थ सहायता के प्रदान का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या वन रोपण कार्य का जो काम केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व खाद्य मंत्री ने प्रारम्भ किया था, वह अब छोड़ दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं वह तो वन महोत्सव है, और यह जो रेगुलर प्लान्टेशन है, इस में फर्क है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता के लिये कितना अनुदान देती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि हम कुछ भी पैसा देते हैं, यह पैसा तो राज्य सरकारें स्वयं अपने ऊपर खर्च करती हैं, पब्लिसिटी के ऊपर खर्च करने के अलावा हम कुछ खर्च नहीं करते ।

श्री भागवत झा आज़ाद : यह जो अभी आपने बतलाया कि अर्थ सहायता के प्रदान का प्रश्न अभी विचाराधीन है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर-प्रदेश की सरकार ने कितनी सहायता की मांग की है और आप उस के लिये क्या कर रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ने पेश्तर जो जवाब दिया, उस से मेरा मकसद वन महोत्सव से था और उस के लिये हम कुछ पैसा नहीं देते हैं । लेकिन जहां तक इस का सवाल है, उस के लिये तो हम ने सेंट्रल सौयल कंजरवेशन बोर्ड नियुक्त किया है जिस के अधीन यह सब मामले जाते हैं । मेरे पास वह आंकड़े नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता केन्द्र से मांगी है ।

बीड़ी कर्मचारियों में जीविका विशेष के कारण उत्पन्न रोग

*१८९२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी कर्मचारियों के जीविका विशेष के कारण उत्पन्न रोगों के सम्बन्ध में कोई अग्रिम सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस के अधीन ;

(ग) क्या वह सर्वेक्षण पूरा हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (घ). भारत सरकार की देखरेख के अधीन ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है । यहां यह बताया जा सकता है, कि कुछ समय पूर्व इस मंत्रालय के आदेश से राज्य सरकारों ने बीड़ी कारखानों में सेवायुक्त बच्चों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अनुसन्धान किये गये थे । प्राप्त उत्तरों के सारांश को दिखाने वाला एक विवरण, जो २१ नवम्बर, १९५३ को सभा पटल पर रखा गया था पुनः पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६]**

श्री डी० सी० शर्मा : मुझे दिये गये विवरण से यह ज्ञात होता है कि इन कर्मचारियों के काम करने की जगहों की दशायें बहुत ही खराब हैं । वहां बहुत भीड़ रहती है, प्रकाश कम होता है और हवा के आने जाने के प्रबन्ध भी बहुत बुरे हैं । क्या सरकार उस विषय में कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री आबिद अली : यह मुख्यत: राज्य सरकारों से सम्बन्धित विषय है । हम ने उन्हें लिखा है और वे इस विषय में आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह तथ्य नहीं है, जैसा कि विवरण में दिया गया है, कि इन बीड़ी कर्मचारियों के काम करने के घंटे बहुत अधिक हैं । और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि काम के घंटे कम किये जायें ?

श्री आबिद अली : जैसा कि पहले ही मैं ने निवेदन किया, राज्य सरकारों को इसकी ओर ध्यान देना है और हमने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि सरकार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है, क्या वह ऐसे कारखानों में बालक मजदूरों की नियुक्ति का प्रतिबंध करने के लिये कोई विधान अधिनियमन करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री आबिद अली : अभी भी कारखानों में बच्चों की नियुक्ति प्रतिषिद्ध है ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

समाचारीय चलचित्रों और प्रलेखीय चलचित्रों का प्रदर्शन

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६, श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारीय चलचित्रों और प्रलेखीय चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये चलचित्र उद्योग के साथ कोई ठेका किया गया है ;

(ख) क्या मद्रास में समाचारीय चलचित्रों और प्रलेखीय चलचित्रों का प्रदर्शन बन्द कर दिया गया है और यदि हां तो कब से ?

(ग) यह किस कारण बन्द किया गया है, और किस अभिकरण द्वारा बन्द किया गया है ; और

(घ) क्या मद्रास की जनता की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) चलचित्र उद्योग के साथ ऐसा कोई ठेका नहीं है, किन्तु चलचित्र विभाग सब चलचित्र प्रदर्शकों के साथ समाचारीय चलचित्रों और प्रलेखीय चल-चित्रों के नियमित रूप से उन्हें दिये जाने के सम्बन्ध में किराये के आधार पर एक प्रामाणिक ठेका करता है ।

(ख) हां । १ अक्टूबर, १९५४ को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद से अधिकतर चल-चित्रालयों ने प्रदर्शन बन्द कर दिया था । जिन्होंने प्रदर्शन बन्द किया था, उनमें से ५१ स्थायी चल-चित्रालयों और २० पर्यटक चल-चित्रालयों ने स्वेच्छा से ही प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिया है । वर्तमान स्थिति यह है कि कुल ३१४

स्थायी चल-चित्रालयों में से ७५ स्थायी चल-चित्रालय और २१ पर्यटक चल-चित्रालय समाचारीय चलचित्रों और प्रलेखीय चल-चित्रों को प्रदर्शित कर रहे हैं ?

(ग) प्रदर्शन उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के कारण बन्द किया गया था जिसमें पुराने १९१८ के चलचित्र अधिनियम के अधीन मद्रास सरकार द्वारा बनाये गये नियम को, इस आधार पर कि उस नियम में प्रदर्शित किये जाने वाले चलचित्रों के न तो स्वरूप का और न उन को दिखाई जाने वाली लम्बाई का निर्धारण किया गया था, अमान्य घोषित किया गया था । अधिकतर अन्य राज्यों के विपरीत, मद्रास राज्य ने १९५२ के चलचित्र अधिनियम की धारा १२ (४) के अनुसार, जिस पर वह आपत्ति नहीं उठायी जा सकती थी जो उच्चतम न्यायालय में उठायी गयी थी, आवश्यक विधान अधिनियमित नहीं किया था ।

उस निर्णय से लाभ उठा कर दक्षिण भारत चलचित्र वाणिज्य-मंडल ने ऐसे चल-चित्रों का प्रदर्शन बन्द करने के लिये एक संकल्प पारित किया था । फिर भी अनेक चलचित्रालयों ने अपनी इच्छा से ही ऐसे चलचित्रों का प्रदर्शन या तो प्रारम्भ कर दिया या जारी रखा । प्रदर्शन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अनेक चलचित्रालयों की इच्छा और प्रयत्न कुछ वितरकों के विरोध के कारण जिन पर कि ये चलचित्रालय चलचित्रों के लिये निर्भर रहते हैं, सफल नहीं हो सके ।

(घ) समाचारीय चलचित्रों और प्रलेखीय चलचित्रों के प्रदर्शन के बन्द किये जाने के विरुद्ध अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं से मंत्रालय को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । समाचार पत्रों में जनता का विरोध भी व्यक्त किया गया है । आशा की जाती है कि १९५२ के चलचित्र अधिनियम की धारा १२ (४) के अनुरूप अपेक्षित विधान के पारित हो जाने पर, जो कि अभी मद्रास विधान सभा के समक्ष है, वर्तमान स्थिति में सुधार हो जायेगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह तथ्य है कि चलचित्र गीतों के प्रसारण के सम्बन्ध में चलचित्र उद्योग और मंत्रालय के बीच कोई झगड़ा चल रहा है, और अनुमोदित चलचित्रों का प्रदर्शन न करना उस की एक शाखा है ?

डा० केसकर : नहीं, श्रीमान् । मैं ऐसा नहीं समझता हूं । जहां तक चलचित्र-गीतों से सम्बन्धित विवाद का प्रश्न है, यह विषय कई बार सभा के समक्ष प्रश्नों के रूप में रखा गया है । और पर्याप्त विस्तृत उत्तर दिये गये हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि मद्रास में चलचित्र प्रदर्शकों द्वारा समाचारीय चल-चित्रों और प्रलेखीय चलचित्रों का प्रदर्शन न करने का एक कारण प्रादेशिक भाषाओं में प्रलेखीय चलचित्रों की पर्याप्त संख्या न होना भी है ? यदि हां, तो सरकार इस दोष को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

डा० केसकर : मैं नहीं समझता कि यह एक कारण है । वास्तव में मुख्य कारण यह था । बहुत समय पहले अर्थात् संविधान लागू होने के तुरन्त बाद, मद्रास के वितरकों ने मद्रास उच्च न्यायालय में यह विवाद प्रारम्भ किया था कि मद्रास का नियम उचित निबन्धन लागू नहीं कर

रहा है अर्थात् अनुचित निबन्धन लागू किये जा रहे हैं और वह विवाद सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में जाता रहा है। उस के शक्ति परस्तात् घोषित किये जाने का एक कारण यह था कि इस बीच मद्रास सरकार उस पुराने नियम को जो कि नये संविधान के लागू होने से पहले बनाया गया था, बदल नहीं सकी थी।

श्री के० जो० देशमुख : क्या इस विनिश्चय से किसी स्थान पर प्रलेखीय चलचित्रों का दिखाया जाना आंशिक रूप से या सम्पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है ?

डा० केसकर : नहीं, मद्रास को छोड़ कर।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को मालूम है कि जनता चाहती है कि सरकार सूचना और नाट्य पत्रिका खुद बनाये और किसी प्राइवेट एजेंसी के हाथ में न दे ?

श्री गाडगील : जैसे यहां पर भाषण नहीं पढ़ा जाता है वैसे सवाल भी नहीं पढ़ा जाना चाहिये।

डा० केसकर : सवाल मेरी समझ में नहीं आया है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को ज्ञात है कि जनमत पूर्ण रूप से इस पक्ष में है कि राष्ट्रीय प्रलेखीय चल चित्रों तथा फीचरों के बनाने तथा उन पर नियंत्रण रखने का काम सरकार द्वारा किया जाये और गैर-सरकारी अभिकरणों को न सौंपा जाये ?

डा० केसकर : जनमत सरकार द्वारा बनाये गये प्रलेखीय चलचित्रों को बहुत पसन्द करता है। मुझे यह पता नहीं कि जनता उस के विरुद्ध है। परन्तु जनमत के इस झुकाव का एक कारण यह हो सकता है कि गैर सरकारी तौर पर बनाये गये प्रलेखीय चलचित्र बहुत घटिया किस्म के होते हैं ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : सरकार इस के लिये क्या उपाय कर रही है कि मद्रास नगर के नागरिक इन बहुमूल्य प्रलेखीय चलचित्रों को देखने के लाभ से वंचित न रखे जायें ?

डा० केसकर : मद्रास सरकार से इस अधिनियम को शीघ्र से शीघ्र पारित कर देने को कहा गया है, जब तक यह अधिनियम पारित नहीं हो जाता है इस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता है।

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर की शुद्धि

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : क्या मैं आज प्रातः तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को शुद्ध कर सकता हूं ? प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ने कहा था कि "मेरी जानकारी में नहीं", †परन्तु मुझे पता चला है कि राज्य सरकारों को अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और काश्तकारी अधिनियम के संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

---

†देखिये स्तम्भ २१९१।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डाकघर बचत बैंकों में चैक प्रणाली

*१८३३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **संचार** मंत्री ५ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों के बचत बैंकों के लेखाओं में चैक प्रणाली चालू करने के निश्चय को अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है ; और

(ख) इस प्रथा को कब तक लागू करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सरकार को सुझाव दिया गया है कि डाकघरों के सेविंग्स बैंक लेखाओं में चैक प्रणाली चालू करने के पूर्व नेगोशियेबिल इंस्ट्रमेन्ट ऐक्ट के प्रकरण ३ में संशोधन आवश्यक है ताकि "बैंकर" शब्द के अर्थ में डाक घर के सेविंग्स बैंक भी सम्मिलित कर लिये जावें । यह मामला तथा चेक-व्यवहार सम्बन्धी कार्यविधि विचाराधीन है । चेक-व्यवहार जितनी जल्दी संभव हो सका चालू कर दिया जायेगा ।

कोढ़ नियंत्रण

*१८३४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री वी० मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि कोढ़ नियंत्रण विस्तार योजना के अन्तर्गत कितने स्थानों में केन्द्र खोलने का आयोजन किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): १५ (पन्द्रह) ।

रेल के इंजन

*१८३७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों में कितने प्रकार के इंजनों को काम में लाया जाता है ; और

(ख) क्या इंजनों के किस्मों की संख्या घटाने के कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) छोटी बड़ी सभी लाइनों पर २४८ जिस में भाप, बिजली तथा डीजल तेल से चलने वाले सभी प्रकार के इंजन शामिल हैं ।

(ख) हां ।

सिंचाई की दरें

*१८३९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में हुई केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के सम्मेलन ने नहर से तथा नल कूप से की जाने वाली सिंचाई की दरों के समूहन की सिफारिश की है ?

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां ।

(ख) और (ग). यह सिफारिश सम्बद्ध राज्य सरकारों को विचार करने के लिये भेज दी गई हैं ।

चोनो विकास बोर्ड

*१८४५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री २० दिसम्बर, १९५४ के

तारांकित प्रश्न संख्या १४०५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चीनी विकास बोर्ड के लिये मजूर प्रतिनिधियों के नाम निर्देशन की सिफारिश करने के पूर्व चीनी उद्योग की विभिन्न मजदूर सभाओं की सापेक्ष प्रति निधित्व-प्रकृति की जांच किस प्रकार की है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जनमत संग्रह किये जाने पर आई० एन० टी० यू० सी० अधिकांश मत प्राप्त करने में असमर्थ रहा था ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) विभिन्न संगठनों की प्रतिनिधित्व प्रकृति की जांच मुख्य श्रम उपयुक्त द्वारा की गई थी जिन्होंने मजूरों के प्रमुख केन्द्रीय अखिल भारतीय संग ठनों की सहायता के दावों का सत्यापन किया ।

(ख) भारत सरकार को जनमत संग्रह के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता

*१८४६. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उन राज्यों के नाम, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के वेतन में वृद्धि करने की अपनी योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) इन राज्यों ने कितनी धनराशि है ; और

(ग) २८ फरवरी, १९५५ तक वास्तव में कितनी धनराशि उन के लिये मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई प्रार्थना भारत सरकार से नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

डाक विभाग के कर्मचारी

*१८५०. **श्री य० एम० त्रिवेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों के लेखा उपविभाग तथा अन्य उपविभागों के कर्मचारियों के सेवा के निबन्धनों तथा शर्तों तथा उन के कर्त्तव्यों की जांच करने के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था,

(ख) क्या उस के द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्रधान डाकघरों तथा आर० एम० एस० के मुख्य अभिलेख कार्यालयों के लेखा उपविभागों की कर्मचारी संख्या का निर्धारण करने के लिये एक मापमान तैयार करने के हेतु एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था ।

(ख) हां ।

(ग) प्रतिवेदन की जांच सरकार द्वारा की जा रही ।

रेलों में पदोन्नति

*१८५४. **श्री वीरस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदो-न्नति द्वारा तृतीय श्रेणी में नियुक्त करने की

अवधि सीमा पांच वर्ष से बढ़ा कर सात वर्ष कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां । दक्षिण रेलवे ने १ अप्रैल, १९५४ से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति द्वारा तृतीय श्रेणी में नियुक्त करने की अवधि सीमा पांच वर्ष से बढ़ा कर सात वर्ष कर दी है ।

(ख) ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि रेलवे सेवा आयोग द्वारा तृतीय श्रेणी की सेवा में न चुने जाने वाले अर्ह अभ्यार्थियों में फैली इस धारणा को दबाया जाये जिस के फलस्वरूप वे अल्प समय में ही तृतीय श्रेणी में पहुंच जाने की आशा में चतुर्थ श्रेणी में सेवा करना स्वीकार कर लेते थे । इस से अधिक सेवा काल वाले चतुर्थ श्रेणी के साधारण कर्मचारियों को अड़चन होती थी क्योंकि पदोन्नति की वर्तमान प्रक्रिया प्रवरण करने की है ।

अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम

*१८५६. **श्री के० सी० जेना :**
श्री० एन० राचय्या :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २३ फरवरी, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय किसान युवक विनिमय कार्यक्रम के अतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के कितने प्रार्थनापत्र, राज्यवार, किसानों से प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) चुने जाने वाले प्रार्थियों राज्य-वार, की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता । [देखिये परिशिष्ट अनुबन्ध संख्या ७]

अमरीका से घी का आयात

*१८५८. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री, १४ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका से घी का आयात करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में क्या विनिश्चय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां ।

(ख) इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे कर्मचारी

*१८६१. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों के समुचित आधार पर उत्तर रेलवे स्थानान्तरणों की एक एक रूप नीति निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के परिपालन का सुनिश्चय करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अघोषित रेलवे कर्मचारियों के एक रेलवे से दूसरी रेलवे में स्थानान्तरण किये जाने के कोई नियम

निर्धारित नहीं किये गये हैं । सामान्यतः किसी भी रेलवे कर्मचारी को उस के समस्त सेवा काल में उसी रेलवे में सेवायुक्त रखा जायेगा जिस में उस की प्रथम बार नियुक्ति हुई हो तथा वह अधिकार के रूप में किसी अन्य रेलवे में भेजे जाने का वह दावा नहीं कर सकेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

जाली रेलवे टिकट

***१८६५. श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में अंतर्राज्य गिरोहों द्वारा बेचे गये जाली रेलवे टिकटों में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त थी ;

(ख) क्या इसी अवधि में ज रेलवे टिकट बेचने के अपराध में कुछ व्यक्ति पकड़े गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन की कुल संख्या कितनी है और वे किन राज्यों के हैं ; और

(घ) ऐसे जाली रेलव टिकटों की बिक्री को रोकने के लिये सरकार ने कौन से विशेष उपाय किये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) राशि ज्ञात नहीं है ।

(ख) हां ।

(ग) २२, जिन में से सात पश्चिम बंगाल के हैं , आठ बिहार के हैं, छै उत्तर प्रदेश के हैं तथा एक पंजाब का है ।

(घ) टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों को ऐसे मामलों का पता लगाने के लिये विशेष सतर्कता दिखाने के लिये कह दिया गया है । इस काम के लिये विशेष कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं तथा ऐसी जालसाजी में लिप्त संदिग्ध अपराधियों की कार्यविधि पर पुलिस द्वारा निगाह रखी जाती है ।

जाली रेलवे टिकट

***१८७१. श्री एस० एन० दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ मार्च, १९५५ को उत्तर कलकत्ता में पुलिस ने एक छोटे से रेलवे टिकट घर पर छापा मारा था ; और

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार के टिकट तथा वस्तुएं पाई गई थीं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां ।

(ख) वहां से जाली रेलवे टिकट और "कुछ असली रेलवे टिकट तथा मुद्रण व तिथि अंकन करने वाले उपकरण पुलिस द्वारा बरामद किये गये थे ।

कृषि अर्थ गवेषणा पर प्रतिवेदन

***१८७३. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका के दो अर्थशास्त्रियों अर्थात् हार्वर्ड विश्व-विद्यालय के प्रो० जोन डी० ब्लैक तथा संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि-अर्थ परिषद् के डा० एल० स्टीवर्ट ने देश में कृषि अर्थ के क्षेत्र में सारे गवेषणा कार्य का समन्वय करने के लिये भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के तत्त्वावधान में एक शक्तिशाली समिति के निर्माण के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं, उस के विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) कृषि सम्बन्धी गवेषणा, प्रशिक्षण तथा प्रशासन और सांख्यिकी विभाग में सुधार करने के बारे में दोनों विशेषज्ञों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की मार्फत कार्य किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उस की रूप-रेखा क्या है और उन्हें केन्द्र द्वारा क्या सहायता दी जायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) कृषि अर्थशास्त्र के गवेषण की उन्नति, समन्वय तथा वित्त सहायता के लिये भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् में एक कृषि-अर्थ शास्त्रीय समिति स्थापित की गई है ।

(ख) से (घ). की गई विभिन्न सिफारिश भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं ।

इंजन डिब्बे आदि के निर्माण सम्बन्धी समिति

*१८७४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी लाइन के इंजनों तथा माल गाड़ी के डिब्बों के निर्माण के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे के इंजन तथा डिब्बे

*१८७५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री १० मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय अमरीकी प्रविधिक सहयोग सहायता कार्य-क्रम के अंतर्गत कितने इंजन तथा डिब्बे इंगलैंड द्वारा दिये जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (२५) पच्चीस ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*१८७६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९५५ से कर्मचारी राज्य बीमा योजना कुछ नये स्थानों में लागू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन सब स्थानों में कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) हां ।

(ख) मद्रास राज्य में कोयम्बटूर, तथा मध्य भारत में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन तथा रतलाम ।

(ग) ८९,००० ।

नासूर

*१८७७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में आजकल नासूर की चिकित्सा करने के लिये एक नई विधि का प्रयोग किया जा रहा है जिसे 'इस्कोप गन' कहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत के अस्पतालों में भी इस को चालू करने का विचार करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) हां ।

(ख) अभी यह प्रश्न विचाराधीन है ।

चिकित्सा अध्यापक

*१८८०. **श्री गिडवानी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की इस सिफारिश की ओर आकर्षित कराया गया है कि राज्य सरकारों को आर्थिक अनुदान दिया जाये जिस से कि वह चिकित्सा संस्थाओं में नियुक्त अध्यापकों के वेतन क्रम की वृद्धि कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) (क) और (ख). जी हां । यह विषय विचाराधीन है ।

भारतीय एयरलाइन्स कार्पोरेशन की प्रविधिक समिति

*१८८१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई प्रविधिक समिति ने एयर-लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा इस समय काम में लाये जा रहे डकोटा वायुयानों को प्रति-स्थापित करने के लिये विभिन्न प्रकार के वायुयानों के तुलनात्मक गुणावगुणों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) प्रतिवेदन की विषयवस्तु क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उस को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो डकोटा वायुयानों के स्थान पर किस प्रकार के वायुयान रखे जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). ब्रिटिश वाईकाउन्ट तथा अमरीकी कौनवेयर वायुयानों की विशेषताओं तथा तुलनात्मक कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई प्रविधिक समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जो कि दोनों प्रकार के विमानों की तुलनात्मक कार्यक्षमता तथा आर्थिक विशेषताओं की, एक ब्यौरेवार प्रविधिक व्याख्या है । इस प्रतिवेदन की जांच करने के पश्चात्, संचार मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि भारतीय एयरलाइन्स कार्पोरेशन के सीधे मार्गों के लिये वाईकाउंट विमान अधिक उपयुक्त हैं ।

रेलवे मेल सर्विस के कर्मचारी

*१८८५. **डा० सत्यवादी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मेल सर्विस के कर्मचारियों को सभी स्वीकृत छट्टियों का लाभ नहीं लेने दिया जाता है और उन्हें केवल ऐसी एक तिहाई छट्टियां मिलती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो छुट्टियों में कार्य करने के लिये उन्हें कोई भत्ता दिया जाता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अधीक्षक, रेलवे मेल सर्विस, के कार्यालय के कर्मचारियों को प्रशासन कार्यालयों में होने वाली समस्त छुट्टियां मिलती हैं। रिकार्ड आफिस के कर्मचारियों को डाक-घर की समस्त छुट्टियां दी जाती हैं। 'मेल' कार्यालय के कर्मचारियों को क्रमानुसार डाक-घरों की छुट्टियों के दिन अवकाश दिया जाता है। गाड़ी पर चलने वाले कर्मचारियों को कोई ऐसी छुट्टी नहीं दी जाती।

(ख) कोई भत्ता नहीं दिया जाता।

खाद्यों को डिब्बों में बन्द करने का उद्योग

*१८८६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डिब्बों में खाद्य को बन्द करने के उद्योग को कोई संरक्षण दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) किन देशों को, यदि कोई हों तो, इन डिब्बों में बन्द खाद्यों का निर्यात किया जाता है; और

(घ) किस किस किस्म के खाद्यान्नों का निर्यात किया जाता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां। जहां तक केवल फल उत्पाद उद्योग का सम्बन्ध है ;

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ग) ब्रिटेन, जिद्दा, अदन, कुवैत, बेहरीन तथा पूर्वी अफ्रीका।

(घ) डिब्बों में बन्द आम, अनन्नास, संतरा, कुछ डिब्बों में बन्द सब्जियां तथा डिब्बों में मछलियां।

छोटे स्टेशनों का खोला जाना

*१८९०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर–दरभंगा शाखा के लहारिया सराय तथा हईया घाट के मध्य खोले जाने वाले छोटे (फ्लैग) स्टेशन को, जिस को पहले रतनपुरा लैवल क्रौसिंग के समीप खोलने का निश्चय किया गया था, और दक्षिण की ओर ले जाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) इन स्टेशनों के मध्य हईया घाट से २.७६ मील की दूरी पर तथा लहरिया सराय से ३.९८ मील की दूरी पर एक क्रासिंग स्टेशन खोलने की प्रस्थापना को १९५५–५६ के स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है।

(ख) इस प्रस्तावित क्रासिंग स्टेशन का स्थान कार्य संचालन सुविधा पर चुना गया है।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

*१८९३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) भारत में अभी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कहां कहां पर हैं ;

(ख) उन पर अलग अलग कितना आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय होता है ;

(ग) एक केन्द्र के भवन निर्माण पर अनुमानतः कितनी राशि की आवश्यकता पड़ती है ; और

(घ) औजारों और अन्य सामानों के लिये एक केन्द्र में अनुमानतः कितनी राशि की आवश्यकता होती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ९]**

(ख) अलग अलग केन्द्र पर किये हुए व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) भवन निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है ।

(घ) १३,४६० रुपये ।

न्यूटन-चिकली दुर्घटना जांच समिति

***१८९४. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूटन-चिकली खान दुर्घटना जांच समिति पर फरवरी, १९५५ तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ख) क्या उस के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के लिये कोई समय-सीमा निश्चित की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १२१५ रुपये ३ आने ।

(ख) जी नहीं ।

काम दिलाऊ दफ्तर

***१८९५. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **श्रम मंत्री** सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) जनवरी और फरवरी, १९५३ में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कानपुर के काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने ग्रेजुएटों ने अपने नाम दर्ज कराये ; और

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ग्रेजुएट उम्मीदवारों की गणना जनवरी और फरवरी, १९५५ की अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन की गणना प्रत्येक तिमाही बाद की जाती है ।

(ख) नौकरी प्राप्त करने वालों की गणना उन के रजिस्टर होने के मास से नहीं की जाती है, अपितु उन की गणना लाइव रजिस्टर तथा उन की नौकरी के मास के अनुसार ही की जाती है । अक्टूबर से दिसम्बर १९५४ तक रजिस्ट्रेशन कराने और नौकरी प्राप्त करने वालों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १०]**

परिवहन व्यवस्था

***१८९६. चौ० रघुवीर सिंह :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के खेवा तथा बड़े नावन्तरण वाले स्थानों पर माल को चढ़ाने उतारने के ठेकों की अवधि के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड की नीति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि मनिहारीघाट पर माल को चढ़ाने उतारने के ठेके को सेवा के संतोषजनक होने के कारण १९४१ से समय समय पर बढ़ाया जा रहा है ; और

(ग) भागलपुर तथा मोकामा और जैसे अन्य संयुक्त फैरी सेवा स्टेशनों पर माल

के चढ़ाने उतारने के ठेकों की अवधि के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड की नीति क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ग). वर्तमान नीति के अनुसार इस प्रकार के माल चढ़ाने उतारने के ठेकों की अवधि तीन वर्ष है ।

(ख) वर्तमान ठेकेदार के पास यह ठेका १९४१ से है ।

वायु दुर्घटनायें

*१८९७. **श्री गिडवानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वायु परिवहन अनुज्ञापन बोर्ड के सभापति द्वारा दिये गये उस प्रेस विवरण की ओर आकर्षित किया गया है जिस में बताया गया है कि अधिकतर वायु दुर्घटनायें चालक की गलतियों से हुई थीं तथा आपतकालीन प्रक्रिया के सम्बन्ध में उन को और अधिक प्रशिक्षण तथा अभ्यास की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) देश में भारतीय एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल ने, जो कि देश भर में व्यवसायिक चालकों के सब से बड़े नियोजक हैं, अपने चालकों के लिये सावधिक प्रशिक्षण का एक प्रकृष्ट प्रत्यास्मरण कार्यक्रम चालू किया है ।

अनुसूचित तथा अननुसूचित सेवाओं को चलाने वाले प्रत्येक चालक की यंत्रों की सहायता से उड़ान करने तथा आपातकालीन प्रक्रियाओं सम्बन्धी कार्य क्षमता की कम से कम छः मास में एक बार जांच किये जाने के सम्बन्ध में भी आदेश जारी कर दिये गये हैं । कार्यक्षमता सम्बन्धी यह जांच असैनिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा स्वीकृत जांच करने वाले चालकों द्वारा की जाती है तथा उन के जांच प्रतिवेदन पर अनुज्ञप्तियों का नवीकरण करते समय विचार किया जाता है । यदि किसी चालक को उड्डयन प्रविधि में अपूर्ण पाया जाता है, तो उस की अनुज्ञप्ति के नवीकरण से पूर्व उस को अग्रेतर प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित होता है । समान मानदंडों को लागू करने के लिये, अब अनुज्ञप्तियों का नवीकरण असैनिक उड्डयन महानिदेशक के कार्यालय में किया जाता है । पहले अनुज्ञप्तियों का नवीकरण विभिन्न क्षेत्रों के एयरोड्रोम नियंत्रकों द्वारा किया जाया करता था ।

केन्द्रीय गवेषणा, संस्था, कसौली

*१८९८. **डा० सत्यवादी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गवेषण संस्था, कसौली में ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो २४ घंटे निरंतर काम करते हैं ; और

(ख) अतिरिक्त काम करने के लिये उन्हें क्या पारिश्रमिक दिया जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) सात ।

(ख) वेतन के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता है ।

मछलियों को डिब्बों में बन्द करने के कारखाने

*१८९९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) भारत में मछलियों को डिब्बों में बन्द करने के कारखाने कितने हैं ;

(ख) वे किन राज्यों में स्थापित हैं ; और

(ग) क्या डिब्बों में बन्द मछली का विदेशों को निर्यात किया जाता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ११]**

स्थान-रक्षण फीस

५३८. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों पर आठ आने की 'स्थान रक्षण फीस' नहीं लगाई जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो यह निश्चय किस तिथि से लागू होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था

५३९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन के सम्बन्ध में क्या सलाह दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था ने, जिस ने ३ जनवरी, १९५५ से कार्य प्रारंभ किया है, अभी तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन के सम्बन्ध में कोई सलाह नहीं दी है ।

भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद्

५४०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् द्वारा किये गये गवेषणा कार्यों के परिणामों ने जनता को क्या लाभ पहुंचाया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १२]**

रेलवे कर्मचारी

५४१. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रम आयुक्त ने यह निर्णय दिया है कि कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से रोकना अवैध तथा शक्ति परस्तात् है, तथा यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मेरे विचार से माननीय सदस्य का निर्देश मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा प्रादेशिक श्रम आयुक्तों को २-११-५४ को भेजे गये पत्र की ओर है । इस प्रश्न की प्राप्ति के पश्चात् उस पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त की गई है तथा यह प्रश्न परीक्षाधीन है ।

रेलवे कुली

५४२. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के मुख्य रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे बिना-अनुज्ञप्ति वाले कुलियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन में से कितने पदाधिकारियों के बंगलों में कार्य करते हैं ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दिल्ली के मुख्य स्टेशन पर कार्य कर रहे बिना-अनुज्ञप्ति वाले

कुलियों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, परन्तु ऐसे कुलियों की संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ख) अनुज्ञप्ति वाला या बिना अनुज्ञप्ति वाला कोई भी कुली पदाधिकारियों के बंगलों में कार्य नहीं करता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे कर्मचारी

५४३. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९५५ को उत्तर रेलवे के विभिन्न कार्यालयों के लिये स्वीकृत किये गये जैनिटरों के स्थायी तथा अस्थायी पदों की संख्या कितनी है तथा इन पदों के लिये क्या वेतन क्रम निर्धारित किया गया है ;

(ख) इन पदों पर नियुक्ति के लिये क्या शिक्षा अर्हतायें तथा अन्य स्तर निर्धारित किये गये हैं तथा उन की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है ;

(ग) क्या इन जैनिटरों को सुरक्षा पुलिस विभाग के अधीन रखने की प्रस्थापना है ; और

(घ) यदि हां, तो सुरक्षा पुलिस में स्थायी रूप से विलीन किये जाने से पूर्व इस समय काम कर रहे व्यक्तियों को भी नियमानुकूल चुनाव के लिये भेजा जायेगा ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर रेलवे में २००—३०० रुपये के वेतन क्रम में जैनिटरों के एक स्थायी तथा एक अस्थायी के पद हैं ।

(ख) इन पदों के लिये कोई शिक्षा अर्हतायें अथवा अन्य स्तर निर्धारित नहीं किये गये हैं क्योंकि इन पदों पर चुनाव बोर्ड द्वारा चुनाव किये जाने पर वर्तमान कर्मचारियों में से ही पदोन्नति करके नियुक्तियां की जाती हैं । इंजीनियरिंग का अनुभव रखने वाले अथवा स्वच्छता सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को अधिमान दिया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेडियो टैलीटाइप पद्धति

५४४. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री हेडा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो टैलीटाइप संचार योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक मशीनें और सामान किन किन देशों से खरीदा जा रहा है ;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ;

(ग) भारत के किन किन हवाई अड्डों पर रेडियो टैलीटाइप पद्धति की व्यवस्था की जा रही है ;

(घ) क्या इन मशीनों को साधारण टैलीटाइप चालक चला सकेंगे या इन चालकों को कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा ;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति कितने होंगे और उन्हें किन किन देशों में प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(च) इस पद्धति से क्या लाभ होंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दो यंत्र सज्जायें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मंगवाई जा रही हैं और दस भारत-संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिक सहयोग सहायता योजना द्वारा प्राप्त की जा रही हैं । यह

ज्ञात नहीं है कि प्रौद्योगिक सहयोग सहायता योजना किस देश से यंत्र सज्जा प्राप्त करेगी।

(ख) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जो दो यंत्र सज्जायें आयात की जा रही हैं उन का मूल्य ३·२ लाख रुपये है और प्रौद्योगिक सहयोग सहायता योजना के अन्तर्गत मंगवाई जाने वली दस यंत्र सज्जाओं का मूल्य २२·५ लाख रुपया है ।

(ग) कलकत्ता (दमदम), बम्बई (सांताक्रूज़) दिल्ली तथा मद्रास ।

(घ) और (ङ). इन यंत्रों का चालन साधारण तार-प्रारूप चालक नहीं कर सकेंगे । इस कार्य के लिये विशेष प्रशिक्षण देना होगा । असैनिक उड्डयन विभाग के महा निर्देशक ने अपने कुछ वितन्तु-चालकों (रेडियो ओपरेटरस) के प्रशिक्षण का प्रबन्ध असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबादा में किया है ।

(च) इस पद्धति के द्वारा वैमानिक तार-संचार-प्रणाली बहुत अधिक परिमाण में यातायात का प्रबन्ध कर सकेगी और बिन्दु से बिन्दु संचार की तीव्रतर गति का निश्चय हो जायेगा ।

रेलवे प्लेटफार्म

५४५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर अभी तक ऊंचे प्लेटफार्म नहीं बनाये गये हैं :

(ख) क्या उत्तर रेलवे के कुछ स्टेशन ऐसे हैं जिन की कुरसी प्लेटफार्म स्तर से बहुत नीची है ; और

(ग) यदि हां, तो उन की क्या संख्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ६२७ ।

(ख) जी हां ।

(ग) ३७ ।

जालन्धर रेलवे स्टेशन

५४६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ के पश्चात् उत्तर रेलवे के जालन्धर रेलवे स्टेशन पर अभी तक क्या सुधार किये गये हैं ? और

(ख) उपरोक्त स्टेशन पर प्रथम पंच वर्षीय योजना अवधि में यात्रियों की सुविधा, कर्मचारियों की सुख सुविधा तथा सुरक्षा सम्बन्धी और क्या अन्य सुधार किये जाने हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). १५ अगस्त, १९४७ के पश्चात् जालन्धर रेलवे स्टेशन पर किये गये सुधारों को दिखाने वाला एक विवरण तथा प्रथम पंच वर्षीय योजना अवधि में किये जाने वाले अग्रेतर सुधारों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १३**]

पंजाब के जिलों में डाक तथा तार कर्मचारी

५४७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशियारपुर, कांगड़ा तथा गुरदासपुर जिलों में डाक तथा तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो सामान्य भविष्य निधि का लाभ उठा रहे हैं ?

सचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) होशियारपुर ९२
कांगडा ३९
गुरदासपुर ११४

२४५

(ख) १६ ।

कुल्लू घाटी में पर्यटक

५४८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में कुल्लू घाटी में कितने विदेशी पर्यटक आये थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सही आंकड़े प्राप्त नहीं हैं परन्तु होटलों तथा विश्राम-गृहों में पंजीबद्ध विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :

१९५३ . . .	१२३
१९५४ . . .	१५०

कलकत्ते की उपनगरीय रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

५४९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-खड़गपुर सैक्शन के विभिन्न स्टेशनों पर विद्युत् लगाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी हां। यात्री सुविधा कार्यों के अन्तर्गत धनतथा विद्युत् शक्ति की उपलब्धि होने पर रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाई जा रही है।

रेलों पर व्यय

५५०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में रेलों के लिये किये गये कुल उपबन्ध में से १ जनवरी, १९५५ तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : प्रथम पंच वर्षीय योजना के लिये आवंटित किये गये ४०० करोड़ रुपये की कुल रकम में से, १ जनवरी, १९५५ तक २५१·६० करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है ।

काम दिलाऊ दफ्तर

५५१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५४ में पंजाब के काम दिलाऊ दफ्तरों में कुल कितने अभ्यर्थी पंजीबद्ध हुए ;

(ख) उन में से कितनों को रोजगार दिलाया गया;

(ग) नियुक्त कराये गये प्रविधिक कर्मचारियों, लिपिकों तथा अन्य व्यक्तियों की अलग अलग संख्या क्या है ; और

(घ) यह आंकड़े पिछले दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १,०३,३७९ ।

(ख) और (ग). १९५४ में चालू रजिस्टरों में से जिन १५,८८२ व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया उनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

प्रविधिक कर्मचारी .	१,२९६
लिपिक .	८९६
अन्य .	१३,६९०
जोड़	१५,८८२

(घ) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १४]**

उपनगरीय रेलवे सेवा

५५२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री उन स्टेशनों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन के मध्य १९५४ में उत्तर रेलवे पर उपनगरीय रेल सेवा चालू की गई है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): १९५४ में उत्तर रेलवे पर कोई उपनगरीय सेवा चालू नहीं की गई थी।

ट्रैक्टरों का आयात

५५३. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के लेखे में अथवा गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा १९५४ में भारत में आयात किये गये छोटे, मध्यम, तथा भारी ट्रैक्टरों की संख्या तथा मूल्य क्या था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : १९५४ में देश में २,१५,७३,४५१ रुपये के मूल्य के २,६४९ ट्रैक्टरों का आयात किया गया था।

छोटे, माध्यम, तथा भारी ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में पृथक् सूचना प्राप्य नहीं है।

नल-कूप

५५४. **श्री गिडवानी** :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से १९५५ तक नल-कूपों के लगाने पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ख) इन नल-कूपों के द्वारा कुल कितनी कृषि भूमि की सिंचाई होती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) टी० सी० एम० तथा अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के अधीन नल-कूपों के निर्माण के लिये राज्य सरकारों को स्वीकृत किये गये ऋणों तथा अनुदानों की कुल रकम १५·२३ करोड़ रुपया है।

(ख) इन नल-कूपों से अनुमानतः जितनी कृषि भूमि को लाभ पहुंचा है उसका कुल क्षेत्र कोई आठ लाख एकड़ है।

पशुओं का परिवहन

५५५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा, बम्बई और मद्रास से गायों और भैंसों को वापस लाने के लिये रेलवे विभाग द्वारा १९५२, १९५३ और १९५४ में किराये में की गई कमी का ब्यौरा क्या है और क्या पहिले भी इस प्रकार की रियायत दी जाती थी ; और

(ख) हावड़ा, बम्बई, मद्रास तथा उन के उप-स्टेशनों पर १९५२, १९५३ और १९५४ में रियायती किराये पर कितनी गायें और भैंसें लाई गई तथा वे किन किन राज्यों से लाई गईं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दूध न देने वाले जानवरों और उन के बच्चों को बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से देश के उत्तरी क्षेत्र के स्टेशनों पर चराने के विचार से भेजने के लिये १–३–१९५३ से भाड़े की रियायती दर लागू की गयी। यह रियायती भाड़ा चार पहियें वाले डिब्बे पर ४ आने ६ पाई प्रति मील के हिसाब से लिया जाता है, जब कि भाड़े की सामान्य नियत दर बड़ी लाइन पर ९ आने और मीटर लाइन पर ८ आने है। जानवर भेजने की जिम्मेदारी भेजने वाले पर रहती है और रेल भाड़े के अलावा उसे पूरी दर पर चुंगी भी देनी पड़ती है। अभी यह रियायती दर फरवरी, १९५६ के अन्त तक जारी रखने की मंजूरी दी गयी है। १–३–१९५३ से पहले इस तरह की कोई रियायत नहीं दी जाती थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि गाय और भैंसों को हावड़ा, बम्बई और मद्रास भेजने के लिये भाड़े में कोई रियायत नहीं दी गयी थी ।

रेलों में अपराध

५५६. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलती गाड़ियों में किये गये अपराधों के अतिरिक्त रेलवे भूगृहादि में, १९५३–५४ में कितने अपराध हुए ;

(ख) उन मामलों की संख्या जो (१) हत्या (२) आपराधिक मारपीट (३) डकैती (४) चोरी तथा (५) जेब काटने के अपराधों के अन्तर्गत आते हैं ;

(ग) कितने प्रतिशत अपराधों का पता नहीं लगा है ; और

(घ) कितने प्रतिशत मामलों में व्यक्तियों को दंड दिये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

		१९५३	१९५४
(क)		———	———
		२६,४९३*	२१,५०८*
(ख)	(१) हत्या	५८	५८
	(२) आपराधिक मारपीट	२८७	२४४
	(३) डकैती	२६	२९
	(४) चोरी	१९,८०९	१५,७७९
	*(५) जेब काटना	३,६०६	३,१६३
(ग)		५३·२	५१·८
(घ)		२७·५	२६·४

*बम्बई राज्य के अतिरिक्त केन्द्रीय रेलवे के क्षेत्राधिकार में हुए जेब काटने के मामले इनमें सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि उनके ब्यौरे तत्काल ही प्राप्त नहीं थे ।

नई रेलवे लाइनें

५५७. **श्री भीखा भाई :**
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की उन रेलगाड़ियों के नाम जिन के द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने का विचार किये जाने की प्रस्थापना है ; और

(ख) उन रेल गाड़ियों के नाम जिन की सिफारिश राज्य सरकारों द्वारा की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). इस प्रकार

को सिफारिशों को साधारणतया सभापटल पर नहीं रखा जाता है ।

रेलवे यात्री यातायात

५५८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि १९५३ तथा १९५४ में पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा और रक्सौल के बीच के प्रत्येक स्टेशन से कितने यात्रियों ने यात्रा की तथा इसी अवधि में प्रत्येक स्टेशन पर कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अपेक्षित सूचना दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १५]**

रेलों पर भोजन व्यवस्था

५५९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजनालयों द्वारा छः आने प्रति प्लेट की दर से दी जाने वाली दाल तथा भाजियों का कोई परिमाण तथा गुण प्रकार निश्चित किया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि दरों के हाल ही में किये गये पुनरीक्षण के कारण तथा उत्तर प्रदेश के वर्तमान अधिनियमों के कारण उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार में आने वाले भोजनालयों को डालडा का प्रयोग करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर, पश्चिम तथा पूर्वी रेलवेज़ पर दाल तथा भाजी की प्रति प्लेट का निर्धारित किया गया परिमाण इस प्रकार है :

रेलवे	मद	यातायात दर	प्रति प्लेट परिमाण
		आ० पा०	
उत्तर	दाल	०–३–६	३ छटांक
	भाजी	०–३–६	३ छटांक
पश्चिम	दाल	०–४–०	लगभग छः औंस
	भाजी	०–६–०	
पूर्वी			
केवल हावड़ा स्टेशन के भोजनालयों में	भाजी	०–६–०	४ औंस
हावड़ा के अतिरिक्त भूतपूर्व ई० आई० भाग में	भाजी	२ से ५ आने तक	४ औंस
भूतपूर्व बी० एन० भाग में	भाजी	०–३–०	४ औंस

दाल तथा भाजी के गुण प्रकार के सम्बन्ध में कोई विशिष्टतायें निर्धारित नहीं की गई हैं, परन्तु स्थानीय स्वाद के अनुसार, अच्छी किस्म ही रखी जानी अपेक्षित है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान अधिनियमों के लागू किये जाने के परिणाम-स्वरूप उत्तर प्रदेश के भोजनालयों में डालडा का प्रयोग होने की सूचना रेलवे प्रशासन को नहीं है ।

अभी हाल में दरों का जो पुनरीक्षण किया गया है वह इस पूर्वधारणा के आधार पर किया गया है कि प्रचलित भोजन पकाने के माध्यम में, जो सामान्यतः शुद्ध वैजि-टेबिल घी होता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । इस संशोधन के अनुसार ठेकेदारों को घी के प्रयोग से वंचित नहीं किया गया है, बशर्ते कि निश्चित दरों में वृद्धि न हो ।

भारत तथा अंदमान के बीच संचार

५६०. श्री आर० एस० तिवारी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत तथा अदंमान के बीच आवागमन के वर्तमान साधन क्या हैं और यात्रा में कितना समय लगता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : आजकल भारतवर्ष की मुख्य भूमि और अंदमान द्वीप समूहों के बीच यातायात जलयानों द्वारा होता है । सरकार द्वारा अधिकृत जलपोत एस० एस० 'महाराजा' है जो प्रतिवर्ष इस मार्ग पर १८ बार यात्रा करता है १२ बार तो कलकत्ता और ६ बार मद्रास कारनीकोबार हो कर, आता जाता है । एस० एस० "महाराजा" को मुख्य भूमि से द्वीपसमूहों तक पहुंचने में ३ से ४ दिन का समय लगता है ।

डाक विभाग की परीक्षा

५६१. श्री देवगम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय अभ्यर्थियों की लिपिक पदालियों में पदोन्नति करने के लिये मई, १९५४ में रांची (बिहार) में हुई डाक-खाना तथा रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों की परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने दूसरे अभ्यर्थियों के उत्तरों की नकल की थी ;

(ख) किन परिस्थितियों के कारण अभ्यर्थी नकल कर सके ;

(ग) क्या परीक्षा भवन में बैठने की व्यवस्था का कोई चार्ट बनाया गया था ;

(घ) जिन अभ्यर्थियों ने नकल की बताई जाती है उन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ङ) क्या जिस अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से नकल की गई थी उसको भी दोषा ठहराया गया था ; और

(च) क्या उन पदाधिकारियों को भी जो परीक्षा के सुचारु संचालन के लिये उत्तरदायी थे तथा/अथवा जिन के पास उत्तर पुस्तिकायें थीं, दोषी ठहराया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । पिछले वर्ष रांची से डा हखाना तथा रेलवे डाक सेवा लेखा पदाली में लिपिकों का चुनाव करने के लिये की गयी परीक्षा में नकल करने के एक मामले की सूचना मिली थी ।

(ख) जांच कर्त्ताओं की सुस्ती के कारण अभ्यर्थी नकल कर सके ।

(ग) जी नहीं अभ्यर्थियों की संख्या के बहुत सीमित होने के कारण बैठने के स्थान का आवंटन अधीक्षण पदाधिकारी द्वारा सभी संभव सावधानी किये जाने के पश्चात् किया गया था ।

(घ) पांच अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाली सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया गया है ।

(ङ) जी नहीं । इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि इस कार्य में उस की सहमति थी ।

(च) जी हां । जिस पदाधिकारी की निरीक्षण अवधि में नकल हुई वह दोषी प्रतीत होता है ।

त्रिपुरा में सिंचाई सुविधायें

५६२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १४ अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १७६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा के उदयपुर डिविजन में पुलियां तथा जल द्वार बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने त्रिपुरा में स्थित अगरतला में एक नया डिविजन, जांच डिविजन के नाम से सितम्बर १९५४ में चालू किया है तथा इस डिविजन को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा सौंपे गये कार्यों में से एक कार्य उदयपुर उप-डिविजन का शुकसागर जल भी है ।

शुकसागर जल

५६३. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १४, अप्रैल १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा के शुकसागर जल में भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी भूमि कृषि योग्य बना दी गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अगरतला सिमना सड़क

५६४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगरतला से सिमना जाने वाली सड़क, समस्त वर्षा ऋतु में मोटर चलाने योग्य रहती है ; और

(ख) यदि नहीं तो इस की मरम्मत कब कराने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस समय तो यह एक अच्छे मौसम वाली सड़क है ;

(ख) इस वर्ष में इस की सतह को पक्का करने के कार्य को प्रारंभ करने का विचार है ।

रेलवे कर्मचारियों का वेतन

५६५. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गार्ड तथा स्टेशन मास्टरों के वेतन क्रम में विभिन्नता होने के क्या कारण हैं जबकि पहले को दूसरे के अधीन समझा जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जिन महत्त्वपूण स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों के वेतन क्रम ऊंचे हैं

उन्हीं स्टेशनों पर गार्ड रखे जाते हैं। उन्हें निम्नतम क्रम के स्टेशन मास्टरों के अधीन नहीं समझा जाता है। परन्तु जब गाड़ी स्टेशन की सीमा में होती है तो गाड़ी की गतिविधि के सम्बध में उन्हें उन के आदेशों का पालन करना होता है। सभी उचित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् दोनों श्रेणियों के वेतन क्रम निश्चित किये गये हैं।

रेलवे पर दावे

५६६. **श्री पी० एल० बारूपाल : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों पर अप्रैल, १९५० से दिसम्बर, १९५४ तक पार्सलों और बुक किये गये माल सम्बन्धी कितने काल तिरोहित दावे प्राप्त हुए और निम्न-लिखित कालावधियों के अलग अलग आंकड़े क्या थे :—

(१) १-४-५० से ३१-३-५१,

(२) १-४-५१ से ३१-३-५२,

(३) १-४-५२ से ३१-३-५३, तथा

(४) १-४-५३ से ३१-३-५४; और

(ख) इस काल में कितने दावों का भुगतान किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). सूचना मंगाई गई है और जहां तक हो सकेगा जल्दी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मोटर ड्राइवर

५६७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशिक्षित तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त हल्की तथा भारी मोटर गाड़ियों के ड्राइवरों की संख्या के सम्बन्ध में कोई अभिलेख रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ; और

(ग) उन में से कितने बेकार हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) १९५३-५४ में अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यवसायिक ड्राइवरों की संख्या लगभग ३,७५,३०० थी।

(ग) २८ फरवरी, १९५५ को काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में काम चाहने वाले ड्राइवरों की संख्या लगभग ९,८०० थी।

आंध्र में सहकारी समितियां

५६८. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री आन्ध्र राज्य की इन सहकारी समितियों की उपविधियों तथा नवीनतम लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रति-लिपियां सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(१) अनन्तपुर जिले की गुन्तकल सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गुल्तकल ;

(२) कुरनूल जिले के आदोनी ता-ल्लुक की येम्मिगानूर सहकारी बुनकर उत्पादन तथा विक्रय समिति ; और

(३) कुरनूल जिले के आदोनी ता-ल्लुका का येम्मिगानूर सहकारी टाउन बैंक लिमिटेड ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (१) से (३). आन्ध्र सरकार से सूचना मंगाई गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुंटकल सहकारी कताई मिलें

५६९. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुंटकल में गुंटकल सहकारी कताई मिलों की निधि के दुरुपयोग किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय की जांच किस ने की ; और

(ग) जांच करने पर क्या पता चला ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). आन्ध्र सरकार से जानकारी मांगी गई है। प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

घी का आयात

५७०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री अमरीका से घी के आयात सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ९३७ के १४ मार्च, १९५५ को दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेषित घी भारत में पहले पहल कब प्राप्त होगा ;

(ख) भारत में यह किस प्रकार बेचा जायेगा ; और

(ग) इस से प्राप्त होने वाले धन को किस प्रयोग में लाया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अभी बातचीत चल रही है परन्तु आशा है कि अमरीका से प्रेषित घी जून/जुलाई १९५५ में भारत पहुंचेगा ।

(ख) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के स्थानों पर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में घी नीलाम कर दिया जायगा और वह इस का विक्रय करेंगे ।

(ग) घी को बेचकर प्राप्त होने वाले धन को प्रयोग में लाने के बारे में बातचीत चल रही है, परन्तु इस का कुछ अंश आर्थिक विकास के लिये रक्षित होगा ।

चावल की खेती का जापानी ढंग

५७१. **श्री के० सी० जेना** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में क्रमवार चावल की खेती के जापानी ढंग और साधारण ढंग से चावल की प्रति एकड़ उपज (मनों में) की औसत क्या है ; और

(ख) क्या चावल की खेती का जापानी ढंग बाढ़ वाले क्षेत्रों में सफल हो सकता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९५३–५४ में धान उगाने का जापानी ढंग अपनाने से ३९ मन और साधारण ढंग से २२ मन प्रति एकड़ ।

(ख) यह इन बातों पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कितनी बाढ़ आती है और किस समय पर आती है ।

अभ्रक के खनिकों में सिलिकोसिस की बीमारी

५७२. **डा० रामा राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में अभ्रक की खानों के अन्दर और बाहर काम करने के लिये कितने श्रमिक (पुरुष और स्त्रियां) रखे गये थे :

(ख) उन की देखभाल के लिये कितने हस्पताल, डिस्पैंसरियां और अर्हन वैद्यक व्यक्ति हैं ;

(ग) उन के रोगोपचार के लिये कितने एक्स-रे संयंत्र उपलब्ध हैं ;

(घ) १९५३-५४ में कितने लोगों को सिलिकोसिस रोग हुआ ;

(ङ) उपरोक्त काल में पीड़ितों को कितना प्रतिकर दिया गया ; और

(च) इस रोग की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १९५३ में प्रतिदिन रखे जाने वाले व्यक्तियों को औसत संख्या :--

खान में काम करने वाले		बाहर काम करने वाले	
पुरुष	स्त्रियां	पुरुष	स्त्रियां
२५,६८२	१,४००	५,६२१	२,१६८

(ख) राज्य सरकारों और खान के मालिकों ने जिन चिकित्सा संस्थाओं की व्यवस्था की है उन के अतिरिक्त अभ्रक खानों की श्रमिक कल्याण निधि में से अभ्रक की खानों में काम करने वालों के स्वास्थ्य की देख रेख के लिये निम्नलिखित चिकित्सा संस्थाओं और अर्ह वैद्यक व्यक्तियों की व्यवस्था की गई है :

	संख्या	अर्ह वैद्यक व्यक्ति (डाक्टर)	
		श्रेणी २	श्रेणी ३
हस्पताल	२	२	२
स्थिर डिस्पैंसरियां	१०	—	१०
चलती फिरती डिस्पैंसरियां	७	—	६

इस के अतिरिक्त दो चलते फिरते चिकित्सा एककों की भी स्वीकृति दी गई है ।

(ग) केन्द्रीय हस्पताल, वरमा में एक (अभ्रक खानों की श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत) ।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और उचित समय में उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

(ङ) सिलिकोसिस को अभी उन व्यवसाय सम्बन्धी रोगों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जिनके लिये श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर दिया जा सकता है ।

(च) भारत सरकार ने उन सब खानों को जहां यांत्रिक अथवा बिजली से बर्मे की सूखी खुदाई की जाती है आदेश दिये हैं कि वे बर्मे की गीली खुदाई करें अथवा धूल रोकने वाला प्रभावी यंत्र प्रयोग में लायें । वह धूल, जिस से सिलिकोसिस रोग होता है, उन खानों में अधिक मात्रा में नहीं होती जहां बर्मे की खुदाई हाथ से की जाती है ।

रांची में मैडिकल कालिज

५७३. **श्री जो० पी० सिन्हा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या रांची में मैडिकल कालिज खोलने का कोई प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) रांची में पहले कितने मैडिकल कालिज हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) ऐसी प्रस्थापना है ।

(ख) कोई नहीं ।

स्टैनोग्राफर

५७४. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५४ को पश्चिम रेलवे में प्रदेशानुसार सब विहित वेतन-क्रमों में कितने स्थायी, अस्थायी और स्थानापन्न स्टेनोग्राफर काम कर रहे थे ;

(ख) क्या यह सत्य है कि पश्चिम रेलवे ने २००—३०० रुपये और २६०—३५० रुपये के १६—२० प्रतिशत अधिक वेतन करमों के लिये संयुक्त मंत्रणा समिति की सिफारिश को पूरी तरह लागू नहीं किया है ;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि स्टैनोग्राफरों की २००—३०० रुपये वेतन-क्रम की अधिकतम और २६०—३५० रुपये की लगभग सारी नौकरियां बम्बई में मुख्यालय में ही रखी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट संख्या ९, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ख) संयुक्त मंत्रणा समिति ने केवल ८०—२०० रुपये और २००—३०० रुपये के वेतन-क्रम में नौकरियों की संख्या के बारे में सिफारिशें की थीं ; इसे पूरी तरह कार्यान्वित किया जा चुका है ?

(ग) जी हां ।

(घ) महा प्रबन्धक, सब विभागों के प्रमुख और लगभग सब प्रशासकीय पदाधिकारी मुख्यालय में रहते हैं जहां से रेलवे का कार्य संचालन किया जाता है ; अतः स्वाभाविक है कि उच्च वेतन-क्रम की अधिकांश असामियां उसी कार्यालय में होंगी ।

रेलवे कर्मचारी

५७५. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पूर्वी भारत रेलवे के टी० टी० ई० जो पहले ३०—६० रुपये के वेतन-क्रम में थे उन्हें ६०—१५० रुपये के विहित वेतन क्रम में रखा गया है और उन की वरिष्ठता उस तिथि से गिनी गई है जब वे ३०—६० रुपये के पुराने वेतन-क्रम में टिकिट कलैक्टर अथवा टी० टी० स्थायी हुए ;

(ख) क्या यह सच है कि ३०—६० रुपये का पुराना वेतन-क्रम ५५—१३० रुपये के विहित वेतन-क्रम के समान कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पूर्वी भारत रेलवे के टी० टी० ई० जो पहले ६५—८५ रुपये के वेतन-क्रम में थे उन्हें अब १००—१८५ रुपये के विहित वेतन-क्रम में रखा गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि भूतपूर्व उत्तर पश्चिम रेलवे के टी० टी० ई० जो पहले ६५—८५ रुपये के वेतन-क्रम में थे उन्हें भूतपूर्व पूर्वी भारत रेलवे के टी० टी० ई० की तरह १००—१८५ रुपये देने की बजाय ६०—१५० रुपये के विहित वेतन-क्रम में रखा गया है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व उत्तर पश्चिम रेलवे के टी० टी० ई० वर्ग

की वरिष्ठता का आधार वह तिथि बनाई गई है जब वे ६५—८५ के वेतन-क्रम में टी० टी० ई० पक्के हुए न कि जब वे ३०—६० रुपये के वेतन-क्रम में पक्के किये गये जैसा कि पूर्वी भारत रेलवे के टी० टी० ई० वर्ग के सम्बन्ध में किया गया था ;

(च) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ; और

(छ) इस प्रकार कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी हां ।

(च) क्योंकि दोनों भूतपूर्व पूर्वी भारत रेलवे का ३०—६० रुपये का वेतन-क्रम और भूतपूर्व उत्तर पश्चिम रेलवे का ६५—८५ रुपये का वेतन-क्रम (इस रेलवे में ३०—६० रुपये का वेतन-क्रम नहीं है) ६०—१५० रुपये के सी० पी० सी० वेतन-क्रम के समान कर दिये गये हैं इस लिये वरिष्ठता निश्चित करने के लिये तदनुसार मूलवेतन-क्रम में स्थायी करने की तिथि ली गई है ।

(छ) जानकारी एकत्र की जा रही है ।

लो
वाद विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड ३, १९५५)

(२ से २१ अप्रैल, १९५५)

1st Lok Sabha
(Session IX)

Preservation Date 3-4-97
Fumigated On 11.4.83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

नवम सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

विषय-सूची

(खंड ३, संख्या ३१ से ४५—२ अप्रैल से २१ अप्रैल, १९५५ तक)

संख्या ३१—शनिवार, २ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांग—	३१०१—५४
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	३१०१—५४
मांग संख्या ६३—प्रसारण	३१०१—५४
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३१०१—५४
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३१०१—५४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३१५३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
परिचालन का प्रस्ताव—स्वीकृत .	३१५३—६९
श्री भागवत झा आजाद . .	३१५३—५५
श्री रघुवीर सहाय . .	३१५५—५७
श्री मूल चन्द दुबे . . .	३१५७
श्री राघवाचारी . . .	३१५८—५९
श्री अच्युतन	३१५९—६०
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . .	३१६०—६१
श्री वी० जी० देशपांडे	३१६१—६३
श्री दातार	३१६३—६९
श्री यू० सी० पटनायक	३१६९
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . .	३१७०—३२०४
सेठ गोविन्द दास	३१७०—७४, ३२०१—०२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३१७५—९५
श्री एन० सी० चटर्जी	३१९५—९७
श्री जवाहरलाल नेहरू	३१९७—३२०१

संख्या ३२—सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
बाढ़ नियंत्रण उपायों की प्रगति के बारे में विवरण . . .	३२०५
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना .	३२०५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३२०५—३२०६
सभा का कार्य	३२०६

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	३२०६—३३०२
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६३—प्रसारण . . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३२४५—३३०२
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३२४५—३३०२
भारतीय ढोर परिरक्षिण विधेयक—	
मत-विभाजन के अंकों में शुद्धि . . .	३७५
संख्या ३३—मंगलवार, ५ अप्रेल १९५५	
पटल पर रखे गय पत्र—	
प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना इत्यादि	३३०३
सभा का कार्य—	३३०४—३३०५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . .	३३०५
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३३०५—३०
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें .	३३०५—३०
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय .	३३२९—३४०५
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बन्ध तथा जल-निस्सारण कार्य (राजस्व से देय)	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६७—बहु-योजनीय नदी योजनायें .	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२७—बहु-योजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३३२९—३४०४

संख्या ३४—बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	३४०५
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम-बोर्ड	३४०५—३४०७
सभा का कार्य—	३४०७—३४०८
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३४०८—३५१८
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बंध तथा जल निस्सारण कार्य (राजस्व से देय) .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६७—बहु प्रयोजनीय नदी योजना . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२७—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५४—जनगणना. . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समह .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५७—कच्छ . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४२९—३५१८
मांग संख्या १२५—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३४२९—३५१८

संख्या ३५—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
अन्तर्राज्यिक व्यापार पर बिक्री कर	३५१९—३५२२
पटल पर रखा गया पत्र—	
बलात् श्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अभिसमय (संख्या २९) का अनुसमर्थन	३५२२

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३५२३—३६२२
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल	३५२३—३५९९
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५४—जनगणना	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५७—कच्छ	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५२३—३५९८
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या २—उद्योग	३५९९—३६२२
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५९९—३६२२
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३५९९—३६२२

संख्या ३६—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण ३६२३

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३६२४—३६४१

श्री डाभी . . . . . ३६२४—३६२५

श्री तुलसीदास . . . . ३६२५—३६२७

श्री के० सी० सोधिया . . . . ३६२७—३६२९

श्री बंसल . . . . . ३६२९—३६३१

श्रीमती जयश्री . . . . ३६३१—३६३२

श्री टेक चन्द . . . . ३६३२—३६३३

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी . . . ३६३३—३६३४

श्री ए० सी० गुहा . . . . ३६३४—३६४१

खंड २ से १४ . . . . . ३६४२—३६७४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . ३६७४—३६७५

राजनैतिक पेंशनों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . ३६७५—३७२०

बाटों और नाप के बारे में संकल्प—असमाप्त . . ३७२०—३७२४

संख्या ३७— सोमवार, ११ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३७२५
पटल पर रखे गये पत्र—	
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या १६३ और १६४, दिनांक १८-१२-५४ और संख्या २८, दिनांक २६-२-५५ .	३७२५—३७२६
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	३७२६
गणपूर्ति के बारे में प्रथा	३७२६—३७२७
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३७२७—३८०५
श्री जवाहरलाल नेहरू	३७२८—३७४२
श्री ए० के० गोपालन	३७४३—३७४७
श्री फ्रेंक ऐंथनी	३७४७—३७५०
श्री टी० के० चौधरी	३७५०—३७५२
श्री एन० पी० नथवानी	३७५२—३७५४
डा० कृष्णस्वामी	३७५४—३७५६
श्री एम० पी० मिश्र	३७५६—३७६२
श्री एन० सी० चटर्जी	३७६३—३७६९
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३७६९—३७७१
श्री जयपाल सिंह	३७७१—३७७४
श्री बी० पी० सिंह	३७७४—३६८१
श्री ए स० वी० रामस्वामी . . .	३७८१—३७८४
स्वामी रामानन्द तीर्थ	३७८४—३७८९
श्री जी० डी० सोमानी . . .	३७८९—३७९२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	३७९२—३७९६
श्री आर० डी० मिश्र	३७९६—३८०४
श्री वेंकटरामन्	३८०४—३८०५

संख्या ३८—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
डा० लोहिया तथा अन्य व्यक्तियों की इम्फाल में गिरफ्तारी .	३८०७
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . . .	३८०८
प्रधान सेनापति (पदनाम में परिवर्तन) विधेयक—पुरःस्थापित .	३८०८
औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३८०८—३८०९

	स्तम्भ
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८०९—३८२३
श्री वेंकटारमन . . .	३८१४—३८१७
पंडित जी० बी० पन्त	३८१७—३८२२
खड १ से ५	३८२३—३८७२
संशोधित रूपमें पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८७२—३८८८
श्री एच० एन० मुकर्जी	३८७२—३८७५
श्री वी० जी० देशपांडे	३८७५—३८७८
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३८७८—३८७९
श्री जवाहरलाल नेहरू	३८७९—३८८८
संख्या ३९—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
गोलपाड़ा से बंगला-भाषी लोगों का निष्क्रमण . .	३८८९—३८९२
पटल पर रखे गये पत्र—	
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१-५२ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ और उस का वाणिज्यिक परिशिष्ट . . .	३८९२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दक्षिण-चीन-सागर में इंडियन-एयर-लाइन्स-कांस्टेलेशन का गिर जाना .	३८९२—३८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या २—उद्योग	३८९५—३९६४
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३८९५—३९६४
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३८९५—३९६४
संख्या ४०— शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५	
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	३९६५—४०२४
मांग संख्या २—उद्योग . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३९६५—३९८५
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय . .	३९८७—४०२४

	स्तम्भ
मांग संख्या २६—सीमा शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर .	३९८७—४०२४
मांग संख्या २९—अफीम	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३३—चलमुद्रा . . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३४—टकसाल	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३९८७—४०२४
मांग संख्या ४०—विभाजन पूर्व के भुगतान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११५—चलमुद्रा पर पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन .	३९८७—४०२४
जाति भेद उन्मूलन विधेयक—	
विचार करने, परिचालित करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४०२४—४०७६
डा० एम० एम० दास . . .	४०२४—४०२७
श्री डाभी	४०२७—४०३१
श्री एन० बी० चौधरी . . .	४०३२—४०३३
श्रीमती ए० काले . . .	४०३३—४०३४
श्री एन० राचय्या . . .	४०३४—४०३६
श्री केशवैयंगार . .	४०३६—४०३७
श्री साधन गुप्त	४०३७—४०३९
श्री एस० सी० सामन्त . .	४०३९
श्री जांगड़े	४०३९—४०४२
डा० सुरेश चन्द्र . . .	४०४३

	स्तम्भ
श्री राम दास . . .	४०४३—४०४४
श्री एस० सी० सिंघल	४०४४—४०४७
श्री वाल्मीकि	४०४७—४०५४
श्री भक्त दर्शन	४०५४—४०५७
सरदार हुक्म सिंह	४०५७—४०५९
श्री नवल प्रभाकर	४०५९—४०६१
श्री एन० सोमना . . .	४०६१—४०६२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . .	४०६२—४०६७
पंडित एस० सी० मिश्र . .	४०६७—४०६८
सरदार ए० एस० सहगल .	४०६८—४०७०
श्री वीरस्वामी . . .	४०७०—४०७२
श्री आर० के० चौधरी . .	४०७२—४०७४
श्री जी० एल० चौधरी .	४०७४—४०७६
राज्य-सभा से सन्देश . .	४०७६
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूपमें पटल पर रखा गया .	४०७६

संख्या ४१—शनिवार, १६ अप्रैल १९५५

भारत का राज्य बैंक विधेयक—पुरःस्थापित .	४०७७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	४०७८
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय .	४०७८, ४१५०, ४१७३, ४१७४
मांग संख्या २६—सीमा-शुल्क .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	४०७८—४१५०
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा-शुल्क सहित आय पर कर .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २९—अफीम .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३३—चल मुद्रा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३४—टकसाल . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	४०७८—४१५०

स्तम्भ

मांग संख्या ४०—विभाजन-पूर्व के भुगतान . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११५—चल-मुद्रा पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन ४०७८—४१५०
मांग संख्या १६—शिक्षा मंत्रालय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १७—पुरातत्व . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १८—अन्य वैज्ञानिक विभाग . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १९—शिक्षा . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या २०—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ११२—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७४—विधि मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७५—न्याय व्यवस्था . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ८४—संसद-कार्य विभाग . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९३—परिवहन मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९४—पत्तन तथा पोत-मार्ग प्रदर्शन . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९५—प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाश-पोत . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९६—केन्द्रीय सड़क निधि . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९७—संचार (राष्ट्रीय राज-पथों सहित) . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९८—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३३—पत्तनों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३४—सड़कों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३५—परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०४—संसद . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०५—संसद सचिवालय के अधीन विविध व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०६—उपराष्ट्रपति का सचिवालय . . . ४१७३—४१७४

वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—पारित ४१४९—४१५१

श्री एम० सी० शाह . . . ४१४९—४१५१

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त . . ४१५१—४१७३
खंड १४ . . . . . ४१५१—४१७३

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित . ४१७५—४१७६

संख्या ४२—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५४ (भाग १) . .	४१७७
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	४१७७—४१७८
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक— . . .	४१७८—४१८३
खंड १४ से १७ और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४१७८—४१८३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	४१८३—४१९२
श्री आर० के० चौधरी	४१८३—४१८७
पंडित एस० सी० मिश्र	४१८७—४१८८
श्री ए० सी० गुहा	४१८८—४१९२
विनियोग (संख्या २) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४१९२—४१९८
डा० लंका सुन्दरम्	४१९३—४१९५
श्री सी० डी० देशमुख	४१९५—४१९७
पारित	४१९८
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४१९८—४२६६
श्री सी० डी० देशमुख	४१९८—४२१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	४२१९—४२२३
श्रीमती मायदेव	४२२४—४२२६
श्री के० के० बसु	४२२६—४२३१
श्री यू० सी० पटनायक	४२३१—४२३२
पंडित एस० सी० मिश्र . . .	४२३२—४२३४
श्री एस० सी० सामन्त	४२३४—४२३६
श्री के० एल० मोरे	४२३६—४२३९
श्री एन० सी० चटर्जी . .	४२३९—४२४४
श्री वाई० एम० मुक्णे . .	४२४४—४२४६
श्री बंसल	४२४६—४२४९
श्री नेवटिया	४२४९—४२५०
श्री जी० डी० सोमानी	४२५१—४२५३
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	४२५३—४२६६

संख्या ४३—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

वित्त विधेयक-याचिका उपस्थापित	४२६७
वित्त विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त . .	४२६७

	स्तम्भ
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४२६७—४२७१
श्री विमला प्रसाद चालिहा	४२७१—४२७५
श्री बासप्पा	४२७५—४२७८
श्री एन० बी० चौधरी	४२७८—४२८१
श्री तुलसीदास	४२८१—४२८५
डा० कृष्णस्वामी	४२८५—४२८८
श्री रघुनाथ सिंह	४२८८—४२९४
श्री विश्वनाथ रेड्डी	४२९४—४२९७
श्री रिशांग किशिंग	४२९७—४३००
श्री जजवाड़े	४३००—४३०८
पंडित के० सी० शर्मा	४३०८—४३११
बाबू राम नारायण सिंह	४३११—४३१६
श्री मात्तन	४३१६—४३१८
श्रीमती सुषमा सेन	४३१८—४३२०
श्रीमती इला पालचौधरी	४३२०—४३२३
श्री बोगावत	४३२३—४३२५
श्री थानू पिल्ले	४३२५—४३२७
श्री वी० जी० देशपांडे	४३२८—४३३४
श्री डी० डी० पन्त	४३३४—४३३६
श्री ईश्वर रेड्डी	४३३६—४३३८
श्री टी० सुब्रह्मण्यम्	४३३८—४३४०
श्री एम० आर० कृष्ण	४३४०—४३४१
श्री शिवनजप्पा	४३४१—४३४४
श्री डी० सी० शर्मा	४३४४

संख्या ४४— बुधवार, २० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ४३४५—४३४६

सभा का कार्य— ४३४६—४३५०

समय-नियतन का आदेश ४३५०—४३५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठाट्इसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ४३५१

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४३५१—४३८०

श्री डी० सी० शर्मा ४३५१—४३५४

श्री टंडन ४३५४—४३६२

श्री एम० सी० शाह ४३६२—४३८०

खंड २ से ३० ४३८०—४५८६

संख्या २५— गुरुवार, २१ अप्रैल, १९५५

श्री डी० डी० पन्त का निधन ४५८७—४५९०

लोक-सभा

सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२—०५ म० प०

पटल पर रखे गये पत्र

बाढ़ नियन्त्रण के उपायों की प्रगति के बारे में विवरण

योजना तथा सिचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं बाढ़ नियंत्रण के उपायों की प्रगति सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखता हूं । (पुस्तकालय में रखा गया । देखिये नं० एस—१०७—५५)

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० ७, दिनांक १८ मार्च, १९५५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सं० एस—१०८/५५]

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को सूचित करना है कि चालू सत्र में संसद् के सदनों द्वारा पारित किये गये संसद् सदस्य वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति ने ३१ मार्च, १९५५ को अनुमति दे दी है ।

सभा का कार्य

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान् आप की अनुज्ञा से मैं सभा को बताने के लिये खड़ा हुआ हूं कि सरकार सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५ को संसद् की संयुक्त समिति द्वारा संशोधित सविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक को सभा के विचार करने और पारित करने के लिये रखेगी और संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक का निबटारा करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगें सभा का मत प्राप्त करने के लिये रखी जायेंगी ।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की* मांगें---जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा प्रारम्भ करेगी ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : क्योंकि बहुत सी बातें कही गई हैं इसलिये मैं ५० से ५५ मिनट समय लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को इतना समय देने से इन्कार नहीं कर सकता क्योंकि यह वाद विवाद जानकारी प्राप्त करने के हेतु ही किया जाता है । हमारे पास केवल डेढ़ घंटे का समय है । एक घंटे

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

का समय माननीय मंत्री के लिये सुरक्षित रखने से केवल आध घंटा बचेगा जिस में केवल दो व्यक्ति बोल सकेंगे ।

इस के पश्चात् उत्पादन मंत्रालय पर चर्चा आरम्भ की जायेगी जिस के लिये ४ घंटों का समय आवंटित किया गया

श्री **गाडगील** (पूना कन्द्रीय) : माननीय सदस्यों के भाषण सुन कर मैं ने अनुभव किया है कि त्रुटियों को छुपाने के लिये लम्बे लम्बे भाषण दिये जाते हैं । माननीय सदस्य नीति पर अपने विचार व्यक्ति करने की बजाय व्यक्तिगत मामलों पर बोलते रहते हैं ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि सभा अथवा सदस्यों को इस का अधिकार नहीं है पर मेरा विचार है कि पदोन्नति, स्थानान्तरण और भर्ती के मामलों का भार सरकार पर ही छोड़ देना चाहिये । कर्मचारियों को स्थायी करने के विषय में मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि केन्द्रीय वेतन आयोग ने जिस का मैं भी सदस्य था, एक यह सिफारिश की थी कि हर एक विभाग को दो वर्ष पश्चात् पता लग जाना चाहिये कि कौन सी नौकरियां स्थायी करनी हैं और कौन सी छटनी करनी है परन्तु सरकार में आने पर मुझे पता चला कि वित्तीय कारणों से इस सिफारिश को लागू नहीं किया जा सकता ।

माननीय श्री चट्टोपाध्याय ने संसद् की एक स्त्री सदस्य के पति के बारे में कुछ कहा । जांच करने पर मुझे पता चला कि संघ लोक सेवा आयोग ने उन्हें नियुक्त किया था और यह सिद्ध हो गया कि श्री चट्टोपाध्याय ने ऐसे निराधार आरोप लगा कर अपनी गैर-जिम्मेदारी का प्रमाण दिया है ।

आकाशवाणी सम्बन्धी मामलों की बड़ी आलोचना की गई है । देश के स्वतन्त्र होने से पूर्व इस में बड़ा भ्रष्टाचार, पक्षपात और परिवार पोषण था परन्तु गत तीन वर्ष में प्रशासन ठीक करने के लिये बड़ा प्रयत्न किया गया है । पक्षपात भी कम हो गया है । मनोरंजन के चार साधन संगीत, नाटक, रेडियो तथा चलचित्र हैं और इन सब में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को बहुत काम करना पड़ता है ।

यह आलोचना की गई थी कि समाचार पक्षपात रहित ढंग से नहीं सुनाये जाते । इस बारे में मुझे भी शिकायत है । वैदेशिक कार्य सम्बन्धी मांग पर बोलते समय मैं ने कई अच्छे सुझाव दिये थे परन्तु मेरा नाम ही नहीं लिया गया । यह अभियोग भी लगाया गया कि सरकार मंत्रियों का पक्ष लेती है । श्रीमति मणिबेन पटेल ने ठीक ही कहा कि सरकार की नीति की व्याख्या करने के लिये समाचार पत्रों में उचित स्थान और रेडियो पर पर्याप्त समय लेना पड़ता है ।

यह भी शिकायत की गई है कि हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है परन्तु मेरी शिकायत है कि प्रादेशिक भाषओं की उपेक्षा की जा रही है । यह शिकायत भी की गई कि संविधान में स्वीकार की गई हिन्दी भाषा जबलपुर की हिन्दी से भिन्न है । परन्तु मेरा कहना है कि हिन्दी को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जा रहा है और शनैः शनैः हिन्दी को प्रचलित किया जा रहा है । आकाशवाणी की इस कार्य में बड़ी सहायता है ।

यह भी कहा गया कि भाग लेने वालों में बालकृष्ण का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है । परन्तु मैं इस बात को अधिक

महत्व नहीं देता और न ही इस की आवश्यकता समझता हूं ।

प्रचार, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिये आकाशवाणी एक बहुत अच्छा साधन है । इस की सहायता से सारे राष्ट्र को एक सांचे में ढाला जा सकता है । इस में सन्देह नहीं कि इस के लिये समय चाहिये ।

दो वर्ष पहले कलाकार कहा करते थे कि हमें काम नहीं मिलता हमारा परीक्षण नहीं किया जाता । परन्तु जब ऐसा किया जाने लगा तो उन्हों ने सहयोग नहीं दिया क्योंकि बड़े लोग परीक्षा समिति के पास नहीं जाना चाहते थे । उन्हें इस में संकोच नहीं होना चाहिये था क्योंकि इस के बिना उन्हें क, ख, अथवा ग श्रेणियों में कैसे रखा जा सकता है ।

चल चित्रों की जांच के बारे में भी कहा गया है । मेरा भी विचार है कि इस का कुछ प्रभाव नहीं है । आंकड़ों से पता चलता है कि चलचित्र जांच बोर्ड को २७०७ चलचित्र जांच के लिये भी दिये गये जिन में से केवल आठ अस्वीकृत किये गये । ६८३ यू (U) और ८ ए (A) फिल्मों में से केवल एक फिल्म अस्वीकृत की गई थी । जो लोग सिनेमा देखते हैं, वे जानते हैं कि वहां किस प्रकार के गाने गाये जाते हैं । आठ या नौ साल की छोटी छोटी लड़कियां 'तुम मेरे साजन' गाती हुई सुनाई देती हैं, जो कि ठीक नहीं है फिल्मों में जो कुछ भी किया जाता है, पहले से तैयारी कर के किया जाता है, ताकि उस का अधिक से अधिक प्रभाव पड़े ।

चूंकि फिल्म व्यवसाय एक बड़ा उद्योग बन गया है, इसलिये समाचारपत्रों के स्वातन्त्र्य या अभिव्यक्ति के सिद्धान्त इस पर लागू नहीं होते । यह एक भिन्न स्तर पर है । सरकार को अधिक बड़ी नीति अपनानी चाहिये । फिल्म निर्माताओं का उद्देश्य मनोरंजन या समाज का स्तर ऊंचा करना नहीं बल्कि रुपया कमाना है । मेरा निवेदन है कि भारत में फिल्मों का विवाचन आवश्यकता से अधिक उदार है, क्योंकि फिल्म बोर्ड के अधिकतर सदस्य ग़ैरसरकारी हैं, जो कि विद्या, धर्म और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं । सरकार को चाहिये कि वह केवल उन फिल्मों को प्रदर्शन के लिये पास करे, जो हमारी परम्पराओं के अनुकूल हों । यदि हम परम्पराओं को बदलना भी चाहें तो यह शनैः शनैः करना चाहिये ।

मैं ने हिसाब लगाया है कि वयस्क जनसंख्या में से २५ प्रतिशत पर सिनेमा का प्रभाव पड़ता है । क्या सरकार के लिये इस पर कड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक नहीं है ? आप जानते हैं कि हमें किस प्रकार के समाज का निर्माण करना है । इस के लिये आवश्यक है कि फिल्मों का विवाचन इस प्रकार हो कि कोई ऐसी चीज न प्रदर्शित की जाये, जिस का आचरण पर बुरा प्रभाव पड़े या जिस से सेक्स और अपराधों के बारे में ग़लत प्रवृत्तियां पैदा हों ।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व ज़िला खेरी-पश्चिम) : इन्फार्मेशन और ब्राडकास्टिंग की तरक्की वो उन्नति को देख कर हमें खुशी होती है । आज मैं मिनिस्टर साहब और उन के महकमे को इस के लिये बधाई देती हूं । मैं जानती हूं कि मिनिस्टर साहब के सामने कितनी दिक्कतें हैं और यह भी मैं जानती हूं कि वह किस तेजी से तरक्की करना चाहते हैं । लेकिन तरक्की करने में उन के सामने बहुत सी मुश्किलें भी हैं । मैं यह भी जानती हूं कि जिस वक्त यह रेडियो स्टेशन हमारे हाथ में आया उस से पहले वह अंग्रेजों के पास था, जब अंग्रेज हटे तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना । पाकिस्तान बनने पर जितने हमारे रेडियो स्टेशनों में काम करने वाले लोग

[श्रीमती उमा नहरू]

थे वह सारे के सारे पाकिस्तान चले गये। ऐसी हालत में हम अपने रेडियो स्टेशनों को बढ़ाकर आगे ले गये हैं। अगर यह कहा जाय कि रेडियो स्टेशनों में नुक्स है तो यह भी हम मानते हैं कि हां, नुक्स हैं, पर हम उन को मिटाते चले जाते हैं।

भाई साधन गुप्त जी ने जो व्याख्यान यहां पर दिया उस को सुन कर मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि उन्हों ने रेडियो की पालिसी की तो जरा भी चर्चा नहीं की पर ऐडमिनिस्ट्रेशन के नुक्स दिखाये। हम तो यह सोच रहे थे कि वह बड़े योग्य आदमी हैं, सब बातों को वह समझते हैं, देखें उन की शिकायतें क्या हैं। लेकिन उन की शिकायतें सिर्फ यह थीं कि लो पेड आर्टिस्ट्स क्यों है? सिक्योरिटी आफ़ सर्विस क्यों नहीं है। इंजीनियर्स आफिशियेटिंग रक्खे जाते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक को प्रिफरेन्स क्यों है? मिनिस्टर्स को दूसरी पार्टीज़ के मुकाबले में ज्यादा प्रिफरेन्स क्यों दिया जाता है? यह जो बातें हैं वह इतनी छोटी हैं कि वह उन को बहुत आसानी से हल कर सकते थे, पर इन छोटी छोटी चीजों के वास्ते वह कहते क्या हैं? वह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इन सब बातों के वास्ते एक एन्क्वायरी कमीशन बैठे। वह कमीशन क्या तय करने के लिये होगा, इन छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेशन की बातों को। मैं जानती हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर बहुत सी दिक्कतें होती हैं, ऐडमिनिस्ट्रेशन का नक्शा बाहर से दूसरा होता है और अन्दर से दूसरा होता है। हम तो वही सुनते हैं जो लोग हम को सुनाते हैं। ऐसी हालत में हम इन्साफ नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग दुखी हैं, जिन को तकलीफें हैं, जो समझते हैं कि उन के साथ न्याय नहीं हुआ, वही हमारे पास आते हैं। हमें अन्दर की तस्वीर भी देखनी चाहिये पेश्तर इस के कि हम हाउस में आ कर ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई चर्चा करें।

इस के बाद मुझे कहना है कि उनकी स्पीच के बाद मैं ने अपने भाई चट्टोपाध्याय साहब की स्पीच सुनी। उन की स्पीच सुन कर तो मैं हैरत में रह गई, क्योंकि मैं समझती थी कि वह पिछले साल से कुछ ज्यादा बातें हमें बतायेंगे। लेकिन उन्होंने वही चन्द बातें अब की भी बतलाईं। जब वह बोल रहे थे तो मैं ने देखा कि अपनी बातें बताने में उन्हों ने कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन लोगों को पेश किया है वह आज भी टेम्पोरेरी हैं। उन को आप परमानेन्ट नहीं करते, इस तरह की बातें उन्हों ने कहीं, लेकिन उन का जोश अब की कम था। पिछली दफा जब वह फिल्म पर बोले थे तो उन की स्पीच बहुत जोशीली थी, लेकिन उन्हों ने जिस वक्त बेचारे मुकर्जी साहब का जिक्र किया उस वक्त कुछ जोश दिखलाया। हर साल वह मुकर्जी साहब की चर्चा यहां करते हैं, ऐसा मालूम होता है कि उन्हों ने निश्चय कर लिया है कि वह इस हाउस में हर साल उन के नाम का मर्सिया पढ़ेंगे। मुझे अपने दोस्त से यह कहना है, आज शायद वह इस हाउस में नहीं हैं, मुझे उन से कहना है किजितने मित्र उन के मुकर्जी साहब थे उतने ही अजीज मित्र वह हमारे भी थे, हमें भी उतना ही दुःख है उन के गुजर जाने का जितना उनको है, लेकिन इस तरह की बातें कहना एक कवि के वास्ते शोभा नहीं देता है। मेरा तो हमेशा से यह ख्याल था कि जो कवि होता है वह समाज को बहुत ऊंचा ले जाता है कि। लेकिन आज उस कवि की हालत यह है कि उस की कविता तो इतनी मधुर और सुन्दर है, पर जिस वक्त वह हाउस में आता है तो उस के मुंह से ज़हर भरे शब्द निकलते हैं। यह देख कर हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है। मैं तो उन से कहूंगी कि उन का यह

फर्ज़ है कि वह इन चीजों को छोड़ें और जो उन का पेशा है कविता लिखने का उसकी तरफ जायें ताकि समाज में उन की कविता से सभ्यता फैले ।

इन सब बातों के बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहती हूं । मैं जानती हूं कि जिस प्रकार से आज फिल्म इंडस्ट्री चल रही है वह सन्तोषजनक नहीं है और यह भी मैं जानती हूं कि जितनी तेजी से हम हिन्दी को आगे ले जाना चाहते हैं वह तेजी अभी नहीं आई है, लेकिन हमें यह देखना है कि हम उस को आगे ले जाना चाहते हैं या नहीं, हमारी कोशिश हो रही है या नहीं हो रही है । अगर कोशिश नहीं हो रही है तो हम गुनाहगार हैं, लेकिन अगर कोशिश हो रही है उन्नति की तरफ़ ले जाने की, तो मेरी समझ में नहीं आता कि हाउस में क्यों इतनी बेताबी है । वह समझते हैं कि हम हिन्दी को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, पर हिन्दी तो सदा रहने वाली चीज़ है । मैं आप को बताऊं कि हमारी मुश्किलें क्या क्या हैं ।

मैं अक्सर सोचती हूं कि आखिर क्या बात है कि इतने प्रोड्यूसर्स की पौधें हो रही हैं ? जब मैं गौर से देखती हूं तो मालूम होता है कि नये नये पौधे इसलिये उग रहे हैं, जिन्हें हम् मशरूम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, कि उन के पास थोड़ी रकम होती है, वह उस से फिल्म तैयार करते हैं, तैयार करने पर अगर फिल्म चल गई तब तो वाह वा होती है और वह फिर कायम रहते हैं, लेकिन अगर फिल्म नहीं चली तो उन का नाम व निशान भी बाकी नहीं रहता । हम देखते हैं कि उन में वह बैकग्राउन्ड और कल्चर नहीं है जिस को हम पैदा करना चाहते हैं । यह बात तो तभी होगी जब कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हों वह मुस्तक़िल हों । यह चीज़ भी हमारे सामने है ।

दूसरी चीज यह है कि हम देखते हैं कि हमारे देश में अमरीकन फिल्म बहुत आती हैं, मैं भी फिल्म काफी देखा करती हूं, और मैंने भी उन अमरीकन फिल्म में देखा कि बाज़ लड़कियां हमारे यहां की अमरीकन तर्ज से चलती हैं, अमरीकन तर्ज से बोलती हैं और रम्बा सम्बा नाच नाचती हैं । हिन्दुस्तानी लड़कियां जिस वक्त स्टेज पर आती हैं तो अपने कपड़े उतारती हैं, आधी नंगी होती हैं और फिर कपड़े पहनती हैं । यह बात हमारी सभ्यता के खिलाफ है । ऐसी फिल्मों को हमें अपनी सभ्यता को कायम रखने के लिये, अपने देश को ऊंचा उठाने के लिये बन्द करना होगा । लेकिन जब हम ऐसी वलगर और क्रूड फिल्मों को बन्द करते हैं तो चारों तरफ से एक पुकार उठती है, और वह यह कि साहब यह रेडियो महकमा जो है और जो फिल्म्स का महकमा है वह बहुत अन्यायी है और वह ग़लत बातें करता है । लेकिन इतने सेन्सर के बाद भी मैं ने देखा कि वह रम्बा सम्बा नाच वाली फिल्म्स पास हो कर चलती हैं । मैं कभी कभी सोचती हूं कि आखिर क्या बात है कि इतनी कड़ाई होने पर भी यह फिल्म्स कैसे आ जाती हैं । यह लीकेज किधर से होता है ? मैं इस लीकेज के मामले में ज़्यादा नहीं जाना चाहती, लेकिन आज इस लीकेज को हमारे मिनिस्टर साहब को रोकना है । अगर वह समाज और सभ्यता को बनाना चाहते हैं, अगर वह भारतीय सभ्यता को देश में लाना चाहते हैं तो उनको जहां जहां पर ऐसे लीकेज होते हैं वहां पर ज़बरदस्त रोक लगानी होगी । मैं आप को क्या बताऊं, आज जो नये प्रोड्यूसर्स पैदा होते हैं उनको न देश की तरक्क़ी का विचार है न उन को इस इन्डस्ट्री की भलाई का विचार है, उन को तो सिर्फ सैल्फ इंटरेस्ट का विचार है वह चाहते हैं कि उनकी तरह के पौदे जिन्दा रहें, मुल्क का चाहे जो कुछ भी हो । अभी गाडगिल साहब कह रहे थे, मुझे भी यह देख

[श्रीमती उमा नहरू]

कर दुःख होता है, कि सोसायटी में यह एक ऐसा विशस सर्किल बन गया है कि अगर वह जिन्दा रहें तो प्रेस भी जन्दा रहें, इसलिये प्रेस को उन को साथ लेना पड़ता है। तो यह तो आप को मानना ही पड़ेगा कि एक विशस सर्किल बन गया है।

मैं कह रही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हिन्दी आगे बढ़े। लेकिन बहुत से फिल्म्स के देखने के बाद मुझे मालूम होता है कि बंगला, मराठी और गुजराती, इन तीनों ज़बानों ने पहले से, बहुत ज़्यादा उन्नति की है। यहां पर मैं आप से यह कह दूं कि जो मराठी फिल्म्स हैं उन का स्टैंडर्ड और दूसरी फिल्मों से बहुत ऊंचा है। यह देख कर मुझे खुशी होती है। जहां तक तामिल और तेलगू फिल्मों का सवाल आता है, उन्हों ने भी काफी तरक़्क़ी की है, लेकिन वहां पर भी ऐसी बातें हैं जिन का वास्ता कि फिल्म इंडस्ट्री से है और जो कि उन को आगे बढ़ने नहीं देती। चूंकि समय कम है इसलिये इस बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकती। पर मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि जब मैं यह सब चीजें देखती हूं तो मेरे दिल में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर यह कौन साहब हैं जो अमरीकन फिल्म्स की यहां पर इतनी जगह दे रहे हैं और कौन कौन साहब हैं जो हमारी सभ्यता में दखल दे रहे हैं। पता यह चलता है कि एक साहब श्री अग्रवाल हैं, और यह श्री अग्रवाल वह हैं जो सेन्सर बोर्ड के पहले चेअरमैन थे। लेकिन आज वह नहीं हैं और जो श्री अग्रवाल साहब हैं, भगवान जाने क्या वजह है कि उन का अमरीका से ज्यादा प्रेम क्यों है और वे उन की मदद में क्यों लगे रहते हैं और अपने मुल्क की ज़रा भी परवाह नहीं करते। मैं अक्सर सोचती हूं कि यह अग्रवाल साहब जो हैं यह कैसे हिन्दुस्तानी हैं कि उन को ज़रा भी ख्याल नहीं आता कि किस मुल्क के साथ उन का .....

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि श्री अग्रवाल इस सदन के सदस्य नहीं हैं। वे अपनी सफ़ाई नहीं पेश कर सकते और उन पर आघात करना उचित नहीं होगा।

श्रीमती उमा नहरू : चेअरमैन साहब, जो आप ने कहा ठीक कहा है मगर मैं आप को यकीन दिलाती हूं कि मैं उन को जानती भी नहीं और न ही मैं कोई शिकायत उन के खिलाफ करना चाहती हूं और जो कुछ मैं कह रही थी वह सिर्फ देश भक्ति और देश प्रेम के कारण कर रही थी।

अब मैं तीन चार सुझाव मिनिस्टर साहब को देना चाहती हूं। वैसे तो आल इंडिया रेडियो की एक बहुत बड़ी राम कहानी है जिसे कि समय न होने के कारण चर्चा नहीं हो सकती मगर जो तीन चार सुझाव हैं मैं देना चाहती हूं मैं आशा करती हूं कि मंत्री महोदय उन की तरफ ध्यान देंगे।

सब से पहले तो मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर अमल किया जाय। मैं चाहती हूं कि केवल सांइटिफिक म्यूज़िक प्रोग्राम नहीं होने चाहियें बल्कि टैगोर स्कूल आफ थाट का जो म्यूज़िक है वह भी जरूर होना चाहिये। मैं यह भी चाहती हूं कि पक्के गाने जो होते हैं वह बड़े सुन्दर होते हैं लेकिन मासिस उन को समझ नहीं पाते हैं, उन में ज़रा सुधार करना चाहिये। फोक सांगस जिन को ढ़ोलक के गाने कहते हैं वे भी बहुत सुन्दर होते हैं और भारत में वें हर मौसम में गाये जाते हैं। मैं चाहती हूं कि उन का ज्याादा रिवाज हो और वे आल इंडिया रेडियो पर बजाये जायें ताकि मासिस आप के प्रोग्रामों को पसन्द करें और उन में इंट्रैस्ट लें।

अब सैंसरशिप के बारे में थोड़ा सा कहना चाहती हूं। अंग्रेजों के जमाने में कड़ा सैंसरशिप हुआ करता था और वे चाहते थे कि कोई भी बात उन की पालिसी के खिलाफ न हो। अब जबकि हमें अपनी पालिसीज़ लागू करनी है हमें सेंसरशिप को मज़बूत करना होगा। क्योंकि हम स्टैंडर्ड को ऊंचा भी करना चाहते हैं इसलिये भी सेंसरशिप का होना बहुत जरूरी है। जो हम एजुकेशनल फिल्म्स बना रहे हैं वह बहुत अच्छी हैं लेकिन इन फिल्म्स में एंटरटेनमेंट भी हो, इस का भी हमें ध्यान रखना चाहिये। मैं यह भी चाहती हूं कि जो हमारा राष्ट्रीय गाना है, 'जन गण मन', इसे कम्मुनिटी गाना समझ कर इस को रेडियो से गाना चाहिये ताकि हम अपने मासिस को भी यह गाना सिखा सकें। आज हालत यह है कि चंद एक लोग ही इस गाने को जानते हैं और समझते हैं और आम लोगों को इस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस वास्ते यह ज़रूरी है कि हम इस गाने को रेडियो से लोगों को सिखायें। इस के बाद मैं यह चाहूंगी कि सेंसरशिप बोर्ड के जो मेम्बर हैं वे मैन आफ इमैजिनेशन भी हों और फैक्ट्स आफ लाइफ से भी वाकिफ हों जो लोग मेन आफ इमैजिनेशन नहीं हैं और फैक्ट्स आफ़ लाइफ को नहीं समझते उन के लिये सेंसरशिप करना मुश्किल बात होती है। चिल्डरंस फिल्म्स की तरफ ज़्यादा ग़ौर किया जाय। मैं चाहती हूं कि इन के बारे में अगर आप ने कमेटी बिठाई है तो अच्छा है लेकिन इस कमेटी में जो लोग हों वे एक्सपर्ट होने चाहियें जो कि चिल्डरन की साइक्लोजी को समझते हों और एजुकेशनिस्ट हों। इस कमेटी के अन्दर ले मैन को रखना ग़लत बात होगी। इन के लिये जो फिल्में बनाई जायें उन में एजुकेशनल एस्पेक्ट के साथ साथ मनोरंजन का होना भी बड़ा जरूरी है। मनोरंजन का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना, कपड़ा और मकान इन्सान के लिये जरूरी होती हैं। इन का स्टैंडर्ड भी ऊंचा होना चाहिये। पंचवर्षीय योजना का भी हमें प्रचार करना है।

मुझे ज़्यादा न कह कर इतना ही कहना है कि आप का अभी बहुत कठिन मार्ग है। जो हमारी पंचवर्षीय योजना है उस को आप को सफल बनाना है। आप को सब से बड़ी बात जो करनी है वह यह है कि निजाम अच्छा हो और डिसिप्लिन लोगों के अन्दर आये।

डा० केसकर : इस मंत्रालय के कार्यकरण के बारे में माननीय सदस्यों ने विभिन्न रायें प्रकट की हैं। कुछ मित्रों ने सराहना की है। मैं इसके लिये उन का आभारी हूं। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने जो आलोचना की है, उसे भी मैं ने सावधानी से नोट कर लिया है।

आलोचनाओं का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि इस का एक महत्वपूर्ण अंश पदाधिकारियों की शिकायतें हैं। इस के साथ कुछ पदाधिकारियों पर आघात भी किये गये थे। ये संभवतः इसलिये किये गये थे, ताकि उन लोगों को, जो अन्य परिस्थितियों में उनका स्थान लेते, समर्थन किया जा सके। मेरे विचार में यह कोई वांछनीय प्रथा नहीं है। संसद् ऐसा स्थान नहीं है जिसमें पदाधिकारियों की पदोन्नति, स्थानान्तरण और अन्य सुविधाओं के लिये चेष्टा की जा सके। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा करना बहुत बुरा है किन्तु इस का परिणाम यह होगा कि संसद् के सस्दयों पर कई प्रकार का दबाव डाला जायेगा और जो उन तक पहुंच जायेंगे वे तो कुछ न कुछ लाभ उठा जायेंगे किन्तु दूसरे जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, चिल्लाते रहेंगे। मेरे विचार में प्रशासनीय कार्यक्षमता और अनुशासन के लिये ऐसा होने देना वांछनीय नहीं है। सैद्धान्तिक दृष्टि

[डा० केसकर]

से मैं इसे गलत समझता हूं कि कोई सदस्य यहां किसी पदाधिकारी के गुणावगुणों पर चर्चा करे या इस बात पर चर्चा करे, कि उसे पदोन्नति मिलनी चाहिये थी या नहीं। तथापि मैं दो मामलों की ओर निर्देश करूंगा। एक मामला एक विशेष पदाधिकारी के चुनाव के बारे में था। समाचार संपादक के पद के लिये इस का चुनाव संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा और इन्टरव्यू के बाद किया गया था। किन्तु इस चुनाव के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, जिन से यह प्रकट करने की चेष्टा की गई है कि आयोग ने उचित और निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की। मेरे विचार से संघ लोक सेवा आयोग पर इस तरह आक्षेप करना बहुत अवांछनीय है। मैं आयोग का ध्यान इस मामले की ओर दिला रहा हूं और मुझे विश्वास है कि वह संसद् या सरकार के साथ इस प्रश्न का निर्णय करेगा और मैं इस के परिणाम सदन के सामने रखूंगा। इस सम्बन्ध में, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार किसी पदाधिकारी का समर्थन करने या अन्य पदाधिकारियों की निन्दा करने से किसी का लाभ नहीं होता : जो पदाधिकारी अपनी शिकायतें दूर करवाना चाहते हैं, उन के लिये नियमित प्रक्रिया है : यदि संसद् में ऐसी बातों का निर्णय करने दिया जाय तो यह काम कभी समाप्त ही नहीं होगा। अतः मैं यह नहीं चाहता कि यहां इस प्रश्न पर वाद विवाद किया जाये।

विजयवाड़ा से आने वाले सदस्य ने और एक और माननीय सदस्य ने बार बार यह कहा है कि सरकार अपनी कार्यवाहियों द्वारा आकाशवाणी से पदाधिकारियों के काम में हस्तक्षेप करती है। मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पदाधिकारियों के काम के बारे में सरकार के आदेश ये हैं कि पदाधिकारी सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई रियायतों और आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करें। पहली बात यह है कि यह मंत्रालय ही आकाशवाणी के कार्यकरण के लिये उत्तरदायी है। महा निदेशक या उपमहानिदेशक या छोटे पदाधिकारी इस के लिये उत्तरदायी नहीं हैं। यह मंत्रालय संसद के प्रति उत्तरदायी है और इसी मंत्रालय को प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। चाहे यह आकाश वाणी हो या कोई और सरकारी विभाग, सचिव से ले कर चपड़ासी तक सब पदाधिकारियों का कर्तव्य है कि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये आदेशों का पालन करें और उस की नीति को क्रियान्वित करें। यदि कुछ लोग ऐसे है जो यह समझते हैं कि वे इतने बड़े हैं, कि उन के काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिऐ, तो उन के लिऐ आकाशवाणी या किसी अन्य विभाग में कोई स्थान नहीं है कोई सरकार ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि यह न केवल गलत है बल्कि अनुशासन के प्रतिकूल भी है यदि इस मामले को कुछ आगे ले जाया जाये तो मैं कहूंगा कि यह मंत्रालय भी नीति को निर्धारित करने या क्रियान्वित करने में अपना स्वामी आप नहीं है। मंत्रालय सरकार और संसद के सामान्य नियंत्रण के अधीन है और सरकार या संसद इसे जो निदेश देगी, उस का अनुसरण उसे करना होगा। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यदि किसी को आकाशवाणी में, जो कि सरकार का एक विभाग है, काम करना है, तो उस के काम में अवश्य हस्तक्षेप किया जायेगा और अधिक से अधिक किया जायेगा। यदि वे इसे नहीं पसन्द करते, तो आकाशवाणी में उन के लिये, कोई स्थान नहीं है। वे बाहर जा कर निजी नौकरी कर सकते हैं।

यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पिछले वर्ष भी इस का कुछ उल्लेख किया गया था, और जब इस वर्ष भी इस का तीन चार बार उल्लेख किया गया कि अमुक व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो मैंने अनुभव किया कि इस समय इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया जाय।

इस सम्बन्धी चर्चा के अन्दर पुनः यह कहा गया था कि वह बड़े-चौधरी महा-निर्देशक के काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है। वह सरकार द्वारा, सरकार के उच्च अधिकारी या अन्य किसी महानिर्देशक के समान, सरकारी नीति के अनुसार कुछ काम करने के लिये नियुक्त किया गया सरकारी अधिकारी है। ऐसा कोई महानिर्देशक, या अन्य कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सरकार उस के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जिन लोगों के दिल में यह विचार है मैं उन्हें यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात नहीं चल सकती।

परन्तु इस के पीछे कुछ बात है। मैं सभा को इस समस्त मामले की पृष्ठभूमि बतलाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) लगभग पचीस वर्ष पहले एक छोटे विभाग के रूप में आरम्भ किया गया था, प्रारम्भ में केवल एक सरकारी सचिव था, और इस विभाग प्रभारी को महानिदेशक का नाम दिया गया था

उस समय भारत में विदेशी सरकार थी और गवनर जनरल भारत पर शासन करता था। तब महानिदेशक अपने विभाग का मुखिया होता था और वह उस विभाग के सचिव या मंत्रणा दाता के उपदेशानुसार कार्य किया करता था। उस समय इस का स्वरूप बहुत छोटा था।

युद्ध के कारण इस विभाग का विस्तार हुआ। उस समय काम शीघ्र होना चाहिये था, इसलिय उस व्यक्ति को अधिक अधिकार देना पड़ा। इस प्रकार आल इंडिया रेडियो का इतनी बड़ी संख्या के रूप में विस्तार हुआ। तुरन्त पश्चात स्वतन्त्रता मिली और विभाजन हुआ। विभाजन के कारण कुछ कर्मचारी यहां रह गये और कुछ पाकिस्तान चले गये।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात बहुत से स्टेशनों और कर्मचारियों के पाकिस्तान में चले जाने के कारण हमें कर्मचारी भरती करने थे और शीघ्र ही आकाशवाणी का विस्तार करना था। इस का परिणाम यह हुआ कि महानिर्देशक और उस के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को यह सारा काम शीघ्र कर के इस का परिणाम दिखाना पड़ा।

इस संक्रमण काल में यह हुआ कि महानिर्देशक सब काम स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकता था। अब स्थायी प्रजातन्त्रात्मक सरकार बन जाने और मंत्रालय तथा संसद की स्थापना के पश्चात, वह बात नहीं चल सकती थी। अनियंत्रण के स्वभाव पर नियंत्रण करना सहल नहीं है, इसलिये उस समय कई घटनायें हुईं।

आकाशवाणी के जीवन में सब से महत्वपूर्ण समय बुखारी समय है। स्वतन्त्रता प्राप्ति और विभाजन के पश्चात संक्रमण काल में, उस समय वर्तमान महानिर्देशक और उस के साथी अधिकारी स्वतन्त्रतापूर्वक काम करते रहे। उस के पश्चात काम जमने लगा।, संविधान पारित हुआ और संसद बनी, तथा स्वभावतः, सब बातें की जांच पड़ताल और नियंत्रण के लिये नियम और विनियम बनने लगे।

इस बात को स्वभावतः कई व्यक्तियों ने पसन्द नहीं किया। आकाशवाणी के अति-रिक्त रेलवे तथा अन्य विभागों में भी हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त की चर्चा होने लगी। जहां संसद मंत्रालय का नियंत्रण करती है

[डा० केसकर]

और मंत्रालय अपने अधीनस्थ विभागों का, वहां सरकारी काम में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत निराधार है। सरकारी सेवा के नियमों और विनियमों के अधीन हस्तक्षेप न करने की अथवा अनियंत्रित नीति का चलाना संभव नहीं है। इसीलिये वित्तीय दृष्टिकोण से भी, समाज और देश के हित के लिये ऐसी बातों का नियंत्रण करना अत्यावश्यक है, और इस प्रकार का समय समय पर नियंत्रण रखा जाता है। सरकार का उच्चतम अधिकारी भी हस्तक्षेप न करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। जो लोग अनुशासन और सरकारी सेवा के नियमों के अनुसार नहीं चल सकती उन्हें नौकरी छोड़ जाने की सदा छुट्टी है :

मंत्रालय द्वारा की गई भर्ती के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं। कार्यक्रम सहायकों समाचार सेवाओं और इंजीनियरी सम्बन्धी कर्मचारियों और स्थायीकरण तथा पुष्टीकरण के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न उत्पन्न किये गये हैं उन सब का पृथक पृथक उत्तर देना संभव नहीं है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि १९५०-५१ में इस संक्रमण काल के समाप्त हो जाने पर हम ने आकाशवाणी के सब स्थायी कर्मचारियों के पुनर्गठन का प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के सामने उपस्थित किया। अब यह दो तीन साल से चल रहा है। जब इस आयोग का निर्णय माननीय मित्रों के पक्ष में होता है तो वे उस का उल्लेख करते हैं, अन्यथा जब निर्णय उन के विपरीत हो, तो वे इस आयोग के निणय को मानने को तैयार नहीं होते। दुर्भाग्यवश संक्रमण काल में बहुत से लोग विभिन्न प्रकार से भर्ती किये गये थ, कुछ तदर्थ भर्ती किय गये, कुछ छोटी समितियों द्वारा नियुक्त किये गये और कुछ लोगों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना ही विभिन्न पदों से पदोन्नत कर दिया गया। अतः स्वाभाविक था कि लोक सेवा आयोग इस मंत्रालय को कहता कि उसे निर्णय देने से पहले सब मामलों की सूक्ष्म परीक्षा करने दी जाये। आयोग ने यह काम लगभग पूरा कर लिया है। श्री साधन गुप्त ने इस बार कुछ कार्यकर्म श्रम सहायकों के बारे में शोर मचाया है। मैंने पिछले वर्ष इसी प्रश्न के उत्तर में सब तथ्य और आंकड़े तथा लोक सेवा आयोग का निर्णय बताया था। मैंने उन सब मामलों को नोट कर लिया है जिन के बारे में कहा गया है कि लोक सेवा अयोग का परामर्श नहीं लिया गया है, और मैं उन सब मामलों का लोक सेवा आयोग को निर्देश करूंगा, तथा आयोग का उत्तर सभा पटल पर रख दूंगा। स्थायीकरण और पुष्टीकरण के प्रश्न की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है। परन्तु शायद सदस्यों को विदित नहीं है कि इस मामले में इस मंत्रालय को उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो अन्य मंत्रालयों के सामने उपस्थित होती हैं। १९४९ में, पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के हितों की रक्षा के हेतु एक आदेश जारी किया गया था कि जब तक सब शरणार्थी कर्मचारी न आजायें और उन के दावे प्रमाणित न हो जायें, तब तक किसी भी कर्मचारी का पुष्टीकरण नहीं होगा। उस के बाद ही इस प्रश्न को किया जा सकता है। अतः हम ने भी यह प्रश्न नहीं उठाया। अब जबकि बहुत सा काम क्रम बद्ध हो चुका है, अर्ध-स्थायीकरण अथवा पुष्टीकरण का मामला गृह-कार्य मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के सामने उपस्थित किया गया है और मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही इस मामले का निर्णय कर सकेंगे। परन्तु आकाशवाणी के बाहर आ कर नारे लगाना निरर्थक है। जब सभी मंत्रालयों में यह अवस्था है, फिर अकेले आकाशवाणी को ही क्यों दोष दिया

जाता है ? फिर भी यह मंत्रालय अपने कर्मचारियों के इस मसले के लिये प्रयत्न कर रहा है । क्रम बद्ध करने का पेचीदा प्रश्न सुलझाया जा चुका है । यदि यह समस्या हल न होती, अर्ध-स्थायीकरण या स्थायीकरण के प्रश्न का निर्णय असंभव था । मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की भावी स्थिरता के सम्बन्ध में कोई कठिनाई और शिकायत नहीं रहेगी ।

इंजीनियरी सम्बन्धी तथा अन्य कर्मचारियों के उन मामलों का निर्देश संघ लोक सेवा आयोग से किया जायेगा, जिनके बारे में आयोग का परामर्श नहीं लिया गया था, और उस का उत्तर सभा पटल पर रखा जायेगा ।

अब मैं आकाशवाणी की विभिन्न नीतियों सम्बन्धी शिकायतों को लेता हूं । संगीत के सम्बन्ध में यह शिकायत है कि शास्त्रीय संगीत बहुत अधिक चलता है । यह बिल्कुल गलत है विभिन्न प्रकार के संगीतों का प्रतिशतक देखने पर मालूम होगा कि सब संगीतों का प्रतिशतक प्रायः सामान है । थोड़ा अन्तर उपेक्षनीय है । हमने शास्त्रीय संगीत का स्तर और गुण प्रकार ऊंचा उठाने का भी प्रयत्न किया है, क्योंकि इसी से अन्य सब प्रकार के संगीत पैदा होते हैं । शास्त्रीय संगीत की उन्नति के कारण कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया है कि हम शास्त्रीय संगीत के पक्षपाती हैं और दूसरे किसी प्रकार के संगीत के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं कि लोक-संगीत के लिये भी हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं । जो हमारी जनता की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम प्रकारों में से एक है, और आकाशवाणी के पास देश में उपलब्ध लोक संगीत के रिकार्डों का सब से बड़ा भंडार है, और हम प्रति दिन इस को बढ़ा रहे हैं तथा कई मत प्राय लोक कथा और विशेषतया लोक संगीत को पुनः जीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

पुनः वही शिकायत की गई है कि हम संगीत की संस्था विशेष को पसन्द करते हैं । मैं माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि वे जरा संगीत विद्या को समझें और तब ऐसा आरोप लगायें । जब मैंने इस विभाग का प्रभार संभाला, तब संगीतज्ञों के एक विशेष वर्ग का आकाशवाणी पर पूर्ण नियंत्रण था । प्रभार संभालने से पहले मैं जीवन भर संगीत का विद्यार्थी रहा हूं और मैं बहुत से संगीतज्ञों को भी जानता हूं । जब मैं ने प्रभार संभाला तब ८० प्रतिशत संगीतिज्ञों को आकाशवाणी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती थी और केवल कतिपय संगीतज्ञ ही वहां प्रवेश पा सकते थे । रेडियो वाले उन्हें बुरे संगीतज्ञ कह कर उन की उपेक्षा करते थे । परन्तु हम ने यह प्रयत्न किया कि अधिक से अधिक संगीतज्ञ रेडियो पर आयें, क्योंकि अब कोई सम्राट नहीं, बल्कि सरकार ही संगीत की संरक्षक एवं आश्रयदाता है, अतः यह आवश्यक हो गया है कि हम अधिकतम लोगों को अवसर दें । इस नीति का यह परिणाम हुआ है कि अब संगीतज्ञ कहलाने वाले ९० या ९५ प्रतिशत लोग आकाशवाणी के संगीतज्ञों की सूची में हैं ।

श्री गुहा ने चार या पांच संगीतज्ञों का उल्लेख किया है । मैंने पिछले वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में विस्तारपूर्वक बताया था कि ये संगीतज्ञ किस कारण नहीं आए । वे चोटी के संगीतज्ञों को दिये जाने वाले शुल्क से अधिक मांगते थे । हम नहीं चाहते कि उन्हें दूसरे बराबरी के संगीतज्ञों की अपेक्षा अधिक शुल्क दे कर अन्य लोगों को यह कहने का अवसर दें कि आकाशवाणी में पक्षपात हो रहा है । इस प्रकार की कठिनाइयां सदा रहती हैं ।

[डा० केसकर]

क्या आप यह सम्भव समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि संगीतज्ञ है अथवा अपने आप को संगीतज्ञ कहता है, उसका नाम अखिल भारतीय आकाशवाणी के नामों की सूची में दर्ज हो ? ऐसा करना किसी भी प्रकार संभव नहीं है । किन्तु आज हम यथासंभव अधिक से अधिक संगीतज्ञों को वेतन दे रहे हैं और हम उन को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति उच्च वर्ग के न होकर निम्न वर्ग के हो सकते हैं । उनको प्रोत्साहन देने से यह संभव है कि वे अच्छे हो जायेंगे और इस प्रयोग से संगीत की उन्नति होगी । इसीलिये हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि सब प्रकार के संगीतज्ञों को रेडियो में आने का प्रोत्साहन दिया जाये ।

संगीत की पद्धतियों और धरानों का निर्देशन किया गया है । यदि माननीय मित्र संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो उन्हें मालूम होगा कि इस देश में संगीत की केवल दो या तीन पद्धतियां ही हैं । वे व्यक्तिगत पद्धतियां न हो कर भौगोलिक पद्धतियां हैं । जिस को हम घराना पद्धति कह कर पुकारते हैं, वह यह होता है कि एक संगीत शास्त्री के मरने के बाद उस के शिष्य तथा वंश वाले एक घराना बना लेते हैं । आप इस को कम खर्चे पर चलने वाला एक संगीत एकक कह सकते हैं । यह संगीत की पद्धति नहीं है । हिन्दुस्तानी संगीत की केवल दो या तीन पद्धतियां हैं और उन में सब प्रकार के संगीत की शिक्षा दी जाती है । मैं इतना और कहना चाहता हूं कि मुझे संगीतज्ञों से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उन में से अधिकांश ने पूरे हृदय व उत्साह से हमको सहयोग दिया है कारण कि वे जानते हैं कि ऐसा करना उन के हित में है ।

गत वर्ष या डेढ़ वर्ष पूर्व अनेक संगीतज्ञों को यह शंका हुई थी कि उन को अपना कार्यक्रम नहीं मिलेगा और उन्हों ने वाणी परीक्षा के खिलाफ बड़ा हो हल्ला मचाया । किन्तु जब उनको सारी बात बताई गई तो वे स्वयं आगे आये और सहयोग दिया । अतः संगीतज्ञों के बारे में अथवा इसके बारे में कि उन्हों ने हमारा सहयोग नहीं दिया, मुझे शिकायत करने का कोई कारण नहीं है ।

माननीय सदस्यों ने हल्के संगीत का निर्देशन किया है । कुछ लोग हल्के संगीत का मज़ाक उड़ाते हैं । वे कहते हैं कि इस में व्यर्थ रुपया खर्च होता है । मैं इस सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं ।

प्रथम बात इस संगीत के गुण के बारे में है । जब हमने इस को प्रारम्भ किया तो अनेक व्यक्तियों ने हमारी मज़ाक उड़ाई । हमने इस को दो कारणों से प्रारम्भ किया । आपको स्मरण होगा कि उस समय चलचित्र के कुछ लोगों ने यह कह कर अपने ठेके वापिस ले लिये कि वे रिकार्ड नहीं देंगे । इस पर रेडियो ने स्वयं अपना एक विभाग खोला । दूसरी बात यह है, जैसा कि मैंने गत वाद विवाद के दौरान में भी कहा था, कि रेडियो से जो संगीत के कार्यक्रम चलते थे, उन में से ५० प्रतिशत या उस से अधिक कार्यक्रम चलचित्र के रिकार्डों के होते थे । मैं नहीं समझता कि किसी संघटन के सांस्कृतिक विकास के लिये चलचित्रों के गीतों पर ही निर्भर रहना तथा स्वप्रेरणा प्रदर्शित न करना ठीक है । ऐसा किसी देश में नहीं होता है । अमरीका जैसे देश में, जहां इस प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है, अधिकांश रेडियो, अपने गीत स्वयं ही तैयार करते हैं और चलचित्रों के रिकार्डों तथा गीतों का प्रतिशत उन के कार्यक्रमों में बहुत कम रहता है । हमने इस विभाग को यह जान कर प्रारम्भ किया कि ऐसे विभागों की स्थापना

करना सरल नहीं है। एक ऐसा विभाग बनाना कठिन है, जो साधारण मनुष्य को अच्छा लगने वाला संगीत तैयार कर सके। किन्तु साथ ही वह किन्हीं प्रमापों अथवा प्रथाओं से बाध्य नहीं हो। उसे चित्त प्रसन्न, करने वाला और साथ ही अच्छा भी होना चाहिये हमने इस की कोशिश की और म कहना चाहता हूं कि इस प्रयोग में सफलता मिली है। मैं आप को एक उदाहरण देता हूं। अनेक लोगों ने हमारे गीतों पर आपत्ति की और इस लिये हम ने इस मामले की जांच की। कुछ वियाक्त जो कि चलचित्र के गीतों के बहुत शौकीन थे, सशस्त्र बल के व्यक्ति थे। अतः हम ने अपने गीतों को सशस्त्र बल के कार्यकर्म में रख दिया और उनको यह नहीं बताया कि वे गीत किन के थे। हम ने उनको चलचित्र के गीतों के साथ मिला दिया और आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि उन्होंने कुछ गीतों को दुबारा गाये जाने के लिये लिखा और उन में से अधिकांश गीत हमारे हल्के संगीत विभाग के थे। मैं प्रेस का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उसने इस विभाग के द्वारा किये गये काम की बड़ी प्रशंसा की है और यह स्वीकार किया है कि इस विभाग का काम परिपक्वावस्था में पहुंच गया है तथा अनेक गीत, जो कि बनाये जा रहे हैं, अच्छे प्रकार के हैं और साधारण मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि हम ने एक बहुत बड़ा काम पूरा कर लिया है और मेरे विचार में श्री गुप्ता का यह कहना ठीक नहीं है कि इस में बड़ा खर्च पड़ता ह।

माननीय सदस्य रिकार्ड बनाने की बात करते हैं, किन्तु सम्भवतः वे यह भूल जाते हैं कि इस से क्या आशय है। रिकार्ड बनाने की इस रीति से एक गीत के सैंकड़ों रिकार्ड तैयार किये जाते हैं और उन को विभिन्न केन्द्रों में वितरित कर दिया जाता है। यहां प्रश्न यह है कि जब एक विशिष्ट केन्द्र में एक गीत बनता है, तो वह उसी केन्द्र में एक बार नहीं, अपितु कई बार गाया जाता है। किन्तु जब तक उसके और रिकार्ड तैयार नहीं होते, तब तक उस गीत की बहुत सी प्रतियां प्राप्त नहीं हो सकतीं। अतः हम उनका वितरण सम्पूर्ण भारत में नहीं कर सकते। यदि हम इस बात की ओर ध्यान दें कि कितने गीत बनते हैं और उनको कितनी बार गाया जाता है, तो आप देखेंगे कि चलचित्रों के रिकार्डों के मुकाबले में वह अच्छा है। वस्तुतः इस में कुछ अधिक खर्च होता है। किन्तु कुछ समय बाद वह चलचित्रों के रिकार्डों के बराबर ही आ जायेगा। अतः आर्थिक दृष्टि से भी यह कहना ठीक नहीं है कि यह एक व्यर्थ तथा खर्चीला प्रयोग है। मेरे विचार में यह बहुत अच्छा प्रयोग है और हल्का संगीत विभाग स्थिर रहेगा। जनता इस की मांग करती है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में इस में अधिक अच्छा काम होगा।

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी संख्या में रिकार्ड तैयार करने की बात पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान समय में, रिकार्ड तैयार करने का हमारा विभाग बहुत छोटा है और यह थोड़े से गीतों के ही रिकार्ड तैयार कर सकता है। इसी कारण से बहुत से गीतों के रिकार्ड तैयार नहीं हो सके। रिकार्ड बनाने का संयंत्र बहुत कीमती है और हम संसद् से यह प्रार्थना करने वाले हैं कि वह हम को अन्य प्रसारण संस्थाओं के समान ही रिकार्ड बनाने के एक बड़े संयंत्र को खरीदने की अनुमति दे। यदि ऐसा हो जाता है, तो मुझे विश्वास है कि सारे केन्द्रों को अधिकांश गीतों के रिकार्ड का वितरण हो सकेगा और इस से बड़ी बचत होगी। आपको यह जान कर भी प्रसन्नता होगी कि एच०एम०वी० जैसे रिकार्ड तैयार करने के अनेक समवायों ने हम से कहा है कि उन्हें इस बात की अनुमति दी जाये कि वे हमारे गीतों के रिकार्ड तैयार

[डा० केसकर]

कर सकें और उन्हें जनता में वितरित कर सकें। इस मामले पर बातचीत चल रही है और शीघ्र ही ये सफल गीतों की बिक्री साधारण जनता में प्रारम्भ हो जायेंगी, क्योंकि जो रिकार्ड अखिल भारतीय आकाशवाणी में इस्तेमाल किये जाते हैं, वे ऐसे नहीं हैं, जिन को बाहर की जनता साधारण रूप से प्रयोग कर सके। मैं आशा करता हूं कि आप को इस से संतोष होगा कि हल्के संगीत के विभाग का काम काफी अच्छा है। निस्सन्देह इस में कुछ अधिक व्यय होता है। मैं ने गत वर्ष सभा को बताया था कि एक ऐसे विभाग की स्थापना करने में प्रारम्भ में कुछ खर्चा करना पड़ेगा और वह खर्च हुआ। किन्तु अब कुछ अनुभव के बाद मुझे विश्वास है कि वह खर्चा दुबारा नहीं होगा।

अब मैं हिन्दी के प्रश्न को लेता हूं। यह बात बड़े जोर शोर से कही गई है कि हम हिन्दी के लिये कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे इस बात से आश्चर्य है कि अखिल भारतीय आकाशवाणी से हिन्दी के प्रमापों का निर्धारण करने को कहा जाता है। अखिल भारतीय आकाशवाणी का यह काम नहीं है। संविधान में हिन्दी की परिभाषा दी गई है और यह काम सरकार का है तथा केन्द्र में और अन्य राज्यों में भी ऐसे मंत्रालय हैं जिन पर इस बात का उत्तरदायित्व है। यह उनका काम है कि हिन्दी के मानदंड निर्धारित करें और उसको स्थायी बनायें।

मेरे विचार में तो हिन्दी का मानदंड निर्धारित करना अभी समय से पूर्व है। हम जब हिन्दी में काम करना प्रारम्भ कर रहे हैं, किन्तु इस को रूप धारण करने तथा स्थायी होने में कुछ समय लगगा। श्री गाडगिल ने ठीक कहा था कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में अभी बनना है। इस के प्रमापीकरण की बात अभी दूर की बात है। किन्तु मैं कहता हूं कि यदि ऐसा कोई विभाग है जिसने हिन्दी का प्रचार करने में पूरी कोशिश की है, तो वह अखिल भारतीय आकाशवाणी तथा इस मंत्रालय के विभिन्न विभाग ही हैं। हम ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। वस्तुतः इस समय समाचार-पत्रों तथा अन्य पत्रों में हमें हिन्दी का ही प्रयोग करना पड़ता है और जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण के केन्द्रों को छोड़ कर अखिल भारतीय आकशवाणी के अधिकांश केन्द्रों में घोषणाओं इत्यादि के लिये हिन्दी का ही प्रयोग किया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अखिल भारतीय आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र से, चाहे वह दक्षिण का है अथवा उत्तर का, हिन्दी के समाचारपत्रों तथा पाठों का प्रसारण किया जाता है, और बहुत से अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं। स्वभावतः यह प्रश्न ऐसा नहीं है जो एक ही दिन में हल हो जाये। वे राज्य सरकारें भी जिन की सरकारी भाषा केवल हिन्दी ही है, अब भी अन्तिम रूप से यह निश्चय करने में असमर्थ हैं कि वे अपने काम को कैसे चलावें। उनको बड़ी बड़ी कठिनाई हो रही हैं और यह हमारे लिये ठीक नहीं है कि हम हिन्दी के मानदंड का अन्तिम रूप देने का कार्य अपने ऊपर लेकर दूसरों से संघर्ष लें। यदि समय से पूर्व हम कोई कार्य करना चाहेंगे तो वह व्यर्थ हो जायेगा। अतः मेरा विचार है कि इस प्रकार का आरोप युक्तिसंगत नहीं है। अखिल भारतीय आकाशवाणी अपने कार्य में व्यस्त है और सम्पूर्ण भारत में इसके जो कर्मचारी हैं, उनमें से कुछ हिन्दी के सब से अधिक प्रसिद्ध विद्वान हैं और आकाशवाणी का विचार है कि उन की संख्या और बढ़ाई जाये। मुझे विश्वास है कि हिन्दी के प्रचार का काम सरकार के अन्य विभागों तथा अन्य राज्यों के समान ही उचित अनुपात में आकाशवाणी द्वारा किया जायेगा। उससे

हिन्दी के प्रचार का काम करने के पूरे उत्तर-दायित्व को लेने के लिये नहीं कहा जा सकता और यह उसका काम भी नहीं है ।

आप की अनुमति से, मैं कुछ शब्द कार्यक्रमों के सामान्य प्रश्न के बारे में भी कहना चाहूंगा । गत बार मैंने कहा था कि हमेशा इस बात की आलोचना की जाती है कि कार्यक्रम अच्छे नहीं हैं, यह कार्यक्रम व्यर्थ हैं, इत्यादि, इत्यादि और मुझे उस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, क्योंकि यह मामला ऐसा है जिस में हर एक का अपना अपना पृथक पृथक मत हो सकता है ।

अब मैं कुछ शब्द कार्यक्रमों के सुधार के बारे में कहना चाहता हूं । प्रथमतः सुधार निरन्तर होता ही रहता है । एक चीज़ का सुधार होता रहता है, उस सुधार की कोई अन्तिम सीमा नहीं है और न सुधार का ऐसा कोई मानदंड है, जिससे आप यह कह सकें कि यह सुधार है और यह सुधार नहीं है । सुधार तथा परिवर्तन का काम निरन्तर चलता रहता है, इसलिये यह बताना ठीक नहीं है कि यहां पर सुधार नहीं हुआ है और यह व्यर्थ है । यदि मेरे माननीय मित्र विस्तार-पूर्वक अध्ययन करें तो उन्हें यह मालूम होगा कि केवल इस सम्बन्ध में ही निरन्तर प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं कि किस प्रकार का सुधार हो, अपितु इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जायें । यदि आप उन सारी बातों को देखें, जिनका उल्लेख प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में किया गया है, तो आपको मालूम होगा कि कार्यक्रमों की मदें, जो कि गत पांच वर्षों में बराबर बढ़ी हैं, दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं और मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता के समक्ष यथा संभव अधिक संख्या में कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायें ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण) : ग्रामोद्धार के लिये कार्यक्रमों का स्तर सुधारना चाहिये ।

डा० केसकर : मैं माननीय सदस्यों के सारे सुझावों को सुनने के लिये तैयार हूं किन्तु मेरे पास समय कम है । मुख्य बात, जो कि स्मरणीय है, यह है कि हमारे कार्यक्रम अंग्रेजी में बहुत कम होते हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने बी० बी० सी०, एन० बी० सी० तथा बहुत सी अन्य विदेशी संस्थाओं से अखिल भारतीय आकाशवाणी की तुलना की है, किन्तु मैं कहता हूं कि ऐसी कोई तुलना नहीं हो सकती । अखिल भारतीय आकाशवाणी का प्रकार, दृष्टिकोण और ढांचा भिन्न है । यदि अखिल भारतीय आकाशवाणी में अंग्रेजी के कार्यक्रम होते, तो हम उस की तुलना बी० बी० सी० अथवा एन० बी० सी० से कर सकते थे । मान लिया जाये कि मैं उड़िया या आसामी भाषा में कार्यक्रम प्रारम्भ करता हूं, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम अच्छा नहीं है ? ऐसे मामले में आप उस की तुलना उन्हीं बातों से कर सकेंगे, जो कि उड़िया संस्कृति, अथवा आसाम की संस्कृति अथवा अन्य किसी संस्कृति में प्रचलित हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय सदस्य मुझ से सहमत नहीं हैं ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : इसे कोई भी अस्वीकार नहीं करता । बंगाली होने के नाते मैं जानता हूं कि बंगाली संस्कृत के कार्यक्रम में हमें क्या आशा करनी चाहिये ।

डा० केसकर : माननीय सदस्य की अपनी निजी राय हो सकती है, परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि यदि माननीय सदस्य तो हमारे कार्य-क्रम की तुलना बी० बी० सी० या एन० बी० सी० के साथ नहीं कर रहे हैं परन्तु कुछ सदस्य ऐसी तुलना कर रहे हैं और माननीय सदस्य की बंगाली कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अपनी निजी राय हो सकती है, परन्तु बी० बी० सी०

[डा० केसकर]

और एन० बी० सी० के कार्यक्रमों के साथ तुलना करना ठीक नहीं है । इस प्रकार की संगति सिद्ध करना गलती है और हमारे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोई राय विभिन्न भाषाओं के स्तर के आधार पर बनानी चाहिये। जैसा आप को विदित है विभिन्न भाषाओं का विकास स्तर विभिन्न प्रकार का है, वस्तुतः मैं यहां तक कह सकता हूं कि कतिपय संस्कृति और भाषा प्रधान क्षेत्रों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने से ही उन संस्कृतियों को अधिकाधिक विकास की प्रेरणा मिली है और मैं इस सम्बन्ध में उन क्षेत्रों के लोगों की राय और तथ्य तथा आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं । स्वभावतः यदि आप यह कहते हैं कि और सुधार होना चाहिये तो यह सर्वथा सत्य है और हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु यह कहना कि कोई सुधार नहीं हुआ और कोई कार्यक्रम अच्छा नहीं है बहुत कड़ी आलोचना है । उन लोगों को मैं यह परामर्श देना चाहता हूं जो हमारे कार्यक्रम की तुलना बी० बी० सी० और एन० बी० सी० से करते हैं । बी० बी० सी० का उल्लेख तो कई बार किया गया है—कि वे ब्रिटेन के समाचारपत्रों को पढ़े और ब्रिटेन के समाचार पत्रों से मेरा अभिप्राय उन दैनिक पत्रों से नहीं है जो यहां आते हैं—क्योंकि अंग्रेजों की बहुत सी रायें दैनिक पत्रों में व्यक्त नहीं होतीं — बल्कि मेरा अभिप्राय साप्ताहिक और मासिक पत्रों से है जिन में उन की आलोचनायें और सांस्कृतिक विषयों के सम्बन्ध में उन के रायें व्यक्त होते हैं । आप देखेंगे कि बी० बी० सी० के विरुद्ध जो आलोचनायें होती हैं वे इतनी ही सख्त हैं जितनी आप की आलोचनायें आकाशवाणी के सम्बन्ध में हैं, परन्तु निस्सन्देह उन की आलोचना-बहुत विवेकपूर्ण और नम्र ढंग की होती हैं और उस में इस प्रकार विरोध मात्र का भाव नहीं होता जैसा यहां होता है । सांस्कृतिक कार्यक्रम के चुनाव के सम्बन्ध में चाहे वह वार्ता हो, रूपक हो या कुछ और हो, सदा ही भिन्न भिन्न रायें होती हैं और किसी के लिये यह कहना कि 'यह अच्छा है या बुरा' बहुत कठिन है "और कुछ लोग भिन्न रायें प्रकट करेंगे ही और वे कहेंगे कि 'यह इतना अच्छा नहीं।' परन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि कार्यक्रमों के सुधार के सम्बन्ध में जो भी रचनात्मक सुधार दिये जायें मैं उन्हें सुनने के लिये तैयार हूं और किसी भी ओर से जो अच्छे सुझाव मिलेंगे हम निश्चय ही उन्हें प्रवर्तित करने का प्रयत्न गे । माननीय सदस्यों की राय कुछ भी हो मैं जनता की राय को भी जानता हूं और मैं कह सकता हूं कि जनता अवश्य ही आकाशवाणी के कार्यक्रमों में किये गये सुझावों को पसन्द करती है । इस का यह अभिप्राय नहीं कि मैं इस सुधार से सन्तुष्ट हूं । मैं सन्तुष्ट नहीं हूं परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि कोई सुधार हुआ ही नहीं । सुधार एक सापेक्ष शब्द है । मैं अनुभव करता हूं कि इस में अधिकाधिक सुधार हुआ है और मुझे विश्वास है कि अब जबकि कर्मचारियों और पदालियों का पुनर्संगठन प्रायः हो गया है, हमें कार्यक्रमों में सुधार करने के लिये और अधिक समय मिलेगा और निकट भविष्य में भी हम और अधिक सुधार कर सकेंगे ।

मैं दूसरे विषयों के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं । ग्रामीण कार्यक्रम हमारे कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण बातों में से एक है और हम इस माध्यम के महत्व को अनुभव करते हैं जिस से ग्रामीण जनता का सम्पर्क बाहर के जगत से बनाया जा सकता है, उन्हें समाचार दिये जा सकते हैं और उन के लिये आमोद और बहुत सी बातों का

प्रबन्ध किया जा सकता है । दुर्भाग्यवश इस विषय के सम्बन्ध में अधिक नहीं किया जा सका क्योंकि गत तीन वर्षों तक हमारे बहुत से स्टेशन प्रयोगात्मक स्टेशन थे जो बहुत थोड़े क्षेत्र में सुने जा सकते थे । अतएव हमारे ग्रामीण कार्यक्रमों के विस्तार के लिये सर्वप्रथम आवश्यक बातों में से एक यह है कि स्टेशनों की शक्ति बढ़ाई जाये ताकि इस से वे और अधिक बड़े क्षेत्र में सुने जा सकें । आकाशवाणी की विकास योजना में भी इस बात को लिया गया है । इस के साथ ही, और अधिक गावों को सामुदायिक रेडियो सेट देने के लिये हमारी एक महत्वकांक्षा-पूर्ण योजना है, इस वर्ष या अगले वर्ष हम राज्यों में २५,००० से अधिक रेडियो सेट वितरित करना चाहते हैं ताकि वे ग्रामीण समाज के लाभ के लिये गांवों में रखे जा सकें । हम इस संख्या को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि सभी महत्वों के गांवों में रेडियो सेट हों जहां लोग एकत्र होकर समाचार और अन्य रोचक कार्यक्रमों को सुन सकें।

सस्ते रेडियो सेटों के बारे में कुछ कहा गया था मैं उससे सर्वदा सहमत हूं । मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात में विश्वास रखते हैं और वस्तुतः इस बात का समर्थन करने से कि सस्ते रेडियो सेट होने चाहिये, नहीं तो जनता उन्हें नहीं खरीदेगी मुझे सारे उद्योग के कोप का निशाना बनना पड़ा था दुख की बात यह है कि एक या दो बैंड वाले जो सस्ते रेडियो सेट हैं उनका तब तक कोई लाभ नहीं जब तक स्टेशनों की शक्ति न बढ़े और विशेषतः मध्य तरंग की शक्ति न बढ़ाई जाये ।

श्री साधन गुप्त ने कहा था कि पहले हमें ये रेडियो सेट बनाने चाहियें और फिर एक मध्य तरंग प्रातंतु प्रेषक तैयार करना चाहिये। प्रेषक यंत्र स्थापित करने में एक या दो वर्ष लग जायेंगे । यदि यह बाद में किया जाये पहले रेडियो सेट तैयार किये जायें और फिर प्रेषक यंत्र तो लोग कुपित हो जायेंगे कि उन्हों ने यूहीं रेडियो सेटों पर पैसे खर्च किये । हमारे पास पहले शक्तिशाली मध्य तरंग प्रातंतु प्रेषक यंत्र होने चाहियें ताकि लोग जब चाहें उन्हें सुगमता से सुन सकें और तब हम लोगों से कह सकते हैं कि वे एक या दो बैंड के सस्ते रेडियो सेट खरीदें . . . .

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) : संभवतः मेरी बात को गलत समझा गया है । मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि जब मध्य तरंग पारेषका स्थापित हो जायें तो सस्ते रेडियो सेटों के संभरण की कोई योजना होनी चाहिये ।

डा० केसकर : ऐसे सेटों के निर्माण की कोई योजना नहीं है । शीघ्र ही पारेषका स्थापित किये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में भी कुछ किया जायेगा । तो मैं यह कह रहा था कि पारेषका का प्रश्न महत्वपूर्ण है और उन लोगों का ध्यान रखते हुए भी जिन के पास साधारण रेडियो सेट हैं, ये यंत्र पहले स्थापित होने चाहियें । उन की शिकायत है कि वे स्टेशनों के कार्यक्रम नहीं सुन सकते, कभी कभी ये सुनाई देते हैं और कभी उन्हें कम सुनाई देता है और बीच बीच में सुनाई देना बन्द हो जाता है । सस्ते रेडियो सेटों का प्रश्न निश्चय ही आज कल का महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और इस सम्बन्ध में जो कुछ भी संभव है हम अवश्य करने का प्रयत्न करेंगे ।

अगले दो तीन मिनट में मैं एक दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करूंगा

[डा० केसकर]

जो आकाशवाणी का पुनरावलोकन करने पर की गई हैं । जैसा मैंने बताया है स्थायी कर्मचारियों का पुनर्संगठन और विनियमन अब वस्तुतः पूरा हो गया है ।

गत एक या दो वर्षों में एक और बात जो हमने की है वह यह है । जैसा मैं ने बताया है आकाशवाणी में बहुत गड़बड़ थी और धनराशि के भुगतान आदि के लिये कोई नियमित वित्तीय नियम नहीं थे । हमने सारे प्रश्न की परीक्षा के लिये एक उप महा लेखापाल नियुक्त किया था और अब ये सब नियम और विनियम तैयार कर लिये गये हैं और प्रत्येक स्टेशन का कार्य इन नियमों के अनुसार किया जा सकता है । सरकारी धन के व्यय करने के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण बात है । मैं यहां उस पदाधिकारी के प्रति अवश्य आभार प्रकट करना चाहता हूं जिसे महालेखापरीक्षक ने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया था और जिसने हमें इस विषय में सहायता दी है । यह कार्य भी वस्तुतः पूर्ण हो गया है ।

फिर यह तीसरा पहलू है । जिस रेडियो व्यवस्था में पहले पांच या छः स्टेशन थे अब उस में २२ स्टेशनों से अधिक हैं और निश्चय ही इस का विस्तार हुआ है, पांच-सात वर्षों में यह व्यवस्था बहुत विस्तृत हो गई है । सभी प्रसारण संस्थाओं में जो कार्य विभाजन होता है उस की यहां भी आवश्यकता है । अब तक यहां कोई कार्य विभाजन नहीं था, पदाधिकारियों को सभी प्रकार का कार्य करना पड़ता था और उन्हें ऐसे हर किसी काम के लिये उत्तरदायी समझा जाता था जिस में कार्यक्रम बनाने से ले कर संविदा करने और लेखे रखने तक का काम था । इन सब कामों का विभाजन कर दिया जायेगा और कार्यक्रम बनाने के लिये संगीत विशेषज्ञ, अथवा साहित्यकार अन्य विषयों के विशेषज्ञ होंगे । इस प्रबंध से कार्यक्रमों के गुण प्रकार की वृद्धि में सहायता मिलेगी । सब प्रसारण संस्थायें ऐसा कर रही हैं । दुर्भाग्यवश हम ऐसा नहीं कर सके थे परन्तु अब हम यह काम कर रहे हैं ।

मैंने पंच वर्षीय विकास योजना का उल्लेख नहीं किया क्योंकि हमने एक विस्तृत मुद्रित टिप्पण माननीय सदस्यों को भेजी है जिस में यह सब ब्यौरा दिया गया है । अतएव मैं यहां उस का उल्लेख नहीं करता । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि आकाशवाणी के कार्यसंचालन के ब्यौरे के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने जांच की है और उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है । माननीय सदस्यों को उन में अनेक बातें मिलेंगी ।

मैं एक दो बातें प्रेस सूचना विभाग के बारे में कहूंगा जिन का उल्लेख यहां हुआ है । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि पी० आई० बी० में प्रादेशिक भाषाओं की उपेक्षा की जा रही है । यह कथन सच नहीं है । वस्तुतः गत दो वर्षों में हम प्रेस सूचना विभाग के प्रकाशन के वितरण के लिये भाषा सम्बन्धी केन्द्रों को निरन्तर बढ़ाते रहे हैं । हम ने पहले ही बहुत सी भाषाओं का प्रकाशन पूरा कर लिया है और केवल दो या तीन --संभवतः दो ही-- भाषायें ऐसी बची हैं जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा ताकि कोई भी भाषा भाषी प्रान्त यह शिकायत न कर सके कि हम

किसी विशेष क्षेत्र की भाषा के सामाचार पत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं ।

प्रेस सूचना विभाग के पदाधिकारियों के कर्तव्यों के सम्बन्ध में कुछ आलोचना हुई थी । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि प्रेस सूचना विभाग के पदाधिकारी इधर उधर जा कर मंत्रियों के भाषण प्रकाशन के लिये देते रहते हैं । संभवतः कुछ माननीय सदस्यों की प्रेस सूचना विभाग के कार्यों के बारे में कुछ आमि - धारणा है । इस का उद्देश्य प्रेस को सरकार की नीति ने विभिन्न पहलुओं से परिचित करना है और उन पहलुओं के विषय में उन्हें सामग्री देना है जिस से वे सब प्रश्नों की सब पहलुओं से जांच कर सकें और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय कर सकें । यदि ऐसा करते हुए वे मंत्रियों के भाषण प्रकाशन के लिये देते हैं तो मैं समझता हूं कि वे कोई अनापेक्षित या गलत बात नहीं कर रहे हैं और मैं यह नहीं समझता कि वे भाषण प्रेस को केवल मुद्रण के लिये दिये जाते हैं । प्रेस सूचना विभाग ऐसी बहुत सी सूचना देता है जिस का सामाचार-पत्र वाले अध्ययन करते हैं और वह केवल मुद्रण के लिये ही नहीं होती । प्रेस सूचना विभाग का कर्तव्य एक सम्पर्क के रूप में काम करना और प्रेस को सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में वह सब समग्री देना है जिस की उन्हें आवश्यकता हो ।

मेरे पास थोड़ा समय रह गया है । क्योंकि चल चित्रों के सम्बन्ध में कुछ कहे बिना भाषण समाप्त करना ठीक नहीं होगा । अतः आप मुझे कुछ मिनट और दे दें तो . . . .

श्री पी० एन० राजभोज : हमारे कटौती प्रस्तावों और अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में भी कहें ।

डा० केसकर : उन्हें भी लिया जायेगा । कुछ मित्रों ने यह प्रश्न उठाया था कि हमें कड़ा विवाचन करना चाहिये अथवा नहीं । मैं यहां यह बात संक्षेप में कह देना चाहता हूं कि विवाचन प्रक्रिया नैतिक अथवा वैध नहीं है । विवाचन सरकार नहीं करती वरन् चलचित्र विवाचकों का केन्द्रीय बोर्ड नाम का स्वतन्त्र निकाय जो संसदीय संविधि अधीन स्थापित किया गया है यह कार्य करता है । इस का कार्य सामाजिक कार्य है अर्थात् इस का कार्य यह देखना है कि कुछ विशेष चलचित्र सामाजिक दृष्टि से अपेक्षित समझे जा सकते हैं । अथवा अनापेक्षित । संभव है विधि और व्यवस्था के प्रश्न बीच में पड़ें परन्तु वह विरली ही बात है । अतः नैतिकता और पवित्रता का प्रश्न नितान्त असंगत है । मैं मानता हूं कि देश में लोग आग्रहपूर्वक चाहते हैं कि विवाचन कड़ा हो, पर इस प्रश्न का निर्णय संसद् को करना है, मुझे नहीं । यदि जनता के प्रतिनिधि के रूप में संसद् समझती है कि विवाचन कड़ा होना चाहिये, तो यह उसे कहना चाहिये कि समाज और जन कल्याण राज्य के हित में विवाचन और कड़ा होना चाहिये । सरकार बोर्ड से यही कहती रही है कि वह जनमत और समाज के रुख के अनुसार चले । यदि संसद् वैसा निर्णय करती है, तो सरकार निःसन्देह उस की इच्छा की पूर्ति करेगी ।

फिल्मों पर भारी शुल्क के प्रश्न का भी उल्लेख किया गया है । इसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री लेंगे । यह आरोप

[डा० केसकर]

ठीक नहीं है कि हम प्रादेशिक भाषाओं की अवहेलना कर रहे हैं । हम प्रादेशिक भाषाओं में बहुत अधिक फिल्म बना रहे हैं पर माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि हम सभी फिल्में सभी भाषाओं में बनायें तो व्यय बहुत अधिक होगा । मुझे विश्वास नहीं कि संसद् वह व्यय मंजूर करेगी । यदि उस ने यह मंजूर कर दिया, तो हम यथासंभव अधिक से अधिक भाषाओं में अधिक से अधिक प्रतियां तैयार कराने की चेष्टा करेंगे ।

फिल्मों का निर्माण भारत में हो, यह मांग निश्चय ही उचित है । हम निश्चय ही देखेंगे कि इस प्रश्न पर ध्यान दिया जाय और अगली पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कुछ किया जाये । सिनेमा और फोटोग्राफी फिल्मों की दृष्टि से, जो प्रायः एक ही चीज़ है, यह किया जाना आवश्यक है ।

इस तथ्य की दृष्टि में कि मुझे अधिक समय नहीं मिला .....

श्री पी० एन० राजभोज : अस्पृश्यता दूर करने के लिये क्या योजना है ?

डा० केसकर : अस्पृश्यता दूर करने के बारे में हम एक फिल्म पहले ही बना चुके हैं और हम इस के बारे में एक और भी बड़ी और अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं ।

खेद है कि समय की कमी के कारण मैं फिल्मों की बात विस्तारपूर्वक नहीं ले सका । पर यह उद्योग एक निजी उद्योग है और स्वभावतः उस में सभी बातें हैं । वस्तुतः हमें कुछ सिने-अभिनेताओं से अभ्यावेदन मिले हैं कि कम से कम अभिनेताओं के हित में इस प्रयोग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । और प्रकार के अभ्यावेदन भी आते हैं । खैर, यदि सभा चाहती है, तो इस बात पर किसी दूसरे समय भी चर्चा हो सकती है ।

खेद है कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों को न निपटा सका । पर विन्ध्य प्रदेश के माननीय सदस्यों को मैं आश्वासन दूंगा कि वहां रेडियो स्टेशन खोलने के प्रश्न पर शीघ्र ही सक्रिय विचार किया जायेगा ।

श्री पी० एन राजभोज : और मेरा कटौती प्रस्ताव ? क्या भगवान बुद्ध के बारे में कोई फिल्म बनेगी ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बैठे बैठे नहीं, खड़े हो कर प्रश्न पूछें ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं दो बातें पूछना चाहता हूं । पहली तो यह कि आप की मिनिस्ट्री में शिड्यूल्ड कास्ट का कितना परसेंटेज है, और दूसरी यह कि गवर्नमेंट लार्ड बुद्ध के टीचिंग्स को प्रोपेगेट करने के लिये क्या कर रही है । आप ये दो बातें बताने की कृपा करें ।

डा० केसकर : यह जाहिर है कि लार्ड बुद्ध के टीचिंग्स को प्रोपेगेट करने का काम गवर्नमेंट का नहीं हो सकता । अब रही लार्ड बुद्ध के बारे में कुछ कहने की बात, तो उन की जो एनीवर्सरी आ रही है उस अवसर पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिये इस पर सोचा जा रहा है । लेकिन यह बहुत बड़ी चीज है ।

अपनी मिनिस्ट्री में शिड्यूल्ड कास्ट वालों के बारे में मैं इस हाउस की मेज पर परसेन्टेज रख चुका हूं । लेकिन मैं आनरेबिल मैम्बर को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि अगले वर्ष ज्यादा से ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट वाले ए० आई० आर० की भिन्न भिन्न सर्विसेज में लिये जायेंगे, और मैं समझता हूं कि अगले वर्ष उनको शिकायत नहीं होगी ।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल सीधी) : विन्ध्य प्रदेश के रेडियो के बारे में ?

डा० केसकर : उस के बारे में मैं ने आप को कहा था ।

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

मांग संख्या ६२, ६३, ६४ और १२६ स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या ६२-सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय . . . ३७,९८,००० रु०

मांग संख्या ६३ प्रसारण २,८७,२४,००० रु०

मांग संख्या ६४-सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १,१३,६६,००० रु०

मांग संख्या १२६-प्रसारण पर पूंजी व्यय ३,६६,४२,००० रु०

उत्पादन मंत्रालय की मांगें

सभापति महोदय : अब सभा उत्पादन मंत्रालय को मांग संख्या ८५, ८६, ८७, ८८, ८९ और १३१ को लेगी, जिसके लिये चार घंटे का समय निश्चित किया गया है ।

इन मांगों में कई कटौती प्रस्ताव हैं । माननीय सदस्य उन चुने हुए कटौती प्रस्तावों को १५ मिनट में टेबल पर दे दें, और प्रस्तावकों के सदन में उपस्थित होने तथा उन के नियमित होने पर उन को प्रस्तुत किया गया मान लूंगा । भाषणों का समय सीमा १५ मिनट होगी और आवश्यक हुआ तो वर्गों के नेताओं के लिये २० मिनट ।

सभापति महोदय द्वारा निम्न मांगें सभा में प्रस्तुत की गयीं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८५	उत्पादन मंत्रालय . .	९,६६,०००
८६	नमक . . .	१,२१,३५,०००
८७	उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	१,०२,४१,०००
८८	सरकारी कोयला खानें . .	३,८९,०१,०००
८९	उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	८९,९६,०००
१३१	उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	८,९२,५१,०००

डा० रामा राव (काकिनाडा) : आयव्ययक की सामान्य चर्चा करते समय मैं ने मंत्रालय द्वारा भारत में पहले जर्मनी, फिर रूस और फिर ब्रिटेन से सेवा कर के इस्पात के संयंत्र लगाने के प्रयत्नों की चर्चा की थी । सोवियत ठेका कुछ ऐसी बातें देता है, जो पहले न थीं; पर कुछ भारतीय और विदेशी निहित स्वार्थ उसे नष्ट करने पर तुले हुए हैं । इस सोवियत संयंत्र में किसी भी विदेशी को अंशदान नहीं दिये गये । ब्रिटेन और जर्मनी के ठेकों में हमें यह ध्यान रखना चाहियें कि इन में हमारे प्रविधिज्ञों को शुरू से ही सहयोजित रखा जाये और सब बातें उन्हें बताई जायें रूस के ठेके के बारे में यह ध्यान रखना होगा कि भारत में जो माल मिल सकता है, वह भारत से ही लिया जाये । यह ब्रिटेन के साथ ठेका कर के बनाने वाला संयंत्र क्या पूर्णतः राज्य-अधीन होगा, या उस में राज्य का ब्रिटिश हित रहेंगे या राज्य व ब्रिटिश व भारतीय पूंजी के हित रहेंगे । क्योंकि अन्त में चतुर व्यापारी अपनी ही बात चलायेंगे । भूतपूर्व वित्त सचिव सर एरीक कोट्स से बातचीत करते समय हमारे पदाधिकारियों को ध्यान रहे कि वे अब उन के अधीनस्थ नहीं हैं ।

श्री के० सी० रेड्डी : ब्रिटिश इस्पात संयंत्र संबंधी बात चीत वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही है, अतः उस मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में इस पर चर्चा उचित रहेगी ।

डा० रामा राव : माननीय मंत्री कृपया हमें बता दें कि यह बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के बांट कैसी पड़ी ? सब तरफ़ अफवाहें उड़ रही हैं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री नाराज़ हो क मद्रास चले गये आदि आदि ।

सभापति महोदय : उत्पादन मंत्री इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं ।

डा० रामा राव: यह संयुक्त जिम्मेवारी है । दो के बाद तीसरा संयंत्र क्यों बन रहा है और दूसरा मंत्रालय बातचीत क्यों चला रहा है । यह तबादिला क्यों हुआ ? यदि प्रेस की यह कल्पना सच है कि वह चाहते थे कि यह तीसरा संयंत्र निजी खंड में जावे और इसी बात पर उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो यह महत्वपूर्ण बात है ।

दक्षिण में विवाह के समय दूल्हा रूठ कर बनारस पढ़ने चलता है, तब लड़की का पिता आकर उसे मनाता है और अपनी लड़की उसे ब्याहने को वचन देकर उसे गुड़ देता है । तो क्या वह ब्रिटिश संयंत्र मंत्री जी को गुड़ के रूप में दिया गया है ।

इस बारे में मैं तुंगभद्रा बांध की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । अच्छा सा बांध बन गया । पानी है, पर नहरें नहीं हैं और ज़मीन तैयार नहीं है । अतः इस्पात संयंत्र तो ठीक है, पर खपत की प्रणालियां भी साथ ही तैयार होनी चाहियें ।

मैं कोयले के खानों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं । पर मंत्री जी को सरकारी कोयला क्षेत्रों में मजदूरों के क्वार्टर स्वयं जा कर देखने चाहियें । उनकी हालत बहुत बुरी है । सिंदरी कारखाने में बहुत से मजदूर आकस्मिक मजदूर हैं और बहुतों के पास क्वार्टर नहीं हैं । क्वार्टर काफी नहीं हैं । सरकार को

अपने उपक्रमों में इनकी ओर स्वच्छता की उचित व्यवस्था करनी चाहिये ।

हमारे कोयले और लोहे के स्रोत अपार हैं । हमें उनका पूरा उपयोग करना चाहिये । प्रो० हाल्डेन के अनुसार रंग, दवा आदि अनेक चीजें कोयले से बन सकती हैं । उत्पादन मंत्रालय को इस दिशा में एक परियोजना चलानी चाहिये । बड़ी बड़ी और सर्व श्रेष्ठ कोयला खानें विदेशियों के हाथ में हैं, हमें सब से पहले उनका अधिग्रहण करना चाहिये ।

डा० मेघनाद साहा द्वारा गत वर्ष कही गई बात मानते हुए लोहे कोयले के विशारदों का एक ब्यौरा बनाया जाना चाहिये । हमें अतिरिक्त कर्मचारी रख कर भी अधिकाधिक लोगों को प्रशिक्षित बनाना चाहिये ।

विशाखापटनम् में हम लक्ष्य से बहुत पीछे हैं । १६ दिसम्बर, १९५३ को एक जहाज की 'कीला बनी' थी, वह अब तक तैयार नहीं हुआ और १६ अगस्त, १९५४ को तैराया गया जहाज अब तक कहीं नहीं चला । वहां के फ्रांसीसी प्रविधिज्ञ सर्वथा उपयुक्त नहीं हैं ।

शिपयार्ड में श्रम में भी असंतोष है । आठ सौ की छंटनी हुई पर जस्टिस महाजनी समझौते के अनुसार कुछ को रख लिया गया । अधिकारी नियमित प्रवीण कर्मचारिय के स्थान पर एप्रेंटिस रख रहे हैं पहलों को ८० रु० प्रति मास और दूसरों को ५२ रु० प्रति मास (प्रति दिन २ रु० के हिसाब से) देने पड़ते हैं, पर यह अन्याय है । जो व्यक्ति फिर रखे जाने योग्य हों, उनको फिर रखा जाना चाहिये ।

नान्दीकोंडा परियोनजना के लिये ए० सी० सी० आदि निजी कारखानों को अवसर न दे आपको अपना कारखाना बनाना चाहिये ।

नमक उपकर अधिनियम पास जाने पर भी अभी नियम नहीं बने हैं, और श्रम कल्याण आदि पर अपेक्षित व्यय नहीं हो सके हैं । नमक की बिक्री वजन से होनी चाहिये, नाप से नहीं । प्रकार में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है ।

डी० डी० टी० कारखाने को उत्पादन शुरू करते देख मुझे खुशी है । पर आई० सी० आई० जैसी ब्रिटिश फर्मों को उन दिशाओं में स्थान न देना चाहिये, जहां हम उत्पादन कर सकते हैं ।

श्री के० सी० रेड्डी : जहां तक मुझे पता है, ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गयी ।

डा० रामा राव : कल या परसों के टाइम्स आफ इंडिया का समाचार है कि शेष २००० टन डी० डी० टी० का उत्पादन आई० सी० आई० द्वारा कलकत्ते में और टाटा केमिकल्स द्वारा अपने मणीपुर कारखाने में किया जायेगा । यदि यह हालत है, तो कोई बात नहीं ।

श्री के० सी० रेड्डी : यह गलत है ।

डा० रामा राव : एक उर्वरक कारखाना विजयवाड़ा में बन सकता है, आशा है मंत्री जी उचित ध्यान देंगे ।

पेनीसिलीन के साथ ही हम दूसरी ऐंटीबायोटिक्स खादें दवायें भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी व्यक्ति होंगे । आशा है, मंत्री जी इधर ध्यान देकर इन्हें भी जनता के लिये सस्ते भाव पर उपलब्ध कर देंगे ।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : मैं मंत्रालय के भले के लिये कुछ बोलने को खड़ा हुआ हूं ।

इस मंत्रालय के अधीन विभिन्न उपक्रमों के आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष के बजट का पूरा उपयोग करने पर भी मंत्रालय का कुल विनियोजन पंचवर्षीय योजना के ५० प्रतिशत से कम ही होगा । खेद है कि उद्योग खंड में जिस मंत्रालय का मुख्य अंश होना चाहिये, उस का यह हाल है । इस तरह हमारी प्रगति कुछ न होगी । योजना का कार्यक्रम तो पूरा हो ही जाये, इसी लिये मैं यह रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं । मैं ब्यौरेवार आंकड़ों में समय नष्ट न करूंगा, क्योंकि मुझे कई महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं ।

मैं प्रतिवेदन में दिये गये क्रम के अनुसार इस मंत्रालय के अधीन विभिन्न उद्योगों को लूंगा । हिन्दुस्तान इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में जो करार जर्मनों के साथ किया गया है उस के अनुसार संयंत्र के लिये स्थान के चुने जाने की तिथि अर्थात् १७ फरवरी १९५४ के पश्चात् ४ वर्ष के बीच उत्पादन कार्य आरम्भ होना चाहिये । परन्तु इन १३ मास की कालावधि में कितना कार्य हुआ है ? यह उत्तर पर्याप्त नहीं होगा कि इस संयंत्र को ५ लाख टन से १० लाख टन का कर दिया गया है । इतने परिवर्तन से लक्ष्य प्राप्ति में बाधा नहीं आनी चाहिये । मेरा सुझाव है कि इस कार्य से सम्बन्धित कर्मचारियों को नई दिल्ली से उस स्थान पर स्थानान्तरित कर देना चाहिये जिस से पदाधिकारी अधिक शीघ्र कार्य कर सकें ।

रूसी इस्पात संयंत्र से सम्बन्धित करार में केवल यह कहा गया है कि मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार और रूसी संघटन के बीच पारस्परिक करार द्वारा निश्चय किया जायेगा । क्या सरकार अब जब परियोजना प्रतिवेदन और अन्य विभिन्न बातों पर इतना अधिक धन व्यय कर चुकी हो तब वह इस्पात संयंत्र का अपने लिये लाभदायक मूल्य निश्चित करवा सकेगी ?

करार में इस सम्बन्ध में भी कोई उल्लेख नहीं है कि रूसी संघटन ने क्या कार्य करना है । जहां तहां इस बात का उल्लेख तो है कि यदि सरकार कार्य के किसी अंश को पूरा न कर सकी तो उस पर अमुक प्रकार का भार रहेगा, परन्तु यदि रूसी संघटन सभी कार्यों को निश्चित तिथि पर चालू न करवा सकी तो उन को दी जाने वाली राशि उतने ही काल के लिये स्थगित कर दी जायेगी । अतः उन के लिये केवल यही एक शर्त है । ऐसे स्थगित भुगतान पर ब्याज भी क्यों दिया जाना चाहिये ।

कल ही समाचार पत्रों में यह समाचार था कि एक और इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में इंगलैंड से एक शिष्ट मंडल आया है । यदि कोई और देश भी इस सम्बन्ध में वार्ता करना चाहे तो क्या होगा ? अन्य देशों के लोगों को यह तो पता होना चाहिये कि इस मामले का किस मंत्रालय से सम्बन्ध है ।

इन विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में नियुक्तियों के विषय में सरकार की क्या नीति है ? शिल्पिक पदों के लिये एक विज्ञापन निकला है जिस पर बिला ही इस्पात परियोजना के संयुक्त सचिव और विशेष कार्य प्रभारी पदाधिकारी के हस्ताक्षर हैं । तो क्या ये नियुक्तियां विभाग करेगा या चुनाव बोर्ड करेगा ।

मेरा सुझाव है कि नियुक्तियां ये संघ लोक सेवा आयोग को करनी चाहियें ।

यदि यह भय हो कि संघ लोक सेवा आयोग इस कार्य में ६ या दस मास लगा देगा तब एक चुनाव बोर्ड नियुक्त करना चाहिये जिस का सभापति मंत्रालय का कोई उच्च पदाधिकारी इस्पात संयंत्र के कार्यों का अनुभव रखता हो और ऐसे चुनावों के लिये अर्हत हो ।

श्री के० सी० रेड्डी : ऐसा बोर्ड पहले ही बनाया जा चुका है ।

श्री बंसल : जो परियोजना पदाधिकारी नियुक्त किया गया है उस पर बहुत कठिन कार्य भार है क्योंकि उसका सम्बन्ध केवल उन लोगों से नहीं पड़ेगा जिन्हें वह जानता है परन्तु ऐसे लोगों से भी होगा जिन्हें वह नहीं जानता । अतः मैं उसके लिये शुभेच्छा प्रकट करता हूं ।

सिंद्री परियोजना तो अब भली प्रकार चल रही है और उस के पास उर्वरकों की काफी सामग्री भी है अतः मेरा सुझाव है कि बजाय इस के कि वह ४।। प्रतिशत ब्याज की दर पर सरकार से ऋण ले जेसा कि उस ने लिया है, उसे बैंकों से ऋण लेना चाहिये जो उसे कम दर पर मिल सकेगा ।

प्रबन्ध निर्देशक के प्रायः बदलने के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यद्यपि सिंद्री और मंत्रालय के अन्य बहुत से उपक्रम लिमिटिड समवायों के रूप में काम कर रहे हैं परन्तु उन की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में यह स्थिति है कि जैसा मुझे पता चला है एक दो मामलों में प्रबंध निर्देशक की अस्थायी रिक्ति में सरकार ने निर्देशकों का परामर्श लिये बिना ही नियुक्ति की है । यह गलत प्रक्रिया है ।

जहाजों के कारखाने के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्ज में यह समाचार छपा है कि इंगलैंड के समवाय ने हमें ठीक समय पर बायलर नहीं दिये जिस के फलस्वरूप हमें प्रति जहाज ३५,००० रुपया देना पड़ा है। यह बहुत बुरी बात है । ब्रिटिश समवाय बायलर इस कारण नहीं दे सका था कि उन के पास इस्पात की चादरें नहीं थीं जिन्हें विदेशों से मंगवाने के लिये विजगापटम के जहाज के कारखाने ने ३५,००० प्रति जहाज दिये हैं ।

इस प्रतिवेदन के बनाने वाले यह कह कर न जाने किस की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, कि जहाज समुद्र में डाल दिये गये यद्यपि अभी उन में बायलर नहीं लगे थे ।

करारों में यह निश्चित उपबन्ध किया गया था कि तेल शोधक कारखानों में भारतीय कर्मचारियों को लगाया जायेगा और मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में आंकड़े भी दिये हैं, परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार उन लोगों को बहुत छोटे पदों पर लगाया गया है । प्रशिक्षण और उच्च पदों के लिये कितने प्रतिशत लोगों को लिया गया है ?

इन तेल शोधक कारखानों की फालतू गैस को उपयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? क्या उन के समीप उर्वरक कारखाने लगाये जा रहे हैं अथवा यह काम गैर सरकारी समवायों को दिया जा रहा है या वस्तुतः यह गैस नष्ट हो रहा है ?

श्री **कासलीवाल** (कोटा–झालवाड़) : मैं इस मंत्रालय के कार्य के लिये उस को बधाई देता हूं परन्तु मुझे एक शिकायत व्यक्त करनी है । वह यह है कि देश में जहां तहां जो उर्वरक कारखाने खोले जा रहे हैं उन के लिये राजस्थान का उपयोग किया जा रहा है परन्तु इस राज्य के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं किया गया ।

सिंद्री के कारखाना के लिये प्राय: ६० प्रतिशत कच्ची सामग्री राजस्थान से आती है । राजस्थान सरकार ने इस प्रश्न के लिये एक जांच समिति नियुक्त की थी जिस ने यह बताया कि राजस्थान में इतना कच्चा माल है कि यदि वहां एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाये तो लगभग ३,५०,००० टन उर्वरक तैयार हो सकता है। वहां लिगनाईट की खानें भी हैं, पानी भी है और भाखड़ा नंगल परियोजना के चालू होने पर २०,००० किलोवाट बिजली भी मिल जायेगी । परन्तु मुझे खेद है कि मंत्रालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है ।

इसके लिये राजस्थान सरकार ने हनुमानगढ़ के स्थान का सुझाव दिया है जहां कारखाने की स्थापना के लिये सभी प्राकार की सुविधायें उपलब्ध हैं । अत: मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस विषय पर ध्यान दें ।

आप जानते ही हैं कि पंच वर्षीय योजना में अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में राजस्थान के लिये एक कौड़ी भी नियत नहीं की गई ।

राजस्थान के विकास की बहुत समय से आवश्यकता है और यह मामला केवल समिति के हाथ में ही नहीं रहने देना चाहिये वरन् मैं चाहता हूं कि मंत्री स्वयं इस पर विचार करें और वहां एक कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दें ।

आज कल सिंद्री और अन्य कारखानों में केलसियम सल्फेट से अमोनियम सल्फेट तैयार किया जा रहा है । यदि केलसियम सल्फेट में अमोनिया और कार्बन-डाइआक्साइड मिला दिया जाये तो केलसियम कार्बोनेट तैयार हो जाता है । यदि उस की बजाय उर्वरक कारखाना में सोडियम सल्फेट का प्रयोग किया तो सोडियम कार्बोनेट तैयार हो जायेगा । सोडियम सल्फेट बारह महीने सांभर झील में बहुत मात्रा में मिल सकता है । सोडियम कार्बोनेट इस देश में ३१० रुपये से ३२० रु० प्रति टन बिकता है । देश में ६०,००० से ८०,००० टन तक इस की निर्यात होती है । यदि एक कार-खाना खोल दिया जाये जहां ३०,००० टन सोयिडयम सल्फेट का प्रयोग हो तो २०,००० से २२,००० टन तक का सोडियम कार्बोनेट तैयार होगा जिस से लगभग ६० लाख रुपये की आय होगी । मैं ने सुना है कि सारे संसार में ऐसा कोई संयंत्र नहीं है । इस से बहुत विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है । अत: मेरी प्रार्थना है कि प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित कर के सारे प्रश्न की जांच की जाये ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड की बहुत आलो-चना की गई है । वह आलोचना जहाजों के संभरण में देरी, और जहाजों के निर्माण के ढंग आदि के बारे में है । मुझे पता लगा है कि क्योंकि हिन्दुस्तान शिपयार्ड जहाजों का संभरण नहीं कर सकता इस कारण जर्मने सार्थों से १२ करोड़ रुपये के जहाज मंगवाये गये हैं । माननीय मंत्री

को इन सब आरोपों की जांच करनी चाहिये ।

हम अधिकाधिक कोयले का उत्पादन कर रहे हैं, परन्तु कोयले का निर्यात कम हो रहा है । इस स्थिति की जांच होनी चाहिये ।

इसी प्रकार हमारे सांभर नमक के निर्यात में कमी हो रही जिस से इस उद्योग को हानि पहुंचने का भय है ।

बिजली के भारी सामान की परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं ।

श्री **मेघनाद साहा** (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : इस मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि इस समय जो लगभग १४ उपक्रम इस मंत्रालय के अधीन हैं वे भिन्न भिन्न स्थितियों में हैं । अगली पंचवर्षीय योजना में सरकारी उद्योग में बहुत विस्तार की आशा है अतः वस्तुपरक दृष्टि से इन उपक्रमों का अवलोकन करना चाहिये ।

केवल सिंद्री फर्टीलाइज़र्स और केमीकल्स लि० का संतुलन पत्र घाटे का नहीं है यद्यपि उसमें लाभ भी नहीं दिखाया गया । उस के अतिरिक्त अन्य कारखानों में या तो निरन्तर घाटा है या वे कठिनता से चल रहे हैं ।

इन उद्योगों की पूंजी कर से या ऋण से जुटायी गई है, और इन में निरन्तर घाटे होने पर भी बोझ कर दाता पर पड़ेगा । ऋणों पर ब्याज लगभग १०१ करोड़ रुपये होता है, जो कर दाता को देना होता है । कराधान पहले ही युद्धपूर्व काल से छः गुना है । राष्ट्रीयकरण का अर्थ निरन्तर घाटा नहीं होना चाहिये, ये उद्योग आत्मनिर्भर तो होने ही चाहियें ।

अनेकों राज्य औद्योगिक उपक्रम वाले देश इंगलैंड में निदेशक बोर्ड के व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में एक निश्चित नीति है । उस का काम नीति बनाना ही नहीं, कृत्यकारी भी होता है । उदाहरणार्थ सिन्दरी कारखाने का बोर्ड लें, इस में सरकारी कर्मचारी भरे पड़े हैं । उस में एक विशिष्ट रसायनज्ञ और एक इंजीनियर भी होना चाहिये था । अच्छे निदेशकों के अभाव में यह कारखाना विभागीय रूप में चल रहा है । राष्ट्रीयकृत उद्योग कहीं भी विभागीय रूप में नहीं चलाया जाता । आशा है, आगे से इसका ध्यान रखा जायेगा ।

कुछ कारखानों के बनने में बहुत समय लगा है । डी० डी० टी० सब से साधारण पदार्थ है, पर उस में तीन चार वर्ष लग गये । पेनीसिलीन कारखाने युद्धकाल में यूरोप और अमरीका में वर्ष भर में बन गये थे, पर यहां छः वर्ष के बाद भी आज तक वह पूरा नहीं हो सका । यह मंत्रालय की अकार्य-कुशलता है । भारी बिजली परियोजना (हैवी इलैक्ट्रिकल प्रोजैक्ट) लिमिटेड भी अभी नहीं बनी । इन सब में बहुत देर लग रही है । रूरकेला लोहा इस्पात कारखाने को गतवर्ष फरवरी के बाद चार वर्ष में उत्पादन शुरू कर देना चाहिये, पर मंत्री जी जानते हैं कि यह नहीं हो सकता ।

श्री के० सी० रेड्डी : क्यों नहीं ?

श्री मेघनाद साहा : मैं बता रहा हूं । स्थल चुनने के बाद पानी, बिजली और यातायात की आवश्यकताओं पर विचार किया गया । ब्रह्माणी नदी पर बांध बनाना आवश्यक पाया गया और १५० मील की रेलवे लाइन बिछानी होगी, ५७ मील की अपेक्षतया कम लम्बी लाइन की भी चर्चा है । यह सब कब पूरा होगा ? कहा जाता है कि हीराकुड से बिजली मिल जायेगी, पर रास्ते में विशाल जंगल है और उस की पड़ताल नहीं हुई है ।

[श्री मेघनाद साहा]

मैं पूछता हूं कि स्थल राजनीतिक आधार पर चुने गये हैं या क्षमता के आधार पर ? क्या क्रुप्स डेमाग ने रूरकेला के बारे में और रूसियों ने भलाई के बारे में निष्पक्ष मत दिया था। फिर इन के लिये कच्चा माल देने का काम निजी लोगों के हाथ में रहेगा। एक पूंजीवादी उपक्रम उन्हें रिफ्रेक्टरियां भेज रहा है और उस ने प्रबन्ध कर रखा है कि एक भी रिफ्रेक्टरी किसी दूसरे स्रोत से न पहुंचे। अतः निजी खंड बहाना मात्र है। फिर उत्पादन के बाद क्या माल का संवारना (प्रोसेसिंग) भी निजी खंड पर छोड़ दिया जायेगा ?

इस्पात उद्योग में ही हम ३०० करोड़ व्यय करने जा रहे हैं कोई भी निजी पूंजीपति अपने परामर्शदाता इंजीनियरों से पूछे बिना एक कदम आगे न बढ़ेगा, पर सरकार के पास कोई परामर्शदाता इंजीनियर नहीं है। कभी वह टाटा से परामर्श ले लेती है, कभी मार्टिन बर्न से और कभी किसी और से। क्रुप्स डेमाग तो उस के लिये सभी कुछ हैं। सरकार को तुरन्त अनुभवी इंजीनियर अपने परामर्श दाताओं के रूप में नियुक्त करने चाहियें।

कोयला आज भी शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। उस के बारे में, आपकी क्या स्थिति है ? हमारे पास कुल ६० बिलियन टन कोयला है, जब कि सं० रा० अमरीका के पास ३००० और चीन के पास १५०० बिलयिन टन पाउन्ड विभिन्न रिपोर्टों के पढ़ने से पता चलता है कि हम बहुत अधिक कोयला बरबाद करते हैं, इसे रोकने के लिये हम क्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में एक पृथक वाद विवाद होना चाहिये।

उत्पादन मंत्रालय का बहुत विस्तार होने जा रहा है पर उसे कुछ भी अनुभव नहीं है। इस दिशा में अन्य देशों के अनुभवों का परीक्षण करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। बहुत से पूंजीवादी देशों में भी लोक खंड में बहुत से उद्योग हैं। इंगलैंड में २००० लाख पौंड की पूंजी का विनियोजन हो चुका है और नियम है कि कुछ समय बाद ५ प्रतिशत अतिरेक होना चाहिये। समाजवादी अर्थ व्यवस्था तक पहुंचने के लिये हमें भी क्रमबद्ध और सुसंगठित रूप मे आगे बढ़ना चाहिये। बच्चे भेड़ियों को पालन पोषणार्थ नहीं सौंपे जा सकते। वे या तो उन्हें खा जायेंगे या उन्हें भेड़िया ही बना देंगे। आज कल यही हो रहा है। आशा है इस स्थिति को सुधारा जायेगा।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : उत्पादन मंत्रालय की प्रगति सन्तोषजनक लगती है। पर वर्तमान ३६ करोड़ जन संख्या पर प्रति वर्ष १ १/४ प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से प्रति वर्ष ४५ लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के लिये रोजगार देना होगा। जमीन पर दबाव कम कर के हमें उद्योगीकरण बढ़ाना होगा।

हैदराबाद राज्य एक पिछड़ा राज्य है। निजी उद्योग खंड ने न पहले वहां कभी कुछ किया है, न आगे ही आशा है। जो भी उद्योग वहां पनपे हैं, सरकारी सहायता या नियंत्रण में ही। वहां लोग मज़ाक में यहां तक कहते हैं कि रजाकारों के समय वहां उद्योग अधिक पनप रहे थे। गत ८ वर्ष में एक भी कारखाना नहीं बना। इस के पहले वहां निजाम चीनी कारखाना, श्रीपुर कागज मिल्ज, सीर रेशम कारखाना, आलविन मैंटल वर्कस, प्राग टूल्स तथा अनेक वस्त्र मिल थे। अतः जहां निजी उद्योग कभी नहीं पनपे, उस क्षेत्र का उत्पादन मंत्रालय को विशेष ध्यान रखना चाहिये।

कच्चे माल की दृष्टि से उस का दावा और अधिक है। रामगुडम और कोठागुडियम में उर्वरक कारखाना खोलने के बारे में दोनों सदनों के हम हैदराबाद के सदस्यों ने एक ज्ञापन भेजा है। रामगुडम में एक ३८,००० किलोवाट का ताप का बिजली का कारखाना पूरा होने जा रहा है। कोयला पास में उपलब्ध है और वह हैदराबाद आन्ध्र मध्य प्रदेश और पास के राज्यों से रेल से भली भांति जुड़ा हुआ है। आशा है, उत्पादन मंत्री स्पष्ट बता देंगे कि हैदराबाद के विषय में क्या होगा, क्योंकि सब तरह की अफवाहें चल रही हैं। कच्चा माल, यातायात, बिजली पानी आदि की सुविधा होने से वहां सहज ही ५०,००० टन का उर्वरक संयंत्र लग सकता है। जिफम की बहुतायात होने से गन्धक भी बन सकती है, जिस को देश को भारी आयात करना होता है।

आदिलाबाद और बस्तर में बहुत सा सौफ्ट कोक उपलब्ध है। गोदावरी के एक ओर कोयला और दूसरी ओर लोहा उपलब्ध है। अतः इस्पात के नये संयंत्र के सम्बन्ध में भी हैदराबाद का ध्यान रखा जायेगा। हैदराबाद में अन्य स्थानों की अपेक्षा लोहे का प्रतिशतक भले ही कम हो, पर विदेशों में भी ऐसा होता है और प्रक्रिया सीधी होने से वह महत्वपूर्ण भी रहता है।

आलविन मैटल वर्क्स और प्राग टूल निगम एक ही शहर में हैं, और प्रबन्ध अच्छा न होने से अनुभव होने पर भी वे अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार दोनों को एकत्र कर दे या उन में सहयोगिता पैदा कर के या प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले, तो ये कारखाने देश की अधिक सेवा कर सकते हैं।

हैदराबाद में कच्चा माल और बिजली उपलब्ध होने और श्रम सस्ता होने से वहां विशेषतः नालागोंडा और करीमनगर में कुछ औद्योगिक परियोजना चलाना नितान्त बचतपूर्ण और लाभप्रद रहेगा। उत्पादन मंत्रालय को चाहिये कि इन सब बातों का और वहां की जनता की भावना का ध्यान रखते हुए वहां शीघ्र कुछ करे और जनता का विश्वास प्राप्त करे।

निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
८५	श्री साधन गुप्त	तेल शोधन का उत्पादन पूर्णतः विदेशी हितों को सौंपा जाना . .	१००
८५	,,	पश्चिमी बंगाल में एक इस्पात संयंत्र लगाने में असफलता	१००
८५	श्री आर० एन० एम० देव (कालाहांडी-बोलनगिर)	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला के ठेकेदारों द्वारा श्रम का शोषण . .	१००

मांग संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
८५	श्री अर० एन० एस० देव (कालाहांडी-बोलनगिर)	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला में स्थानीय व्यक्तियों का अपर्याप्त रूप में लगाया जाना	१००
८५	"	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति न देना और जमीन पर जबरदस्ती अधिकार	१००
८५	"	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला के स्थल पर पीने के पानी की अपर्याप्त व्यवस्था	१००
८५	"	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रुरकेला में स्थानीय व्यक्तियों के पर्याप्त संख्या में शिल्पिय प्रशिक्षण की व्यवस्था का अभाव	१००
८५	"	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड रूकेला में उड़ीसा के लोगों और उड़ीसा के हितों की रक्षा के लिये अपर्याप्त कार्यवाही	१००
८५	श्री बबराघस्वामी (पैरम्बलूर)	वृद्धाचलम् में एक इस्पात संयंत्र बनाने की आवश्यकता, जिस से वहां उपलब्ध लोहा अयस्क का उपयोग हो सके	१००
८५	"	पेराम्बलूर में उपलब्ध जिपसम का उपयोग करने के लिये वहां एक सीमेंट और उर्वरक कारखाना बनाने की आवश्यकता	१००
८५	डा० रामा राव	नादीकोंडा परियोजना में राज्य-आदत सीमेंट कारखाना बनाने में असफलता	१००
८५	"	तेल शोधन कारखानों के बारे में नीति	१००
८५	"	पेनीसिलिन के अतिरिक्त अन्य ऐंटीबायोटिक्स का उत्पादन करने में असफलता	१००
८६	"	निर्माताओं द्वारा नमक के उत्पादन के लिये उन्हें वैज्ञानिक सुविधायें देने में असफलता	१००
८७	डा० लंका सुन्दरम	नौविशारदों की फ्रांसीसी धर्म के अधीन विशाखा-पटनम शिपयार्ड के पुनः बनाने की योजना में निर्माण सम्बन्धी लक्ष्यबिन्दुओं का पूरा न होना	१००

मांग संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
८७	डा० रामा राव	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम में नये जहाज बनाने में देर और अक्षमता	१००
८८	"	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण में असफलता	१००
८९	"	इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज को एक डी० डी० टी० कारखाना बनाने देने की अनुमति	९००

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : हमें बहुत ही अभिमान है कि इस मिनिस्ट्री ने पिछले सालों में देश के उत्पादन को बढ़ाने में काफी प्रगति की है, और इस रिपोर्ट में राज्य के जो १२ कारखाने हैं उनके नाम दिये हुए हैं । इस से मालूम होता है कि हम अब तक अपनी जिन आवश्यकताओं के लिये विदेशों पर निर्भर रहते थे वे बहुत ही जल्दी हमारे देश में पूरी होने लगेंगी । सब से बड़ी आवश्यकता हमारी लोहे की थी, जिस के अभाव के कारण बहुत से कामों में रुकावट आती थी । हमारे समुद्री जहाजों का निर्माण उस की वजह से रुका हुआ था, हमारे रेलवे के बहुत से काम उस की वजह से रुके हुए थे और उन के लिये हम को विदेशों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता था । और भी इसी तरह से बहुत से काम रुके हुए थे । यह खुशी की बात है कि इस मिनिस्ट्री ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है । हम देखते हैं कि कुछ ही महीनों में एक नहीं बल्कि तीन तीन स्टील प्लांटों की बातें हुईं और उनमें से दो के बारे में तो पक्की भी हो गयी । तो इस तरह से जो प्रगति हम कुछ सालों में करने की सोच रहे थे वह कुछ थोड़े ही दिनों में होगी, और हम अपनी इस आवश्यकता के लिये शीघ्र ही आत्म निर्भर हो जायेंगे ।

जहां यह कारखाने बन रहे हैं वहां मैं एक और आवश्यकता की ओर शासन का ध्यान खींचना चाहूंगा । हमारे यहां मैशीन टूल फैक्टरी ने इसी वर्ष काम शुरू किया है और यह प्रसन्नता की बात है कि बड़े बड़े लेथ्स हमारे यहां बनने शुरू हो गये हैं । मैं खुद बंगलौर गया था और मैं ने यह स्वयं देखा और मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई । लेकिन जहां हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर ध्यान दे रहे हैं, वहां हम को थोड़ा इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि जो माल हम बना रहे हैं उस में से कुछ विदेशों को निर्यात करें और वहां अपने माल का प्रसार करें, ताकि हम वहां अपने लिये बाजार बना सकें । यदि हम ऐसा करेंगे तो बहुत उत्तम होगा । क्योंकि हमारे राज्य के पड़ौस में जो देश हैं वह हमारे मित्र हैं, जैसे कि बर्मा है, सीलोन है, इंडोनीशिया और इंडोचीन आदि, ये ऐसे देश हैं कि जिन से हमें सहयोग करना बहुत आवश्यक है और करना भी चाहिये और उन की जो जो आवश्यकतायें हैं, उन की पूर्ति की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये । सम्भव है कि हम जितना माल पैदा करें वह अभी हमारी आवश्यकताओं के लिये भी पूरा न हो लेकिन फिर भी उस में से कुछ माल हम विदेशों को दे कर के कुछ अपना बाजार वहां

[श्री राधेलाल व्यास]

कायम करें जिस से कि हम आगे जा कर के जो भी माल पैदा करें वह दूसरों की ज़रूरत के लिये भी हो और हमारे लिये भी हो। इस के लिये ज्यादा अच्छा हो कि कुछ कमीशन ऐजेंट्स वगैरह मुकर्रर किये जायें, जो बाजारों में जायें, विदेशों में जायें और देखें कि वहां की आवश्यकतायें क्या हैं, इस के आंकड़े और तथ्य वे एकत्रित करें और वहां की गवर्नमेंट से और वहां के व्यापारियों से सम्पर्क कायम कर के वहां पर हमारे माल की खपत के लिये वह प्रयत्न करें।

इस मिनिस्ट्री के अलावा जैसे कि टेलीफोन फैक्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री के अन्दर जिस तरह की कोचेज बनती हैं, वैगन्स अभी तो प्राइवेट सैक्टर में ही बन रहे हैं, तो यह जो सामान बनते हैं इन के लिये अगर विदेशों में प्रयत्न किया जाय तो हम अपने लिये बहुत कुछ मार्केट बाहर कायम कर सकेंगे।

दूसरी आवश्यक चीज जिस की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि जैसे जैसे ये कारखाने बनते जा रहे हैं, तो उन में खर्चा भी बढ़ता ही है। अभी जैसा डाक्टर साहब ने बताया कि कंसलटेंट इंजीनियर्स कायम करने चाहियें। अभी कल मैं अपने नगर उज्जैन से आ रहा था, तो रास्ते में ट्रेन में मुझे एक इंजीनियर साहिब मिले जो बम्बई की कंसलटेंट इंजीनियर्स की जो एक फर्म है, के एक सदस्य हैं, उन से मालूम हुआ कि वह फर्म ए० सी० सी०, असोसियेटेड सीमेंट कम्पनी है और वह उन के कारखानों को देखने जा रहे थे, २५०० रुपया माहवार वह लेते हैं और उसमें आने जाने का भत्ता और खर्चा वगैरह सब शामिल होता है, वे टाटा फर्मस् को भी देखने गये हैं, वे ए० सी० सी० के तमाम कारखाने देख रहे हैं और लाखों रुपये की बचत उन्होंने वहां पर बतलाई है। मैं नहीं कहता कि आप उस फर्म को रख लें लेकिन यह जरूर कहुंगा कि हमें ऐसे योग्य कमर्शियल इंजीनियर्स की सेवाओं की बहुत जरूरत है। मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे कई कारखानों में फिजूलखर्ची अवश्य निकलेगी और काफी खर्चा ऐसा होगा जो कम किया जा सकता है और खर्चे की बचत की जा सकती है। इसलिये जहां इतने कारखाने हैं, वहां कमर्शियल इंजीनियर्स का होना और उन की सलाह लेना और उन से कार्य की निगरानी कराना और खर्चे की कमी करावाने की ओर शासन का ध्यान जरूर जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि अगर जल्द ही इस दिशा में कदम उठाया गया तो काफी बचत होने की सम्भावना हो सकती है, अगर बचत न भी हुई तो यह तो निश्चित् है कि जो हमारे अधिकारी भिन्न भिन्न कारखानों में ज़िम्मेदारी के पद पर कार्य करते हैं, वे सतर्क अवश्य रहेंगे और बिला वजह जो खर्च बढ़ने की बातें चलती रहती हैं, वह न होंगी, इसलिए इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कुछ थोड़ा सा शिप बिल्डिंग यार्ड के बारे में मुझे कहना है। मेरे कई मित्रों ने भी इस बात को कहा है कि जितनी प्रगति इसमें होनी चाहिए, वह नहीं हई है। और इसमें हमारा कुछ दोष है, हमने जो अपने कंसलटेंट मुकर्रर किये हैं एस० ई० एल० फ्रांस के, उनके बारे में कोई दो राय तो हो नहीं सकतीं और यह वाक़या है कि वह बहुत अच्छी फर्म है और योग्य फर्म है लेकिन दुर्भाग्य से हुआ यह कि उन्होंने जो टेकनिकल परसन्स (व्यक्ति) हमारे यहां भेजे हैं, वह उतने योग्य साबित नहीं हुए और न ही उनसे जितना लाभ हमको मिलना चाहिए था, वह शायद नहीं मिल सका है, तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक जो

कुछ हुआ वह तो हुआ लेकिन अगली पंच-वर्षीय योजना में हमको ज़रा बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है, इस काल में काफी हमें प्रगति करनी है लेकिन अगर इस तरीके से हमारे कदम आगे बढ़े जैसे कि अभी तक बढ़ते रहे हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्त्ति नहीं कर सकेंगे। अभी जो बाहर से माल आता है वह दूसरे जहाज़ों में आता है, विदेशी जहाज़ों में भर कर सामान आता है, हम भी अपने देश में उत्पादन कार्य कर रहे हैं और हमें अपने देश में बने सामान को बाहर विदेशों में भेजने के लिए जहाज़ों की ज़रूरत पडेगी, इतना ही नहीं हमें अपनी रक्षा के लिए और डिफेंस के लिए जहाज़रानी की ज़रूरत पडेगी और उसके लिए हमें अपने जहाज़ों का निर्माण करना होगा। अब यह कि हम सदा दूसरे देशों की ओर ताकते रहें और उनसे उधार लेते रहें और वहां से चीज़ें मंगाते रहें, तो यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता और हमें यह सारा निर्माण का काम अपने हाथ में लेना है। इसलिए अगली पंचवर्षीय योजना पर विचार करते हुए मैं यह सलाह दूंगा कि हमारे यहां छोटी छोटी जो दूसरी प्राइवेट शिप्पींग कंसर्न्स हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाना चाहिए और हमारे जो टेकनिकल परसर्न्स हैं उनको एक जगह बैठ करके ऐसी योजना बनानी चाहिए कि तमाम जितने भी इसमें दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं, जो छोटा बड़ा काम करते हैं, क्योंकि बहुत सी छोटी कम्पनियां हैं जो कि २, २ और ३,३ हज़ार टन के जहाज़ बना सकती हैं, यह देखना चाहिए कि अगर हम समुद्र के किनारे पर छोटे छोटे जहाज़ भी चला सकते हों, तो उनका उपयोग करना चाहिए और सबको मिल कर ऐसी योजना बनानी चाहिए कि कौन से जहाज़ प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं और कौन से जहाज़ पब्लिक सेक्टर में किये जाने चाहिएं जिससे कि अगले पांच वर्षों में हम काफी प्रगति इस दिशा में कर सकें और यह बतला सकें कि हमारे यहां काफी निर्माण कार्य हुआ है। वर्षों तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं।

एक बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है वह यह कि हमारे यहां जो जहाज़ों के निर्माण का कार्य हो रहा है, उसके लिए अच्छे साधन चाहिएं, अच्छा साहित्य और अच्छी सामग्री चाहिए और यह सब आवश्यक सामग्री करीब करीब सारी विदेश से आती है, केवल ६ प्रतिशत सामग्री हमें अपने देश से मिलती है, तो हम हमेशा के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं कर सकते हैं कि वह हमें आवश्यक सामग्री भेजें, हमें यथासम्भव सारी सामग्री यहां प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये, इस के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और आवश्यक क़दम उठाये जाने चाहियें और अधिक से अधिक जहाज के निर्माण के लिये आवश्यक माल हमें अपने यहां पैदा करना होगा, सिवाय मशीनरी और इक्विपमेंट्स के जो बहुत जरूरी हैं और जिन का निर्माण हम तत्काल नहीं कर सकते हैं उन के अलावा जितनी भी और दूसरी चीजें हैं, उन को अपने देश में से प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये।

एक और भी बात है कि जहां तक मुझे मालूम है विदेशों में इन कारखानों में हर एक कर्मचारी को छोटे से बड़े तक ले कर ट्रेनिंग दी जाती है, वैसी व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। यह जरूर है कि कुछ ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये लोग विदेशों में भेजे गये हैं और कुछ मामूली सी ट्रेनिंग यहां पर भी शुरू की गई है, लेकिन इतना काफी नहीं है। एक मजदूर से ले कर बड़े से बड़े अफसर तक के लिये ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि समय समय पर बराबर नियमित रूप से वे ट्रेनिंग लेते रहें। मुझे तो बहुत शर्म

[श्री राधेलाल व्यास]

मालूम होती है कि अगर हमारे विशाखापटनम् के मजदूरों को कहा जाय कि फ्रांस का एक आदमी तुम्हारे वहां के दो आदमियों के बराबर बैठता है और हमारा मजदूर ऐसा सुन कर शायद अपना सिर शर्म से झुका लेगा, यहां का आदमी इतना हल्का और कमज़ोर समझा जाता है कि यहां के दो आदमी फ्रांस के एक आदमी के बराबर होते हैं, यहां लोगों को बतलाना चाहिये कि वहां के आदमी कितना ज्यादा काम करते हैं और जितना काम वहां के लोग करते हैं, उतना यहां वाले नहीं कर सकते, मैं समझता हूं कि अगर हमारे यहां के काम करने वालों को यह बतलाया जायगा तो वह अपने काम को आगे बढ़ायेंगे और अपने काम में तरक्की करेंगे, बल्कि मुझे तो विश्वास है कि हमारे देशवासियों में इतना जोश और उत्साह और इतनी शक्ति है कि अगर उन को ठीक तरह से काम करना सिखाया जाय तो वे विदेशों के मुकाबले में कभी पीछे नहीं रह सकते हैं और उन से आगे ही बढ़ेंगे, इसलिये इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ।

डा० लंका सुन्दरम् : शिपयार्ड में क्या अभी तक ऐसा प्रयत्न हुआ है ।

श्री राधेलाल व्यास : उधर ज़्यादा ध्यान दिये जाने की जरूरत है ।

फर्टिलाइजर फैक्टरी के बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है । हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि यह हैदराबाद में बनें, राजस्थान में बनें, मैं कहता हूं कि यह फैक्टरी मध्य भारत में बने । लेकिन देखना यह चाहिये कि आज जैसे बिहार में है, ठीक है, बिहार से बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि की ओर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाये वह उसके नज़दीक हैं, लेकिन अब जो दो तीन फर्टिलाइजर की फैक्टरियां बन रही हैं तो पहले योजनापूर्वक विचार करना चाहिये कि किस जगह खोलने से अधिक से अधिक लाभ वह पहुंचा सकती हैं और कहां कहां उन की जरूरत होगी । आज यदि आप नक्शे को उठा कर देखें तो मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल और मध्य प्रदेश, ये ऐसे देश हैं जिन में इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं और ज्यादातर वे कृषि प्रधान देश हैं । उन को खाद की जरूरत काफी होगी, इसलिये ऐक ऐसा कारखाना खोलना चाहिये जहां आसानी से एक स्थान से उस सारे ऐरिया में खाद पहुंचायी जा सके । अगर रा-मैटीरियल (कच्चा माल) राजस्थान से बिहार जा सकता है तो, मध्य भारत, मध्य प्रदेश और राजस्थान तो बहुत नज़दीक हैं वहां भी रा-मैटीरियल कम खर्च में जा सकता है और उस से वहां के किसानों की भूमि सम्बन्धी आवश्यकताओं की बहुत आसानी से पूर्ति हो सकती है और यह जो हमारी रेलवेज हैं इन पर भी ज्यादा बोझ नहीं लदेगा क्योंकि अभी दूर दूर से बिहार से या भाखड़ा नांगल से ले जाना पड़ता है । इसलिये इस पर विचार कर के और सर्किल्स कायम कर के और उन की आवश्यकताओं को देखते हुए कि किस स्थान पर फर्टिलाइजर की फैक्ट्री होने से सारा एरिया कवर हो सकता है जो कम से कम दूरी पर हो, जहां से कम से कम समय में और कम से कम खर्च पर वह आवश्यक माल किसानों को पहुंचाया जा सके, वहां पर फैक्ट्री स्थापित की जानी चाहिये ।

एक बात मुझे और कहनी है और वह है बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स और चेअरमैन के बारे में । मेरा अभी तक का यह अनुभव है कि ज्यातादातर बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के मेम्बर्स या चेअरमैन हमारे सेक्रेटेरियट के लोग होते हैं और इस में शक नहीं कि वे बहुत योग्य और काबिल व्यक्ति हैं

और बड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन चेअर मैन यहां दिल्ली में बैठा हुआ सिंदरी या नाहन की निगरानी करे, यह कुछ मुनासिब नहीं लगता । आप देखते हैं कि टाटा हैं, वह अपने कारखाने में ही बैठते हैं, बिड़ला हैं बराबर यहां आते जाते रहते हैं लेकिन यह नहीं कि वह दिल्ली में ही बैठे रहें, उन के कारखानों में क्या हो रहा है, कौन सी गतिविधि चल रही है, इस की बहुत जानकारी उन को प्राप्त रहती है ।

डा० लंका सुन्दरम् : ट्रेन और टेलीफोन सर्विसेज तो हैं ।

श्री राधेलाल व्यास : इसलिये यह आवश्यक है कि कारखाने ठीक रूप से काम करें । और वर्कर्स और मैनेजमेंट में बराबर सामंजस्य रहे इस के लिये यह आवश्यक है कि जो लोग जिम्मेदारी के पद पर हों, जैसे चैअरमैन और डाइरेक्टर्स, उन का सम्पर्क रोजबरोज वर्कर्स से स्थापित होना चाहिये, साथ ही कोई भी घटना जो कारखाने में घटी हो उस से उन की पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है । अच्छा तो यह रहे कि उन के हैडक्वार्टर्स आप सर्किल्स में बनायें, एक दक्षिण में रहे एक पूर्व में रहे, एक पश्चिम में रहे और एक मध्य में रहे । जहां तक स्टेट अंडरटैकिंग्ज़ का सवाल है, उन के साथ ही उन का हैडक्वार्टर होना चाहिये और अधिकारी कुछ ज्यादा समय के लिये आया करें ।

डा० लंका सुन्दरम् : इन संस्थाओं के प्रबन्ध के लिये आप कितने उपमंत्री निश्चित करने का सुझाव देते हैं ?

श्री राधेलाल व्यास : मेरे मित्र पूछते हैं कि इस के लिये कितने डिप्टी मिनिस्टर चाहियें । इसके लिये डिप्टी मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं है । कुछ जिम्मेदार आदमी जो इस कार्य को रात दिन देखते रहें, वह इस के चार्ज में रक्खे जायें । ऐसे आदमी जिन में योग्यता हो, अध्ययन हो, अनुभव हो और जानकारी हो । और सब से अधिक ज़रूरत इस बात की है कि वह बड़े ईमानदार हों । अगर ऐसा हो जाय तो मैं समझता हूं कि काफी प्रगति होनी चाहिये । उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि कहां पर कमी की जा सकती है और कहां पर फिजूलखर्ची होती है, कहां पर गड़बड़ी है । इन सब बातों की जानकारी चेअरमैन और डाइरेक्टर्स को होनी बहुत जरूरी है । आप को इस के लिये तैयार होना चाहिये ।

अक्सर मैं देखता हूं कि जनरल मैनेजर्स बड़ी जल्दी जल्दी बदल दिये जाते हैं । जब से सिंदरी फैक्ट्री शेरू हुई है, वहां पर तीन चार जैनरल मैनेजर्स पहुंच चुके हैं । एक आदमी आता है और अध्ययन के लिये जापान वगैरह चला जाता है, जब वह अनुभव प्राप्त कर के लौटता है तो उस को दूसरी जगह बदल दिया जाता है । यह कहा जा सकता है कि अगर वह योग्य आदमी है तो उस को दुसरी जगह का भी अनुभव प्राप्त करना चाहिए लेकिन यह बात ठीक नहीं है । किसी कारखाने के ठीक ढंग से काम करने के लिये यह आवश्यक है कि वहां के अधिकारी जल्दी जल्दी तबदील न किये जायें क्योंकि जल्दी जल्दी तबादला होने से कारखाने को उसके अनुभव का लाभ नहीं पहुंच सकता । आदमी का तो कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि उस की तनख्वाह तो उस को मिलेगी ही चाहे कारखाने को लाभ हो या नुकसान हो । अगर नुकसान भी हो तो वह सोचते हैं कि यह फर्टिलाइजर हम जब खेतों के लिये देते हैं तो हम किसानों से ज्यादा कीमत ले लेंगे । लेकिन यह बात ठीक नहीं है, इसको भी देखने की ज़रूरत है ।

इस के अलावा मैं आडिट के सम्बन्ध में भी दो एक शब्द कहना चाहता हूं । आडिट ऐसे ढंग से होना चाहिये कि यह दखा जाय कि जो पदावार होती है वह खर्च की

[श्री राधेलाल व्यास]

दृष्टि से और कंज्यूमर्स की दृष्टि से ठीक हो रही है या नहीं। आज सिंदरी में हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर पैदा हो रहा है, ठीक है, पर जो कुछ खर्च हो रहा है उस में वहां और कमी हो सकती है अगर आप कंज्यूमर्स का थोडा बहुत भी ख्याल करते हैं। इस लिये आडिट होना चाहिये और उस की रिपोर्ट में यह होना चाहिये कि वाकई क्या यह खर्च कम किया जा सकता है। अगर इस तरह से विचार किया जाये तो हमारा भविष्य बहुत उज्वल है और इस मिनिस्ट्री के ऊपर और भी काम आने वाले हैं। मैं समझता हूं कि हमारे देश का भविष्य बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि इन बातो की तरफ ध्यान दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो और भी ज़्यादा प्रगति इन कामों में हो सकेगी।

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक

मतविभाजन के अंकों में शुद्धि

सभापति महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि २ अप्रैल, १९५५ को सेठ गोविन्द दास के भारतीय ढ़ोर परिरक्षण विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर जो मत विभाजन हुआ था उस के अंकों की घोषणा करने में एक गलती हो गई। 'पक्ष' में मत देने वालों की संख्या १३ थी, जब कि वह ग़लती से १२ घोषित की गई थी।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें

उत्पादन मंत्रालय की मांगें

श्री यू० एम० त्रिवेदी : उत्पादन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार उसका मुख्य उत्तर-दायित्व सरकारी औद्योगिक उपक्रम है। यह बड़ी अच्छी बात है और इस से अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिला है। परन्तु शोलापुर मिल का अधिग्रहण उत्पादन मंत्रालय ने नहीं किया। अंबरनाथ का कारखाना पहले अहमद अबदुल करीम ब्रादर्स के हाथ में था। उस कारखाने में बहुत सा रेशम बनता था और सारे भारत में रेग्जीन नहीं बनता था। रेलवे में सभी कर्मचारियों के कोटों की सर्जों के लिये ऊन भी यही कारखाना देता था। अब सन् १९४८ से यह बेकार पड़ा है, तो उत्पादन मंत्रालय इसे अपने हाथ में क्यों नहीं लेता? मैं ने वाणिज्य, श्रम और पुनर्वास मंत्रियों को भी लिखा है, पर वे सब कुछ न कुछ बहाना बना कर बच जाना चाहते हैं। अतः यह कारखाना उत्पादन मंत्रालय को संभालना चाहिये। इससे ३००० व्यक्तियों को रोज़गार भी मिलेगा।

सोदपुर ग्लासवर्क्स में सम्बन्धित पक्ष के विनियोजन के अलावा हम एक' करोड़ रुपया लगा चुके हैं, पर उत्पादन अब तक शुरू नहीं हुआ। सरकार को इसका अधिग्रहण कर के अच्छे कांच के सामान के इस उद्योग को स्वयं चलाना चाहिये। जिन उद्योगों में किसी को उस की संपत्ति से वंचित करने का भय नहीं है, सरकार को वे उद्योग अपने हाथ में लेने चाहिये।

श्री के० सी० रेड्डी : क्या माननीय सदस्य का विचार है कि जो निजी उद्योग सन्तोषजनक काम न कर सकने के कारण लंगड़े हो रहे हैं, सरकार उन्हें ले ले?

डा० लंका सुन्दरम् : शिपयार्ड में आप ने यही किया।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है। परन्तु जिन का प्रबन्ध ठीक नहीं है, या जो व्यर्थ पड़े हैं, या जहां हमारा पैसा लगा है, ऐसे उद्योगों को ले लेना ही

चाहिये । जब हम संविधान तक में संशोधन करना चाहते हैं, तो उस के बिना ही हम जो कुछ कर सकते हैं वह तो हमें करना ही चाहिये ।

दूसरी बात तीन तेल शोधन कारखानों की है, इन में से तीसरा ब्रिटेन और अमरीका वासी विशाखापटनम् में खड़ा कर रहे हैं । मुख्य उद्योगों का नियंत्रण इन विदेशियों के हाथ में देते समय हमें ध्यान में रखना चाहिये कि इन में लगाये जाने वाले व्यक्ति इस देश के प्रति निष्ठावान हों । यदि वे बहुमत समुदाय के व्यक्तियों को न लगाकर एक विशेष समुदाय के ही व्यक्तियों को मुख्य स्थान देना चाहें, तो हमें इस दिशा में सतर्क रहना चाहिये ।

श्री **डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : अपनी यह महत्वपूर्ण बात कृपया और स्पष्ट कर दें ।

श्री **यू० एम० त्रिवेदी** : यह बिल्कुल स्पष्ट है । माननीय मंत्री इस को समझते हैं ।

श्री **के० सी० रेड्डी** : मैं इस रहस्यपूर्ण भाषा को नहीं समझ सका हूं ।

श्री **यू० एम० त्रिवदी** : इन तीनों कार खानों में नौकरी के मामले में मुसलमानों को हिन्दुओं के मुकाबले में प्राथमिकता दी जाती है ।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान नमक के उत्पादन की स्थिति की ओर आकर्षित करूंगा । १९५३ में नमक का उत्पादन ८६० लाख मन हुआ था किन्तु १९५४ में यकायक उत्पादन गिर गया और केवल ७४१ लाख मन नमक का ही उत्पादन हुआ । पता नहीं इस के क्या कारण हैं । हम चाहते है कि नमक का उत्पादन काफी बढ़े ताकि हम दूसरों को भी उसका संम्भरण कर सकें हम ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया है कि पश्चिमी तट के मुकाबले में पूर्वी तट पर नमक का उत्पादन बहुत कम होता है । माननीय मंत्री बतायें कि ऐसा क्यों है ?

यह बताया जाता है कि दिल्ली, अजमेर, बिहार और पंजाब में नामनिर्देशन की प्रणाली समाप्त कर दी गई है किन्तु राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पेप्सू, मध्य प्रदेश इत्यादि में इसको अंशतः शिथिल कर दिया गया है । मैं चाहता हूं कि इस प्रणाली को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय क्योंकि इसी प्रणाली की मदद से एक विशिष्ट दल के कुछ व्यक्ति अपने निजी अथवा अपने दल के लिये रुपया पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार यह प्रणाली भ्रष्टाचार का कारण बन जाती है । एक सरकारी समवाय का ऐसा उद्देश्य नहीं हो सकता । नमक का वितरण कांग्रेस दल के लिये धन एकत्र करने का साधन नहीं बनना चाहिये । राजस्थान में ऐसी ही सब कुछ चल रहा है । समय समय पर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है और पण्य नियंत्रण समिति जैसे एक स्वतन्त्र निकाय ने भी इस को समाप्त करने की सिफारिश की है ।

सरकार ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ ३२ पर बताया है कि शुद्ध नमक पाकिस्तान के सेन्धा नमक के समान ही लोकप्रिय रहा । किन्तु साथ ही यह बताया जाता है कि दिल्ली, पश्चिमी बंगाल और हैदराबाद की सरकारों ने अत्यावश्यक संभरण अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत ब्लाक नमक के बनने, आने जाने तथा विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने वाली कुछ अधिसूचनायें तो जारी की थीं, परन्तु कोई नया नियंत्रण जारी नहीं किया गया था । मैं नहीं समझता कि ब्लाक नमक के बनने पर किसी रूप में भी कोई नियंत्रण अथवा प्रतिबन्ध क्यों लगाया जाये । ब्लाक नमक का उपयोग पशुओं के चाटने के लिये किया जाता

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

है, और दूसरे इस से पाकिस्तान के सेंधे नमक का चोरी से लाया जाना भी बच जाता है। एक ओर तो आप यह कहते हैं कि शुद्ध नमक सेंधे नमक का काम देता है और बहुत लोकप्रिय रहा है और दूसरी ओर आप यह कहते हैं कि कुछ आदेशों द्वारा इस के बनाये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इन दोनों विरोधी बातों की ओर ध्यान दें और ब्लाक नमक के बनने पर जो प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, उस को हटाने की कृपा करें।

श्री एस० वी० रामस्वामी : सब से पहले मैं सिन्दरी के बारे में ही कहूंगा। सिन्दरी में उर्वरकों का मूल्य पर्याप्त नहीं गिरा है। मूल्य में जो कुछ कमी आई है वह कृषि उत्पादों के मूल्यों की गिरावट के बराबर नहीं है। मैं चाहता हूं कि उर्वरक का मूल्य लगभग २०० रु० प्रति टन कर दिया जाये, ताकि कृषक लाभ उठा सकें।

प्रतिवेदन के पृष्ठ ४९ पर बताया गया है कि सिन्द्री कारखाने में १४ लाख रुपये की कमी रही। मैं नहीं समझ पाता कि इतने रुपयों की कमी कैसे पड़ सकती है। मेरे विचार में इस में लेखे विभाग की कोई गलती है। माननीय मंत्री कृपया इस ओर ध्यान दें।

दूसरा उद्योग हिन्दुस्तान शिपयार्ड का है। अन्य माननीय सदस्य बता चुके हैं कि जलपोतों के बनाने में बड़ी देर लगाई जाती है। यह ठीक नहीं है। इस देरी की वजह से ही विदेशी सार्थों को आदेश भेजे जाते हैं मैं जानता हूं कि यह नया उद्योग है। किन्तु मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस की ओर विशेष ध्यान देंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि यह उद्योग जल्दी ही काफी उन्नति कर जाये। फिर दूसरी बात मूल्य के बारे में भी है। यह तो ठीक है कि हम मुख्यतः विदेशों से ही जलपोत मंगाते हैं किन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि हमारे देश में जो जलपोत बनाये जाते हैं, उन के लिये अधिक मूल्य लिया जाये। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हमारे देश में ही बनाये गये जलपोत यदि कम मूल्य में नहीं तो कम से कम उतने मूल्य पर अवश्य बेचे जा सकें जितने पर विदेशी जलपोत प्राप्त होते हैं।

दूसरी बात फ्रांसीसी सार्थ के सम्बन्ध में है। इस सार्थ के साथ संविदा होने के बाद इस शिपयार्ड में कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ है। गत २ या ३ वर्षों से कोई जलपोत तैयार नहीं हुआ है। यह सोचने की बात है कि क्या इस सार्थ से संविदा जारी रखा जाये या समाप्त कर दिया जाये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस ओर भी विशेष ध्यान देंगे।

नमक के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि नमक का निर्यात गिर रहा है। हम ने नमक की किस्म सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जिस से विदेश के बाजारों में हमारे नमक की मांग अधिक नहीं है। पाकिस्तान हमसे नमक न मंगा कर टुर्की से नमक मंगाता है, और जापान भी तुर्की ही से नमक मंगाता है। तुर्की के मुकाबले में हमारा देश पाकिस्तान और जापान के बहुत करीब है। फिर भी ऐसा क्यों होता है, इस मामले की हमें जांच करनी चाहिये। मैं ने देखा कि तुर्की के नमक में सोडियम क्लोराइड ९८·५ प्रतिशत होता है। मैं नहीं समझता कि हम भी वैसा नमक क्यों नहीं बना सकते।

दूसरे मैं नीवेली की लिगनाइट प्रयोगात्मक परियोजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे खेद है कि छः वर्ष बीत गये ह और

अभी तक कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ है। सब जानते हैं कि नीवेली की खानों से लिगनाइट के प्राप्ति से दक्षिणी भारत में उद्योगों की काफी उन्नति हो जायगी है। मैं नहीं समझ पाता कि इतनी मन्द गति से काम क्यों चल रहा है, और अभी तक लिगनाइट की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती है। मेरे विचार में अमरीकी विशेषज्ञों के स्थान पर जर्मनी और इटली के विशेषज्ञों को लगाना चाहिये, जो कि इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखते हैं। इस से काम भी जल्दी होगा। इस सम्बन्ध में, मैं एक बात और कह दूं कि लिगनाइट की प्राप्ति के साथ दक्षिण में एक इस्पात कारखाने की स्थापना का प्रश्न भी सम्बद्ध है। मैं इस बात के लिये आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री मद्रास राज्य में एक इस्पात कारखाने की स्थापना करने के बारे में विचार करें भारत के भूतत्वीय परिमाप के डा० एम० एस० कृष्णन तथा श्री एन० के० एन० आय्यंगार ने अपने प्रतिवेदनों में बताया है कि सलेम और त्रिचनापली के जिलों में कच्चा लोहा काफी मात्रा में उपलब्ध है और उस को साफ करने के लिये चूना तथा डुलेमाइट भी काफी मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया है कि कच्चे लोहे की किस्म भी बहुत अच्छी है। अभी हाल ही में मैं ने इस प्रतिवेदन को जर्मनी के एक महान विशेषज्ञ के पास भेजा जिसका पहले क्रुप्स समवाय से सम्बन्ध था। उस ने भी इस मामले के सम्बन्ध में जो अपनी राय दी है वह पक्ष में है।

अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री चौथा इस्पात संयंत्र सलेम में ही स्थापित करें। मुझे उम्मीद है कि उस समय तक लिगनाइट भी काफी मात्रा में मिलने लगेगा। जो कि इस्पात संयंत्र की स्थापना में सहायक सिद्ध होगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरभंगा) : समाज में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय होने के बाद उत्पादन मंत्रालय का काफी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यह मंत्रालय इस उद्देश्य की प्राप्ति में काफी सहायता दे सकता है। हमें इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि इस मंत्रालय ने चार सार्थों से इस्पात संबंधी संविदा किये हैं।

एक विदेशी उद्योगपति ने बताया था कि अगले पांच या छः सालों में भारत इतना इस्पात का उपयोग नहीं कर सकेगा। किन्तु हमें ऐसी आलोचनाओं की चिन्ता नहीं करनी चाहिये और इस्पात का उत्पादन बढ़ाते रहना चाहिये। भारत में इस्पात की आवश्यकता बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। श्री व्यास ने जलपोतों तथा रेलों का उल्लेख किया था और मैं कहता हूं कि श्रमिकों के लिये मकान बनवाने के लिये भी काफी इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब कामों के लिये इस्पात की आवश्यकता बहुत बढ़ जायेगी। इस्पात के उत्पादन के लिये जो अन्तिम लक्ष्य नियत किया गया है, वह अगले पांच या छः सालों में हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिये न्यूनतम है, अतः जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, जो अन्तिम लक्ष्य नियत किया गया है वह बिल्कुल ठीक है।

समाजवादी व्यवस्था के लिये श्रमिकों में उत्तरदायित्व का भाव करना जरूरी है। आज मैं देखता हूं कि बड़े से बड़े प्रबन्धों में उत्तेरदायित्वों का भाव नहीं है। इसीलिये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। मेरा विचार है कि एक दिन यह कमी अवश्य दूर हो जायेगी। श्री राधे लाल व्यास ने अभी बताया कि फ्रांसीसी श्रमिक के मुकाबले में भारतीय श्रमिक का उत्पादन आधा होता है। मेरे विचार में यह बात बे समझे बूझे कह दी गई है। जब कभी ऐसी तुलनायें की जाती हैं, तो वे शारीरिक कार्यक्षमता तथा टैक्नीकल

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

कुशलता पर आधारित न रह कर टैक्नीकल उपकरणों पर आधारित रहती हैं। मशीन से काम करने वाला व्यक्ति स्वभावत: हाथ से काम करने वाले व्यक्ति से अधिक काम करेगा।

श्रमिकों की कार्य करने की क्षमता एक दम नहीं बढ़ जाती है। कार्यक्षमता बनानी पड़ती है। जो व्यक्ति विदेशों में गया है, वह जानता है कि आर्थिक तथा अन्य प्रकार की परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ ही कायक्षमता म धीरे धीरे विकास हुआ है। आज हमारे देश में यह भावना फैली हुई है कि भारतीय श्रमिक अच्छा नहीं है यह ठीक नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के प्रतिवेदन में बतायां गया था कि भारतीय श्रमिक दूसरे देशों के श्रमिकों के मकाबले में ७५ प्रतिशत उत्पादन करते हैं और इस को बड़ा अच्छा माना गया था, क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले में यहां के श्रमिकों की मजूरी कम है तथा उन को उतनी सुविधायें नहीं हैं। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये भारतीय श्रमिकों को वे सारी सुविधायें मिलनी चाहियें, जो कि विदेशों के श्रमिकों को उपलब्ध हैं। मैं आशा करता हूं कि यह मंत्रालय एक ऐसी योजना बनायेगा जिस से हमारे श्रमिकों की कार्यक्षमता का विकास होगा। कुछ दिन पूर्व योजना आयोग की परामर्शदाता समिति की एक बैठक हुई थी जिस में उसने अपदे आप को तीन भागों में विभाजित कर लिया। एक भाग का सम्बन्ध उत्पादन, कार्यक्षमता तथा अनुशासन में वृद्धि करने से है। मैं आशा करता हूं कि अनुशासन या उत्पादन का संकुचित अर्थ नहीं लगाया जायेगा। यह बड़े व्यापक शब्द हैं।

आज केवल योजना द्वारा एक व्यक्ति की कार्यक्षमता तथा उत्पादन शक्ति दस गुणी बढ़ाई जा सकती है। इस मंत्रालय को इसी रूप में इस समस्या पर विचार करना है। अभी तक देश में उद्योग के विकास का अर्थ केवल मशीनों को बढ़ाया जाना ही लिया जाता रहा है। श्रमिकों के लिये आवास की व्यवस्था करने तथा अन्य सुविधायें देने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब भी ऐसा सोचा जाता है कि उद्योग के लाभ में से ही श्रमिकों को सुविधायें दी जानी चाहियें। किन्तु यह एक गलत कदम होगा। श्रमिकों को शुरू में ही सारी सुविधायें दी जानी चाहियें, ताकि उन की कार्यक्षमता बढ़ सके। मुझे विश्वास है कि यह मंत्रालय इस बात की ओर विशेष ध्यान देगा, विशेषत: जबकि देश के लिये समाजवादी व्यवस्था का आदर्श स्वीकार कर लिया गया है।

कुछ दिन पूर्व मैं पूर्वी यूरोप की कोयला समिति का प्रतिवेदन देख रहा था। उस में यह बताया गया है कि यदि पैट्रोल में हमारा एकाधिकार न होता तो पूर्वी यूरोप म पैट्रोल का मूल्य कम होता। उस समिति में अमरीका, इंगलैंड, तथा रूस के प्रतिनिधि थे। अत: इस बात की कोशिश हो रही है कि वह प्रतिवेदन प्रकाशित न किया जाये। किन्तु उस प्रतिवेदन का प्रकाशन होना ही चाहिये। उसका कारण यह है।

अपने देश में भी उदाहरणत: आसाम में पैट्रोल का उत्पादन होता है। यहां के पैट्रोल का उत्पादन मूल्य मैक्सिको की खाड़ी के मूल्यों से नहीं कम है। इस में क्या तर्क है कि आसाम में पैदा होने वाले पैट्रोल के लिये भी वही मूल्य लिया जाये, जो कि मैक्सिको की खाड़ी के पैट्रोल के लिये लिया जाता है?

डा० लंका सुन्दरम् : एसा अंतर्राष्ट्रीय इकरारों के आधार पर किया जाता है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : अमरीका में इस प्रकार के करारों, जिन से, मूल्यों में

वृद्धि की जा सकती हो, के खिलाफ एक विगि -थी, किन्तु अब वह लगभग रद्द हो चुकी है ।

कुछ दिन हुए एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि यद्यपि शोधक कारखाने यहां हैं फिर भी पैट्रोल के मूल्यों में कमी नहीं की जा सकती है क्योंकि उत्पादन की लागत कम नहीं होगी । मेरा विचार है कि ऐसी जांच किये बिना ही कहा गया था । इस मामले की जांच अच्छी प्रकार की जानी चाहिये ।

बर्मा ने मुसद्दिक के समय में बर्मा के पैट्रोल समवाय का अंश प्राप्त किया । परन्तु इस देश में हम सो रहे थे । हम ने कोई यत्न नहीं किया कि हम भी ऐसा करें । यद्यपि आसाम में पैट्रोल समवाय है किन्तु न ही सरकार ने और न ही किसी दूसरे ने कोई यत्न किया कि उसका कोई अंश प्राप्त किया जाय ।

मेरा विचार है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा इन समवायों को पत्र भेजे जाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आया है । हाल ही में दो भारतीयों को जिन्हें शिल्पी पक्ष में नियुक्त किया गया था त्यागपत्र देकर वहां से जाना पड़ा क्योंकि उन के साथ गोरे आदमियों का सा बर्ताव नहीं किया गया था । इसलिये मेरा विचार है कि सरकार को बर्मा की तरह इन समवायों के अंश खरीदने चाहियें ।

अब जो हमने समाजवादी ढंग का समाज बनाने के बारे में संकल्प पारित किया है तो हमें १९४८ की उद्योग नीति में परिवर्तन करना चाहिये । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि कोयले में जो खराबी होती है इस प्रकार की खराबी अब नहीं होनी चाहिये ।

समाजवादी ढंग का समाज बनाने के संकल्प के पारित होने के बाद अब १९४८ की औद्योगिक नीति में परिवर्तन आवश्यक हो गया है । जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमारे लिये इस बात का निश्चय करना संभव नहीं है कि राज्य का उद्योग क्षेत्र क्या हो, राज्य का उत्तरदायित्व क्या हो, उसका अन्य उत्तरदायित्व क्या हो तथा संयुक्त उत्तरदायित्व क्या होना चाहिये और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये कुछ छोड़ना चाहिये ।

यदि आप प्रादेशिक विकास चाहते हैं तो आप को कई राज्यों के गैर-सरकारी क्षेत्रों में जा कर इन उद्योगों का विकास करना चाहिये । उदाहरणार्थ आसाम में समाचार पत्रों के कागज का अच्छा उद्योग चल सकता है, परन्तु यातायात तथा अन्य कई कारणों से वहां कोई उद्योगपति नहीं जाता । इसलिये सरकार को, और विशेषकर, संबद्ध मंत्रालय को अपने अनन्य उत्तरदायित्व के रूप में इस उद्योग का वहां विकास करना चाहिये । इसी प्रकार यह उद्योग विकसित हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है ।

वर्तमान घोषणा को ध्यान में रखते हुए हमें १९४८ की औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्रों में इन उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे । यदि इन उद्योगों के बारे में उस प्रदेश को लोगों को ही रोजगार देने की भावना काम करने लगी, तो प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में भी उनकी मांग करने लगेगा ।

बड़े उद्योगों में अखिल भारतीय दृष्टि से काम धन्धा देना अनिवार्य है । स्थानीय लोगों को कुछ कामधन्धा देना आवश्यक है, परन्तु बड़ी नौकरियों के बारे में अखिल भारतीय दृष्टिकोण होना चाहिये, तभी हम अपनी नवीन नीति के अनुसार अपना कर्तव्य पालन कर सकेंगे ।

डा० लंका सुन्दरम : गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में राजनैतिक हेतुओं से इस देश में बड़ा वादविवाद चल रहा है । उदाहरणार्थ श्री रामस्वामी ने विशेषज्ञों का जिस ढंग से उल्लेख किया है, वह उन्हें शोभा नहीं देता ।

हाल ही में मैं ने ऐसन के डेमाग और क्रुप्स स्टालिनग्राड के "रैड अक्टूबर" और धातु कर्मिक संयंत्र को देखा है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मुझे किसी इंजीनियर विशेष के विचार प्रस्तुत करने चाहियें मैं समझता हूं कि यह प्रयत्न दक्षिण में लिगनाइट संयंत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन को दिये जाने वाले करार को समाप्त करने के लिये किया गया है । इस प्रकार के व्यवहार से न गैर-सरकारी क्षेत्र का विकास हो सकता है और न ही किसी उद्योग का विकास हो सकता है ।

श्री मेघनाद साहा ने भिलाई संबंधी कुछ टैक्नीकल प्रतिवेदनों का उल्लेख किया है । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि केवल राजनैतिक दबाव के कारण ही भारत सरकार को रूरकेला और भिलाई के बारे में निश्चय करना पड़ा । मैं श्री के० सी० रेड्डी को देश के उद्योगों के क्षेत्र के बड़े द्वन्द्व में प्राप्त होती हुई दिखाई देने वाली सफलता के लिये बधाई देना चाहता हूं ।

मैं मंत्री महोदय को उन के मंत्रालय के अधीन बढ़ते हुए उद्योगों के लिये बधाई देता हूं, परन्तु साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि किसी स्थान विशेष में गैर-सरकारी क्षेत्र का केन्द्रीकरण देश की भलाई के लिये ठीक नहीं है । मैं ने कुछ समय इन गैर-सरकारी नियमों के ऊपर संसदीय नियंत्रण का उपबन्ध करने के बारे में प्रश्न उठाया था और वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह विभिन्न औद्योगिक उपकरणों के वित्तों और लेखा-परीक्षण सम्बन्धी तथ्यों का नियंत्रण सभा को सौंपने के लिये एक विशेष विधान प्रस्तुत करेंगे अथवा समवाय विधि (संशोधन) विधेयक में विशेष उपबन्ध जोड़ देंगे । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह इस मामले में औद्योगिक उपक्रमों का नियंत्रण, जो अब उत्पादन मंत्रालय के अधीन है, संसद् को सौंपना चाहते हैं, या नहीं । हमें तो उन के संतुलन पत्र भी नहीं दिखाये जाते ।

इन औद्योगिक उपक्रमों के हिसाब किताब भी ठीक नहीं रखे जाते । इस के अतिरिक्त एक कठिनाई और है कि जैसे गैर-सरकारी क्षेत्र सरकार से कुछ रियायत लेने के लिये सरकारी अधिकारियों के अपने व्यक्तियों को अच्छी अच्छी नौकरियां दे देते हैं, वही बात सरकारी क्षेत्र में भी हो रही है । निहित स्वार्थ व्यक्तियों को सचिवालय में लाने और अपने व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने के लिये अधिकारियों को स्थानान्तरित किया जा रहा है । इस से देश को बड़ी हानि होने की संभावना है ।

वाणिज्यक जवाबदेही के बिना कोई औद्योगिक उपक्रम नहीं बन सकता । वास्तव में यह संतुलन-पत्र नहीं, बल्कि तदर्थ आधार पर तैयार किया हुआ लेखाओं का विवरण मात्र है । जहाज़ निर्माण कारखाने का उदाहरण लीजिये, जिस के लिये बहुत बड़ी धनराशि दी जा चुकी है और जहां केवल दो जहाज़ ही तैयार हुए हैं । दोनों जहाज सिन्धिया और भारत लाइन्ज को दिये गये थे । उसके पश्चात् कई निगमों ने जहाज़ों के आर्डर दिये, और अभी तक उन निगमों या समवायों को एक भी जहाज नहीं मिला है । इस का अर्थ यह है कि इन जहाजों के निर्माण में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा । सिन्धिया से यह कारखाना लिया गया है उस के पश्चात

इन तीनों वर्षों में केवल दो ही जहाज बनाये गये हैं ।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस कारखाने में जहाज के ढांचे खड़े करने का कोई स्थान भी बढ़ाया गया है । उत्तर नकारात्मक है । जिस स्थान पर जल उषा खड़ा किया गया था, और जिसे सर अलैग्जेंडर गिबन और उस के साथियों ने सर्वोत्तम कहा था, उसे ही अब उखाड़ने का विचार किया जा रहा है ।

तीन साल पहले बुआयलर बनाने का प्रस्ताव किया गया था, और कितने खेद की बात है कि अभी तक एक भी बुआलयर नहीं बनाया गया है और हमें विदेश से बुआयलर खरीदने पड़ते हैं ।

वर्तमान फ्रांसीसी सार्थ इस कारखाने का विकास करने में साक्षम नहीं है मैं ने यह भी सुना है कि सरकार उस करार को समाप्त करना चाहती है । इस समवाय को प्रतिवर्ष खर्चे आदि के अतिरिक्त १५–२० लाख रुपया मिलता है । भारतवासियों के कई प्रकार के कामों के लिये जहाजों की आवश्यकता है, फिर एक ही ढ़ंग के जहाज बनाने का क्या लाभ है ? जब हमारे समवाय अपनी आवश्यकतानुसार विदेशी कारखानों को जहाजों के आर्डर दे रहे हैं, फिर हमारे कारखाने को इतना अधिक धन देने का क्या उपयोग है ? मैं समझता हूं कि सभा को इस के बारे में जानने का अधिकार है ।

सभा को विदित है कि लगभग पौने दो वर्ष पहले ८०० लोगों की छंटनी हुई थी और उनमें से लगभग ४०० व्यक्ति पुनः काम पर लगाये जा चुके हैं । इन लोगों को अपना पुराना वेतन नहीं दिया जाता और उन को पुराना काम भी नहीं सौंपा जाता । मैं माननीय मंत्री से इसका कारण पूछना चाहता हूं । क्या ऐसी स्थिति में मजदूर पूरी लगन के साथ काम कर सकते हैं ?

शेष ४०० व्यक्तियों को पुनः नौकरी में आने का अवसर भी नहीं दिया गया है, और दूसरी ओर प्रशिक्षुओं के रूप में बहुत से लोगों को भरती किया जा रहा है । जिन लोगों को काम पर लगाया गया है उन से भी एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं कि उनकी नौकरी केवल छः महीनों के लिये है । यदि सरकारी क्षेत्र इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहता है, तो निश्चय ही यह देश के लिये घातक सिद्ध होगी । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बात का भी उत्तर देंगे ।

श्री ए० एम० थामस : हमें विज़ाग स्थित हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाने के कार्य संचालन का हिसाब लगाते समय कई बातों को ध्यान में रखना होगा । वहां जो फ्रांसीसी कर्मचारी काम करते हैं, वे योग्यता और अनुभव की दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिये फ्रांसीसी सार्थ को उन व्यक्तियों को बदलने के लिये कहा गया है । अब आशा है कि विशेषज्ञों के दूसरे दल के आ जाने पर यह काम संतोषजनक हो सकेगा ।

अक्तूबर १९५२ से सितम्बर १९५३ तक के बीच इस्पात और अपेक्षित मशीनों के न मिलने के कारण यह कारखाना काम नहीं कर सका । हम इस प्रकार के आक्रमण के कारण अपेक्षित अनुसूची को भी पूरा करने में सफल नहीं हुए हैं । मंत्री महोदय ने कहा है कि हम अब आधुनिक और पेचीदा ढ़ंग के जहाज बना रहे हैं, जो पहले तैयार किये गये १२ जहाजों से भिन्न प्रकार के हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय मित्र निदेशकों के बोर्ड के सभापति श्री एन० आर० पिल्ले के भाषण को पढ़ें, जिस में कहा गया है कि बआयलरों की प्राप्ति में

[श्री ए० एम० थामस]

अप्रत्याशित विलम्ब के कारण हम जहाज तैयार नहीं कर सके ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

दूसरा कारण वह यह बताते हैं, कि क्योंकि जहाज बनाना एक "जोड़ कर बनाने का उद्योग" है, इस के लिये जो सहायक उद्योग आवश्यक होते हैं, वे भारत में अभी विकसित नहीं हैं । दूसरे देशों में तो ये कारखाने कई काम दूसरे अभिकरणों से करवा लेते हैं, परन्तु हम यहां ऐसा कोई काम नहीं करवा सकते ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल-पश्चिम कटक) : यदि यह बात है, तो हमें इन सहायक उद्योगों के बिना जहाज निर्माण कारखाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री ए० एम० थामस : सब काम धीरे धीरे होते हैं । सोवियत रूस के साथ हम ने इस्पात परियोजनाओं का जो करार किया है, कुछ लोग उसे उपयोगी बतलाते हैं और कुछ लोग उस के संबंध में सन्देह करते हैं । हमें इन मामलों में निष्पक्ष भाव से सोचना चाहिये और किसी देश पर सन्देह करना उचित नहीं है ।

हम ने जर्मन फर्म और रूस के साथ जो समझौते किये हैं, वे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और इस अवस्था पर हम उन से होने वाले लाभ या हानि का अनुमान नहीं लगा सकते । जर्मन फर्म के साथ किये गये समझौते में एक खंड यह है कि मशीनरी और संयंत्र के लिये हमें विश्व भर से टेंडर बुलाने का अधिकार होगा किन्तु रूस के साथ किये गये समझौते में ऐसा काई खंड नहीं है । श्री बंसल ने भी इस बात की ओर सदन का ध्यान दिलाया है । मेरे विचार में यह कोई चिन्ता की बात नहीं है ।

मुझे यह देख कर हर्ष हुआ है कि यद्यपि सदन और जनता को इस्पात परियोजनाओं के शुरू न किये जाने के बारे में शंका थी, तथापि अब स्थिति बिल्कुल निराशाजनक नहीं है । अब विश्व के बड़े बड़े देश स्वयं भारत में इस्पात परियोजनायें शुरू करने के लिये उत्सुक हैं । इस से प्रकट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अब हमारी कितनी प्रतिष्ठा है । जर्मन फर्म और रूस के साथ समझौते हो चुके हैं । ब्रिटेन ने भी अब प्रस्ताव किया है । उत्पादन मंत्रालय इस स्थिति के लिये बधाई का पात्र है ।

डा० लंका सुन्दरम् की इस आलोचना का उत्तर दे दिया गया है कि इन औद्योगिक उपक्रमों पर संसद् का नियंत्रण नहीं है । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम ने उन के लिये जो सीमित समवाय स्थापित किये हैं वे संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं । यद्यपि सरकार ने किसी विशेषपद्धति को नहीं अपनाया । मैं चाहता हूं कि उत्पादन मंत्रालय अपने अगले प्रतिवेदन में विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में एक अध्याय रखें और यह बतायें कि पंच वर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य किस हद तक प्राप्त किये गये हैं । उसे यह भी बताना चाहिये कि विभिन्न समवायों में नियोजन स्थिति क्या है ।

उत्पादन मंत्रालय ने निश्चित समय पहले से ही दो तेल शोधन शालायें स्थापित कर दी हैं । इस पर वह गर्व कर सकता है ।

मैं सदन का ध्यान औषधि-निर्माण जांच समिति की इस सिफारिश की ओर दिलाता हूं कि जिस में कहा गया है कि पैनसिलीन के लिये प्रस्तावित कारखाने में अन्य एंटीबायोटिक्स विशेषतया स्ट्रेप्टोमाइसीन का निर्माण भी करना चाहिये । मेरा सुझाव है कि इन्सूलिन और अन्य एंटीबायोटिक्स

का निर्माण पूना में शुरू किया जाये, ताकि हम इन वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो सकें ।

डा० लंका सुन्दरम् ने औद्योगिक विकास के मामले में प्रदेशों के दावों को लाने का खंडन किया है । मैं उन से सहमत नहीं हूं । स्वयं पंच वर्षीय योजना में संतुलित प्रादेशिक विकास पर जोर दिया गया है । मेरे विचार में उत्पादन मंत्रालय इस मामले पर उचित रूप से ध्यान नहीं दे रहा । कम विकसित क्षेत्रों को विकसित करने के लिये वहां उद्योग स्थापित करना आवश्यक है और नये उद्योग शुरू करते समय इन क्षेत्रों को ध्यान में रखना चाहिये । इस मामले में दक्षिण की बिल्कुल अपेक्षा की गई है । एक उदाहरण यह है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में डी० डी० टी० कारखाना स्थापित करने की मांग की गई थी किन्तु मंत्रालय अभी तक इस के स्थान के बारे में निर्णय नहीं कर सका । इसी तरह पोत-निर्माण उद्योग के लिये कोचीन की बन्दरगाह बहुत उपयुक्त है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पोत-निर्माण घाट खोलने की संभाव्यता पर विचार किया गया है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : उत्पादन मंत्रालय के प्रतिवेदन के हर शब्द से आत्म-संतुष्टि प्रकट होती है । किन्तु मुझे विश्वास है कि इस वादविवाद के द्वारा मंत्रालय के काम के कुछ पहलुओं की ओर ध्यान दिलाने से यह आत्म-संतुष्टि दूर हो जायेगी । मैं रूस के साथ किये गये समझौते का स्वागत करता हूं । अब हमें भारी उद्योग का काम शुरू कर देना चाहिये ताकि हम अपने कारखाने स्वयं स्थापित कर सकें ।

क्रुप-डीमैग के जर्मन समवाय के साथ जो समझौता किया गया है, मैं उस के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु इस समझौते के बहुत से पहलू ऐसे हैं जिन के द्वारा विदेशी समवायों पर हमारी निर्भरता और भी बढ़ जाती है । इस का अन्त होना चाहिये । इस समझौते के अनुसार यह समवाय उसे दिये गये आर्डरों के लिये जर्मनी में किये गये भुगतान के अनुपात से अंश पूंजी का अंशदान देगी । ऐसी शर्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

ब्रिटिश इस्पात विशेषज्ञों के प्रस्ताव के बारे में, हमें पहले अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिये कि कहीं वे हमें पुराना समवाय सामान दे कर और पुराने तरीके बता कर हमारा रुपया ठगना तो नहीं चाहते ।

हिन्दुस्तान पोत घाट पर हम सब को गर्व है किन्तु फ्रांसीसी फर्म पर निर्भर रहने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें इस के काम के बारे में कुछ बतायें । वहां जो दो फ्रांसीसी विशेषज्ञ हैं वे बिल्कुल अयोग्य हैं और वे भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये उचित सुविधायें नहीं देते । स्टोर भी बाहर से खरीदा जा रहा है । १९५४ में ९१ प्रतिशत स्टोर विदेशी था । सितम्बर १९५३ से कुछ समय पूर्व ८०० व्यक्ति छटनी किये गये थे । उन में से केवल ११३ को पुन: नियुक्त किया गया है : मैं इसका कारण नहीं समझ सका । मंत्रालय अच्छी तरह समझता है कि घाट में जहाजों के निर्माण के साथ साथ डिब्बों का निर्माण भी हो सकता है । किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा ।

हिन्दुस्तान मशीनरी औजार कारखाने का काम भी ठीक तरह से नहीं हो रहा । अन्यथा इसको चलाने में इतनी देर न लगती । दांतें काटने वाली और छेद करने वाली मशीनें आज तक प्राप्त नहीं हो रही हैं । जिन के बारे में हम कारखाने के विदेशी परामर्शकों ने वचन दिया था ।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

औषधि निर्माण जांच समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय एकस्व पंजीयन को समाप्त कर देने की सिफारिश की थी, किन्तु इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया।

सरकार भारी बिजली सामान निर्माण परियोजना के सम्बन्ध में क्या करना चाहती है, इसका प्रतिवेदन में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। सांश्लेषिक तेल के सम्बन्ध में जो समिति बनाई गई थी, उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है : सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

तेल शोधन शालायें स्थापित करने के लिये जो समझौते किये गये हैं, उन की शर्तें बहुत खतरनाक हैं। ये समझौते बर्मा शैल, स्टैंडर्ड वैक्यूम और काल्टैक्स के साथ किये गये हैं और लगभग एक जैसे हैं। इन कम्पनियों ने भारतीय विनियोजकों को केवल ७ करोड़ रुपया लगाने की अनुमति दी है किन्तु इन्हें मतदान का या लाभांश का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इन समवायों के साथ किये गये समझौतों में आयकर, निगमकर अधिकार आदि सम्बन्धी जो खंड हैं, मंत्रालय को उन की जांच करनी चाहिये, क्योंकि हमें इससे प्रतिवर्ष ३ से ७ करोड़ रुपये तक का घाटा होगा। समझौतों के अनुसार पैट्रोल का मूल्य दो आना प्रति गैलन बढ़ जायेगा या भारत को राजस्व छोड़ कर यह हानि उठानी पड़ेगी हम नहीं कह सकते कि इन तीन शोधनशालाओं को शुरू होने के बाद हमें १० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बच जायेगी।

समझौते के अन्य खंडों के अनुसार सरकार घाट बनाने का खर्च भी दे रही है। बम्बई की बन्दरगाह में घाट बनाने पर और रेलवे सम्बन्धी निर्माण पर सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है किन्तु केवल विदेशी पूंजीपतियों को संतुष्ट करने के लिये।

उत्पादन मंत्रालय के सम्बन्ध में और बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। यह बताया जा चुका है कि धातु-कार्मिक कोयला किस तरह नष्ट किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि हमारी सरकारी कोयला खानें घाटे में क्यों जा रही हैं। हम वहां के श्रमिकों को छंटनी में ला रहे हैं किन्तु साथ ही एक उपोत्पाद 'बेन्जोन' को एक पुराने समझौते के अनुसार बर्मा शैल को बेच रहे हैं।

नमक के सम्बन्ध में, जापानी मंडी समाप्त हो रही है और हमारे पास फालतू नमक जमा हो गया है। इस के सम्बन्ध में क्या किया जायेगा ? सोडा ऐश और गन्धक के निर्माण के लिये हम अवश्य कुछ पग उठा सकते हैं किन्तु मंत्रालय ने कुछ नहीं किया सरकार सोडा ऐश बनाने के लिये अपना संयंत्र स्थापित कर सकती है।

सिन्दरी के कारखाने में उत्पादन संतोषजनक है किन्तु एक बात से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। कुछ समय पूर्व सदन में कहा गया था कि सिन्दरी का उत्पादन व्यय नहीं बताया जा सकता। इस का कारण मैं नहीं समझ सका।

विदेशी समवायों के साथ किये गये समझौतों में एक बात जो बहुत ही चिन्ताजनक है वह यह है कि हमें समान के लिये सदा इन पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह उन पर छोड़ दिया गया है कि वे जब चाहें और जो चाहें हमें दें। मैं जानता हूं कि प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में टैक्नीकल सहयोग निधि में से वैज्ञानिक यन्त्रों को खरीदने के लिये एक करोड़ से अधिक रुपया अलग रखा गया था। किन्तु ये यन्त्र नहीं मिले और धन व्यपगत हो गया। हमारी परियोजनाओं पर काम रुका पड़ा

है। हमारे विदेशी मित्र माल नहीं भेजते यदि हम ऐसे लोगों पर निर्भर रहे और अपने कारखाने स्थापित कर के अपने संसाधनों से लाभ न उठाया, तो प्रगति करने की कोई आशा नहीं है ।

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दबे) : श्रीमान्, मैं कुछ बातों का उत्तर देने के लिये वाद-बिवाद में विघ्न डाल रहा हूं । मैंने दोनों पक्षों के कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं । मैं सदस्यों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कुछ लाभदायक और रचनात्मक सुझाव दिये हैं, जिन्होंने हमारी आलोचना की है मैं उन का भी आभारी हूं। मैं अनुभव करता हूं कि आलोचना किसी अन्य रूप में न होते हुए सहायता की भावना से करनी चाहिये । परन्तु मैंने देखा है कि कई सदस्यों ने उन कठिनाइयों को नहीं देखा जो उत्पादन मंत्रालय को देश में नये उद्योग चलाने में सहन करनी पड़ीं।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कुछ समय पहले यहां विदेशी शासन था । पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का कभी भी विकास नहीं किया गया । यहां केवल उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग ही थे । १९४७ के पश्चात् स्वतन्त्र राष्ट्र बनने पर ही हमने इन उद्योगों का विकास करना आरम्भ किया था, इसी उद्देश्य से उत्पादन मंत्रालय की स्थापना की गई, आवड़ी संकल्प को दृष्टि में रखते हुए श्री के० पी० त्रिपाठी ने वर्तमान मंत्रालय के महत्व पर ठीक ही बल दिया है । समाजवादी व्यवस्था कैसे की जा सकती है। मैं इस दर्शन के विस्तार में नहीं जाता । मेरा ऐसा कोई विचार नहीं, न ही इसके लिये मेरे पास समय है । डा० लंका सुन्दरम्, श्री एच० एन० मुकर्जी और श्री बंसल ने कुछ नीति सम्बन्धी बातें कहीं जिनका उत्तर उत्पादन मंत्री देंगे । मैं नमक प्रशासन और कोयले के बारे में कही गई कुछ बातों को स्पष्ट करूंगा ।

माननीय सदस्य श्री यू० एम० त्रिवेदी ने नमक के प्रशासन के बारे में कुछ बातें कहीं हैं, उन्होंने मनोनीत प्रणाली और दिल्ली और दूसरे क्षेत्रों में सेन्धा नमक के उत्पादन के बारे में शिकायत की है । नमक के बारे में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि बहुत समय पूर्व १९४२ में राजस्थान तथा दूसरे क्षेत्रों में स्वतन्त्र व्यापार चल रहा था । कुछ व्यापारियों ने तो नमक का एकाधिकार प्राप्त कर रखा था । युद्धकाल में इसका मूल्य बहुत बढ़ गया । तब सरकार इस में हस्तक्षप करने और नमक के नियन्त्रण तथा वितरण के बारे में आदेश जारी करने पर विवश हो गई । बाद में इन आदेशों में ढ़ील दे दी गई । १९४५ में जब डा० राजेन्द्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे उन्होंने साम्भर का दौरा किया और उन के ध्यान में यह बातें लाई गईं कि कुछ व्यापारी अपनी व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और बाजार में माल कम भेज रहे हैं । अत्यावश्यक प्रदाय शक्तियां, अधिनियम के अन्तर्गत नमक के वितरण तथा नियन्त्रण के लिये कुछ आदेश जारी किये गये थे । इन्हीं आदेशों के अन्तर्गत मनोनीत प्रणाली जारी की गई थी । मैं श्री यू० एम० त्रिवेदी से सहमत हूं कि वस्तु नियंत्रण समिति ने मनोनीत प्रणाली पर सहानुभूति से विचार किया है । उत्पादन मंत्रालय मनोनीत प्रणाली को जारी रखने के पक्ष में नहीं है। हम ने विभिन्न राज्य सरकारों को भी अपने दृष्टिकोण से सूचित कर दिया है । जहां तक सम्भव हो हम मनोनीत प्रणाली के उत्पादन के पक्ष में ही हैं । परन्तु आप जानते हैं कि प्रान्तीय स्वायत्त शासन के कारण हम कुछ हद तक ही राज्य सरकार पर जोर डाल सकते हैं । कुछ राज्य सरकारें इसे उचित समझती हैं । मैं जानता हूं कि इस प्रणाली में कुछ बुराइयां आ गई

[श्री आर० जी० दुबे]

हैं। मैं श्री यू० एम० त्रिवेदी से प्रार्थना करूंगा कि वह याद रखें कि मनोनीत प्रणाली ने बड़े नाजुक समय में राज्य को बचाया था। यदि इस में बुराइयां हैं तो अच्छी बातें भी हैं। अब हालत बदल चुकी है और अब यह प्रणाली उपयोगी नहीं रही है और हम राज्य सरकारों को मंत्रणा दे रहे हैं कि वे इसे समाप्त कर दें ।

उन्होंने नमक के निर्यात के बारे में कहा है। दूसरे सदस्यों ने भी इस विषय में कहा है ।

श्री ए० एम० थामस : १९५३–५४ में साम्भर नमक में ११,४१,१३३ रुपये का घाटा रहा । इस बारे में उन्हें क्या कहना है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं इस प्रश्न के बारे में विस्तारपूर्वक नहीं कह सकता। मुझे याद है तब वर्षा नहीं हुई थी। राजस्थान में एकाधिकार था और हमें प्रतिकर के रूप में कुछ रुपया देना पड़ा था। दूसरे कारणों में से एक यह भी हो सकता है ।

आप जानते हैं कि इस देश से नमक का अयात करने वाले प्रमुख देशों में ही जापान एक था। हाल ही में थाइलैंड और दूसरे देशों में परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण नमक का उत्पादन करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। जापान को नमक के निर्यात के लिये कुछ सुविधायें दी गई थीं। वे सुविधायें अन्य देशों को भी दी जा रही हैं ताकि नमक का निर्यात बढ़ सके ।

कोयले के बारे में माननीय सदस्य श्री बंसल ने ठीक ही कहा है कि कोयले का निर्यात कम हो रहा है। सदस्यों के मन में यह गलत धारणा है कि निर्यात में एकाएक कमी आ रही है । यह मामला नहीं है । यदि आप १९५२ के आंकड़ों की तुलना पूर्व के वर्षों और १९५३ से करें तो आप देखेंगे कि निर्यात बढ़ गया है। इसका यह कारण है कि योरूप में कोयले की कमी थी । दक्षिण अफ्रीका में परिवहन की कठिनाइयां थीं। इंगलैंड में भी आन्तरिक कठिनाइयां थीं। इन्हीं कारणों से भारतीय कोयला बहुत अधिक निर्यात किया गया। उस के बाद यह हालत नहीं रही। उदाहरणतः आस्ट्रेलिया भी कोयले का निर्यात करने लगा । जापान आस्ट्रेलिया से कोयला आयात कर रहा है । इस प्रकार बाधायें पड़ गईं। इस विषय की विस्तृत जांच करने के लिये उत्पादन मंत्रालय ने कर्मचारियों की एक समिति स्थापित की है। उन्होंने कई संघों से सम्पर्क स्थापित किया है। कोयले पर जो वाणिज्यिक प्रभार था वह हटा दिया गया है। इसे विभिन्न श्रेणियों में रखने पर जो प्रतिबन्ध थे वे हटा दिये गये हैं। कोयले के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक कार्यवाही की गई है। कोयला निर्यात करने वाले लोगों को सब सुविधायें की जाती हैं। इस के अतिरिक्त सरकार शीघ्र ही कोयले के निर्यात की सहायता करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करने का निश्चय करेगी ।

श्री कासलीवाल और श्री हेडा ने उर्वरक के बारे में कुछ बातें कहीं और उन्होंने उवरक के उत्पादन और विस्तार में जो रुचि ली उसे देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। जिस ढंग में उन्होंने अपने अपने राज्यों के मामलों का समर्थन किया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मेरे लिये यह विवकपूर्ण न होगा कि मैं इस समय भिन्न भिन्न राज्यों के गुणावगुणों के बारे में कहूं। राजस्थान में जिपसम होता है। स्वाभाविक है कि राजस्थान के लोग सोचेंगे कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाये । यही हालत

हैदराबाद की है। परन्तु मेरा विचार है कि सरकार सब बातों को ध्यान में रखकर समाहित रूप से विचार कर के कोई निश्चय करेगी, माननीय सदस्य कुछ समय तक धैर्य रखें। योजना आयोग ने समाहित रूप से वर्ष १९६० में अमोनियम सल्फेट के निर्धारण की गिनती की है। इस के अनुसार अधिक कारखाने स्थापित करने के लिये कार्यवाही की गई है।

श्री कासलीवाल ने सोडियम सल्फेट के बारे में कुछ कहा था। भावनगर में हमारे गवेषणा कारखाने में यह देखने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं कि क्या उर्वरक के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि अपने भाषण में उन्होंने स्वीकार किया है यह एक नई प्रक्रिया है। विदेशों में भी ऐसा कम ही होता है। स्वाभाविक है कि उन्हें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि हम तुरन्त ही बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग करें। भावगनर के कारखाने में इस के प्रयोग किये जा रहे हैं। जब यह पता चल जायेगा कि यह क्रियात्मक कार्यवाही है तो हम अवश्य ही माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

डा० लंका सुन्दरम् ने जहाजों के कारखानों के बारे में कुछ बातें कही हैं।

सभापति महोदय : मेरे विचार में शेष बातों का उत्तर माननीय मंत्री दे देंगे।

श्री आर० जी० दुबे : श्रीमान्, मैं आप का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से मेरी बातें सुनी हैं उस के लिये मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय उत्पादन

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार ५ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

GIPD—HS—42 LSD—4 11 55—240